

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 सितम्बर, 2004

खण्ड-3, अंक-1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 29 सितम्बर, 2004

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्रश्नानुसार एवम उत्तर	(1)8
नियमो 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तरांकित प्रश्नानुसार के लिखित उत्तर	(1)26

घोशणाए	(1)41
(क) उपाध्यक्ष द्वारा,	(1)41
(i) चेयरपर्सन्स के नामो की सूची	(1)41
(ii) याचिका समिति	(1)41
(ख) अध्यक्ष द्वारा,	(1)42
(i) सदस्यो के त्यागपत्र	(1)42
(ग) सचिव द्वारा	(1)42
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य	(1)43
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव /सगिन प्रस्तावो की सूचनाएं	(1)43
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी का पहली रिपोर्ट पे टा करना	(1)45
वाक आउट	(1)50
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी का पहली रिपोर्ट पे टा करना (पुनरारम्भ)	(1)51
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(1)56
नियम 16 के अधिन प्रस्ताव	(1)56

सदन की मेज पर रखे गए/पुन रखे गए कागज पत्र (पुनरारम्भ)	(1)56
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(1)59
वि ेशाधिकार मामलों के संबंध मे वि ेशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढाना	(1)59'
(i) श्री जय प्रकाश बरवाला एम.एल.ए. के विरुद्ध	(1)59'
(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल एम.एल.ए. के विरुद्ध	(1)60
(iii) कैप्टल अजय सिंह यादय, श्री धर्मबीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम.एल.ए. के विरुद्ध	(1)61
(iv) श्री रघुवीर सिंह कादयान एम.एल.ए. के विरुद्ध	(1)62
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(1)63
विधान कार्य	(1)78
1. दि हरियाणा भूगरकेन (रैगुले ान आफ परचेज एड सप्लाई) हरियाणा अमैडमैट, बिल, 2004	(1)78
2. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 2004	(1)80

3. दि कुरुक्षेत्र भाराईन बिल, 2002	(1)83
4. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरे ान (सैकण्ड अमैडमैट) बिल, 2004	(1)85
5. दि हरियाणा पचायंती राज (सैकण्ड अमैडमैट) बिल, 2004	(1)86
व्यैक्तिक स्पश्टीकरण	(1)94
डा0 रघुवीर सिंह कादयान एम.एल.ए. के विरुद्ध	(1)94
दि हरियाणा पचायंती राज (सैकण्ड अमैडमैट) बिल, 2004 (पुनराम्भ)	(1)95
दि हरियाणा पचायंती राज (सैकण्ड अमैडमैट) बिल, 2004 (पुनराम्भ)	(1)105
6. दि पजांब भांप्स एंड कामि रियल एस्टैब्लि ामेंट (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 2004	(1)108
7. दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमेंट अथोरिटी (सैकण्ड अमैडमैट) बिल, 2004	(1)109
8. दि हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चर इन्डैबटैडपनेस (अमैडमैट) बिल, 2004	(1)111

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 29 सितम्बर 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सारे सदन के सम्मानित सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि पिछले पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में कुछ राजनेता कुछ समाजसेवी और कुछ देशभक्त इस संसार से चल गए हैं। जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। कई राजनेता, कई समाजसेवी, कई स्वतंत्रता सेनानी तथा कई देशभक्त आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं आपके माध्यम से उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए इस सदन में भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

डा० राजा रमन्ना, एक प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक एवम भूतपूर्व
केन्द्रीय राज्य मंत्री

यह सदन प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक एवम भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री डा० राजा रमन्ना के 24 सितम्बर, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

उनका जन्म कर्नाटक के तुमकुर में 28 जनवरी, 1925 को हुआ। उन्होंने ताम्बूरुम के मद्रास क्रिचन कालेज से बी०एस०सी० आनर्स तथा लंदन के किंग्स कालेज से डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के परणामु परीक्षण भास्त्र कार्यक्रम के निर्देशक थे। पोखरण में मई, 1974 में किये गये भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में उनकी मुख्य भूमिका थी। डा० रमन्ना ने अपने लम्बे एवम सम्माननीय जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों को सुलभित किया। वे भाव परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवम विकास संगठन के महानिदेशक, नैशनल इंस्टीच्यूट आफ एडवान्स स्टडीज के निदेशक, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन, रक्षा अनुसंधान विभाग एवम परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव तथा केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। वे अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजन्सी, वियना के महानिदेशक की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के चेयरमैन भी रहे। वे वर्ष 1990 में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे। वे वर्ष 1990 में राज्य सभा के लिये चुने गये वर्ष 1997 में राज्य सभा के लिये मनोनीत हुए।

विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा के पोषण के उद्देश्य से उन्होंने बैंगलूर में नैशनल इंस्टीच्यूट आफ एडवान्स

स्टडीज की स्थापना की। उन्हे भांति स्वरूप भटनागर आवार्ड, पद्मश्री, पद्मभूषण तथा पद्म विभूषण जैसे अनेक विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत किया गया।

उनके निधन से देश प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक एवम और उत्कृष्ट प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरकार जागीर सिंह दर्द, भूतपूर्व सांसद तथा सयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन भूतपूर्व सांसद तथा सयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सरदार जागीर सिंह दर्द के 2 सितम्बर, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 16 सितम्बर 1920 को हुआ। मै वर्ष 1957 में सयुक्त पंजाब विधान सभा और वर्ष 1967 तथा 1968 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। ये वर्ष 1994 में राज्य सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान लिये कार्य किया।

उनके निधन से एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी लाजपत राय, सयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन भूतपूर्व सयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी लाजपत राय के 7 सितम्बर, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1 जून, 1901 को हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वे कई बार जेल गये। वे वर्ष 1952 में सयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिये संघर्ष किया।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

**सरदार कुलतार सिंह, स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के
भूतपूर्व राज्य मंत्री**

यह सदन स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्य मंत्री सरदार कुलतार सिंह के 5 सितम्बर, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 21 अगस्त, 1918 को हुआ। उन्होंने अपना सरा जीन अपने बड़े भाई सरदार भगत सिंह के उच्च आदर्शों के लिए समर्पित किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वे कई बार जेल में रहे। ये वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश के

विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 1976-77 के दौरान राज्य मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य स्वतंत्रता के एक सच्चे उपासक एवम अनुभवी प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी

यह उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश के आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है।

इस माहन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. श्री धर्म भानू, गांव खानपुर कलां, जिला सोनीपत।
2. श्री भोर सिंह, गांव अमानी, जिला फतेहबाद।
3. श्री पृथ्वी सिंह, गांव भादूआन, जिला फतेहबाद।
4. श्री नानटाराम, गांव काकडौली हुकमी, जिला भिवानी।
5. श्री अमी लाल, गांव दाढीबाना, जिला भिवानी।
6. श्री भूरा सिंह, गांव चांगरोड, जिला भिवानी।

7. श्री भगवान सिंह, गांव चन्देगी, जिला भिवानी ।
- 8 श्री नानकराम, गांव चन्देनी, जिला भिवानी ।
9. श्री भयोचंद, गांव ढाणी बुखारी, जिला हिसार ।
10. श्री जसवंत राय, बहादुरगढ, जिला झज्जर ।
11. डा० कृष्ण प्रकाश, धरौन्डा, जिला करनाल ।
12. श्री बिनोद सिंह, गांव बाखली, जिला कुरुक्षेत्र
13. श्री रामलाल, गांव भामगढ जिला करनाल ।
14. श्री रोहित लाल, रेवाडी ।
15. श्री खेमी राम, गांव फुलवाडी, जिला फरीदाबाद ।
16. श्री गोपी चन्द, गांव मसानी, जिला रेवाडी ।
17. श्री किरोडीमल, गांव कासनी, जिला भिवानी ।

यह सदन इस महान् स्वतंत्रता सेनानियों को भात भात नमन करता है और इनके भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

हरियाणा के भाहीद

यह उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए

अदम्य साहस और वीरता से लडते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

इस माहन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार है:

1. उप निरीक्षक सत्यप्रकाश, गांव जीवडा, जिला रेवाडी ।
2. सुबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव चन्देनी, जिला भिवानी ।
3. नायब सूबेदार धर्मबीर, गांव चरखी, जिला भिवानी ।
4. हवलदार सत्यवीर सिंह, गांव सुडाना, जिला रोहतक ।
5. हवलदार धर्मबीर सिंह, गांव गढी छाज्जू, जिला पानीपत ।
6. लांस नायम राजबीर सिंह, गांव गढी छाज्जू, जिला पानीपत ।
7. सिपाही दयानंद, गांव मोकलवास, जिला गुडगांव ।
8. सिपाही राजकुमार, गांव बास पदमका, जिला गुडगांव ।
9. सिपाही रमेश कुमार, गांव लीलाहेडी, जिला झज्जर ।

10. सिपाही दिने ा कुमार, गांव आर्यनगर, जिला भिवानी ।
11. सिपाही जसवीर सिंह , गांव फोगाट, जिला भिवानी ।
12. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव रामकली, जिला जीन्द ।
13. सिपाही दीपक कुमार, गांव जसीया, जिला रोहतक ।
14. सिपाही अनिल, गांव गुमड, जिला सोनीपत ।
15. सिपाही चांदवीर, गांव महाराणा, जिला झज्जर ।

यह सदन इस महान् स्वतंत्रता सेनानियों को भात भात नमन करता है और इनके भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

धेमाजी बम विस्फोट दुर्घटना

यह सदन 15 अगस्त, 2004 को असम के धेमाजी कस्बे मे स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल पर हुए बम विस्फोट मे मारे गए मासूमो के दुखद व असामायिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है ।

यह सदन ऐसी जपन्य घटना की घोर निंदा करता है तथा दिवंगतो के भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

कुंभकोणम आग दुर्घटना

यह सदन 16 जुलाई, 2004 को तमिलनाडू के कुंभकोणम भाहर के एक विधालय मे हुए भीशण अग्नि काण्ड मे मारे गए, मासूमो बच्चो के दुखद व असामायिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन ऐसी जपन्य घटना की घोर निंदा करता है तथा दिवंगतो के भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सामान्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री सतबीर सिं कादियान के ससूर, श्री हरिराम

मुख्य संसदीय सचिव श्री रामपाल माजरा की ताई, श्रीमती सुखेदवी तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बंता राम की भाभी, श्रीमती ज्ञान देवी के दुखद व असामायिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतो के भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, मै आपसे अनुरोध करूंगा यदि कोई ऐसा व्यक्ति रह गया हो जो इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य

के परिवार से जुड़ा हुआ हो या कोई और ऐस स्वतन्त्रता सेनानी या भाहीद रह गया हो या तो उसका नाम भी इसमे जोडा जाये ।

श्री अध्यक्ष: ठीक है ।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाडी): अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और आज के सत्र के बीच मे जो महान साथी यह संसार छोडकर चले गये है उनका उल्लेख परिवादी के अनुसार सदन मे होता है । इस हरियाणा की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदे । दिया था कि आत्मा अमर है लेकिन कर्म प्रधान है जो अच्छे कार्य करता है उसे अच्छे फल मिलते है और जो बुरे कार्य करता है उसका परिणाम बुरा ही होता है । मुख्यमंत्री जी ने जो भाोक प्रस्ताव सदन मे रखा है उसमा मै अनुमोदर करता हू ।

अध्यक्ष महोदय, इस भाोक प्रस्तावो मे सबसे पहले प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक एवम भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री डा0 राजा रमन्ना के 24 सितम्बर, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म कर्नाटक के तुमकुर मे 28 जनवरी, 1925 को हुआ । उन्होने ताम्बर्म के मद्रास क्रिचन कालेज से बी0एस0सी0 आनर्स तथा लंदन के किंगज कांलेज से डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की । वे भारत के परणामु परीक्षण भास्त्र कार्यक्रम के िाल्पी थे । पोखरन मे मई, 1974 मे किये गये भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण मे उनकी मुख्य भूमिका थी । डा0 रमन्ना ने अपने

लम्बे एवम सम्माननीय जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों को सुभोगित किया। वे भाभ परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक, भारतीय राश्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवम विकास संगठन के महानिदेशक, नैशनल इंस्टीच्यूट आफ एडवान्स स्टडीज के निदेशक, परमाणु उर्जा आयोग के चेयरमैन, रक्षा अनुसंधान विभाग एवम परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव तथा केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। वे अन्तरराश्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजन्सी, वियना के महानिदेशक की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के चेयरमैन भी रहे। वे वर्ष 1990 में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे। वे वर्ष 1990 में राज्य सभा के लिये चुने गये वर्ष 1997 में राज्य सभा के लिये मनोनीत हुए।

विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा के पोषण के उद्देश्य से उन्होंने बैंगलूर में नैशनल इंस्टीच्यूट आफ एडवान्स स्टडीज की स्थापना की। उन्हें भांगति स्वरूप भटनागर आवार्ड, पद्मश्री, पद्मभूषण तथा पद्म विभूषण जैसे अनेक विशिष्ट पुरस्कारों से अलकृत किया गया।

उनके निधन से देश प्रतिश्लित परमाणु वैज्ञानिक एवम और उत्कृष्ट प्रसासक की सेवाओं से वचित हो गया है। अतः मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सांसद तथा सयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सरदार जागीर सिंह दर्द के 2 सितम्बर, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 16 सितम्बर 1920 को हुआ। मै वर्ष 1957 में सयुक्त पंजाब विधान सभा और वर्ष 1967 तथा 1968 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। ये वर्ष 1994 में राज्य सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान लिये कार्य किया।

उनके निधन से एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। अतः मै अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, मै अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व सयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी लाजपत राय के 7 सितम्बर, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अतः मै अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्य मंत्री सरदार कुलतार सिंह के 5 सितम्बर, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता हूँ।

उनके निधन से राज्य स्वतंत्रता के एक सच्चे उपासक एवम अनुभवी प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अतः मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के भावसंतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से यह उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाव प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारे देश के आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नाम पढ़े हैं उनमें एक नाम पड़ित रोहित लाल का रह गया है, अतः मेरा अनुरोध है कि इन भाव प्रस्तावों में पं० रोहित लाल का नाम भी शामिल कर लिया जाये।

अतः मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के भावसंतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना यशस्वी नमन करता हूँ,

जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इस माहन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. उप निरीक्षक सत्यप्रकाश, गांव जीवडा, जिला रेवाडी।
2. सुबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव चन्देनी, जिला भिवानी।
3. नायब सूबेदार धर्मबीर, गांव चरखी, जिला भिवानी।
4. हवलदार सत्यवीर सिंह, गांव सुडाना, जिला रोहतक।
5. हवलदार धर्मबीर सिंह, गांव गढी छाज्जू, जिला पानीपत।
6. लांस नायम राजबीर सिंह, गांव गढी छाज्जू, जिला पानीपत।
7. सिपाही दयानंद, गांव मोकलवास, जिला गुडगांव।
8. सिपाही राजकुमार, गांव बास पदमका, जिला गुडगांव।
9. सिपाही रमेश कुमार, गांव लीलाहेडी, जिला झज्जर।

10. सिपाही दिने । कुमार, गांव आर्यनगर, जिला भिवानी ।
11. सिपाही जसवीर सिंह , गांव फोगाट, जिला भिवानी ।
12. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव रामकली, जिला जीन्द ।
13. सिपाही दीपक कुमार, गांव जसीया, जिला रोहतक ।
14. सिपाही अनिल, गांव गुमड, जिला सोनीपत ।
15. सिपाही चांदवीर, गांव महाराणा, जिला झज्जर ।

यह सदन इस महान् स्वतंत्रता सेनानियों को भात भात नमन करता है और इनके भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है । अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 2004 को असम के धोमाजी कस्बे मे स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल पर हुए बम विस्फोट मे मारे गए मासूमो के दुखद व असामायिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है । यह सदन ऐसी जपन्य घटना की घोर निंदा करता है तथा दिवंगतो के भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है । यह सदन 16 जुलाई, 2004 को तमिलनाडू के कुंभकोणम भाहर के एक विधालय मे हुए भीशण अग्नि काण्ड मे मारे गए, मासूमो बच्चो के दुखद व असामायिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है । अतः मै अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की

तरफ से ऐसी जपन्य घटना की घोर निंदा करता है तथा दिवंगतो के भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, मै अपनी ओर से व अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री सतबीर सिं कादियान के ससूर, श्री हरिराम, मुख्य संसदीय सचिव श्री रामपाल माजरा की ताई, श्रीमती सुखेदवी तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बंता राम की भाभी, श्रीमती **ज्ञान देवी** के दुखद व असामायिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है। मै दिवंगतो के भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन के जो नेता ने जो भाोक प्रस्ताव हाउस मे रखा है और दिवंगत आत्माओ के प्रति विभिन्न पार्टियो के नेताओ ने जो विचार प्रकट किए है, मै भी अपने आपको उनकी भावनाओ के साथ जोडता हू। पिछले सै उन और इस सै उन के बीच मे संसार से हमारे बीच मे बहुत सी हमान विभुतियो चली गई है।

सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, प्रतिशित परमाणु वैज्ञानिक एवम भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री डा० राजा रमन्ना के दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हू। वह एक सुप्रशिद्ध वैज्ञानिक वे केन्द्र मे मंत्री थे। उनके योगदान व कार्य को भारत की जनता

सदैव याद करेगी। उनके निधन से देश को विशेषकर विज्ञान के क्षेत्र में जो कमी हुई है उससे पूरे देशवासियों को दुख है।

भूतपूर्व सांसद तथा संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सरदार जागीर सिंह थे उनके निधन से देश को खासकर उत्तरी भारत में एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

चौधरी लाजपत राय भूतपूर्व संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। उनके निधन से देश को एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

सरदार कुलतार सिंह स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व थे। वह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। उनके निधन से एक और

सच्चे उपासक एवम अनुभवी प्रशासक और स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच में चले गये जिसका हम सबको गहरा दुख है।

इसकी अतिरिक्त जिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में लिये हैं उन सबके निधन पर गहरा भाव प्रकट करता हूँ। कोई भी देश स्वतंत्रता सेनानियों के दिए बलिदान को कभी भूल नहीं सकता और आज

हम इन्ही स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई कुर्बानियों के कारण आजाद है। इसके अलावा मुझे उन सभी वीर सैनिकों के भाहीद होने पर बहुत दुख है जिन सभी के नाम इस हाउस में आये हैं। इन्ही भाहीदों की कुर्बानियों से ही आज हम सभी सुरक्षित हैं किसी भी समाज के कल्याण के लिए भाहीदों को कुर्बानियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।

धेमाज बम विस्फोट व कुंभकोणम अग्नि काण्ड ने दे आ की जनता को हिलाकर रख दिया। इन दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के प्रति यह सदन गहरा दुख प्रकट करता है।

सदन में कुछ अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों श्री हरी राम, श्रीमती सुखदेवी व श्रीमती ज्ञानी देवी जी के निधन के भी भाोक प्रस्ताव आये हैं। उनमें से कुछ के मैं निजी सम्पर्क में रहा हूँ। हमें उन सभी के निधन पर गहरा दुखा है।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को भांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ और उन भाोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धाजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूँ।

(इस समय मे उपस्थित सभी माननीय सदस्यो ने दिवंगतो आत्माओ के सम्मान मे खडे होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तांराकित प्रान एवम उतर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल हौगे।

Depleting of Ground Water Level

1818. Capt. Ajay Singh: Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the State Government is aware of the fact that ground water level is depleting in the State; if so, the steps taken or proposed to be taken to raise the water level in the State ?

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू): जी हां, श्रीमान जी। जो कदम पहले ही लिए जा चुके तथा प्रस्तावित है उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भूमिगत जल स्तर की कमी को रोकने तथा जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरदार द्वारा उठाए गए तथा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

1.सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मे राज्य जल संसाधन परिशद् का गठन किया है। जल के प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित विभाग इसके सदस्य है जिन द्वारा जल का सदुपयोग करने हेतु कार्ययोजनाये बनाई जा रही है ।

2. फसल विविधीकरण के अन्तर्गत अधिक पानी वाली फसलो को कम पानी फसलो से बदलने हेतु कार्य बनाया है ।

3. भूमिगत जल स्तर की कमी वाले क्षेत्र मे उसको ऊपर उठाने के लिए वर्षा जल भण्डारण की योजनाएं कार्यन्वित की जा रही है ।

4. सूक्ष्म स्तरीय सिंचाई पर ध्यान दिया जा रहा है । हरियाणा मे जल स्तर के सदुपयोग हेतु 82000 फव्वार संयंत्र, 2000 टपका सिंचाई संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा 90750 मीटर भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जा चुकी है ।

5. राज्य मे गिरते हुए जल स्तर को ऊपर लाने के लिए सिंचाई विभाग ने विभिन्न कदम उठाए है ।

6. हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु सभी भवनो जिनकी छत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक है, के लिए छतो से वर्षा के पानी को एकत्रित करने भू जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरंचनाएं बनाना अनिवार्य कर दिया है ।

7. पानी का सदुपयोग करने के लिए जनता को शिक्षित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे है ।

कैप्टन अजय सिंह यावव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में 12 जिलों का वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ और गुडगांव में वाटर लैवल 300 फीट से 700 फीट तक नीचे चला गया है। मंत्री जी आपने अपने जवाब में दिखाया है कि हरियाणा डिपार्टमेंट ने ग्राउन्ड लैवल को उपर लाने के लिए कई स्टेप्स उठाए हैं। इस बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं मंत्री जी, यह भी बताएं कि क्या वाटर मैनेजमेंट के तहत वाटर हारवैस्टिंग के लिए कार्यवाही की गई है, सरकार ने वाटर रि चार्ज करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? इसके अलावा मंत्री जी ने अपने रिप्लाइ में यह भी कहा है कि हुडा ने सभी सरकारी बिल्डिंग, जिनकी छत का एरिया 100 वर्ग मीटर से अधिक है, उसके लिए रेनवाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य कर दिया है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की बिल्डिंगज जो ज्यादा जगह घेरती हैं तो क्या उन पर भी यह लागू होता है। अध्यक्ष महोदय, बरसात के दिनों में जो पानी जमीन में चला जाए और वाटर लेवल ऊपर आ जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि टाऊन्ज में तालाबों पर जो एन्क्रोचमेंट हो रही है जिसकी वजह से वाटर से वाटर लैवल बहुत नीचे जा रहा है इसके बारे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे एरिये में ऐसी बहुत दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, दोहान पचीसी का एक ऐसा एरिया है जहां के लोगों ने वाटर लैवल की वजह से पिछले वर्ग चुनावों का

बहिष्कार किया था। क्या सरकार इस बारे में इरिगेशन के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से कोई ऐसा काम करने जा रही है जिसकी वजह से वाटर लैवल ऊपर जा सके।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता की राज्य जल संसाधन परिषद् का गठन किया है। राज्य जल संसाधन परिषद् के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बनी सम्बन्धित विभाग सदस्य है, जिसके द्वारा जल का सदुपयोग करने हेतु कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। जैसे फसलों में डायवर्सिफिकेशन करने जो हमारा जीरी का एरिया था उसको बढ़ाने न देना था। स्पिंकलर की वजह से या भूमिगत पाइपलाईन बिछाने की वजह से पानी का कम से कम उपायेग हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय कैप्टन साहब ने 100 वर्ग मीटर से अधिक वाली बात पूछी है तो इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह सरकारी बिल्डिंग्स में भी लागू होती है। इसके अलावा इन्होंने यह भी जानना चाहा है कि भूजल को ऊपर लाने के लिए सरकार क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि मुख्य ड्रेनज से भूजल रिचार्ज के लिए 13 हम्पस पहले ही बनाए जा चुके हैं। हम टेल्वर पर भी ये हम्पस बनाने का प्रस्ताव रखा है। जिनका विवरण इस प्रकार है अजिना डाइवर्जन ड्रेन से 6.76 किलोमीटर पर रैगुलेटर का हम्पस लगा दिया है, इसके अलावा एक हम्पस जिला फरीदाबाद में भी है। गांधी मुख्य ड्रेन से आर0डी0 43300 फुट पर रैगुलेटर कम हम्पस

जिला गुडगांव मे लगाया गया है, इन्द्री ड्रैन के आर0डी0 31200 फुट पर जिला करनाल मे लगाया गया है। निर्सिंग ड्रैन की 400 फुट पर यह सिस्टम बनाया गया है। नयनारा ड्रैन की आर0डी0 40000 पर जिला सोनीपत मे भी यह हम्पस लगा दिया है, इसके साथ ही नयनारा ड्रैन की आर0डी0 6000 फुट पर जिला सोनीपत मे भी यह बना दिया गया है। स्पीकर सर, ये 13 स्कीमे है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बडी बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री औमप्रकाश चौटाला जी की अध्यक्षता मे इस प्रदेस के जितने भी जोहड थे उनकी सभी की खुदवाई करवाई है जो कि पिछले समय की सरकारी के मय मे सिल्ट से भर गए थे। पिछली सरकारों ने इस बारे मे कोई ध्यान नही दिया था। हमारी सरकार ने कोई एक भी ऐसा जोहड नही छोडा है जिसमे ज्यादा नीचे तक खुदवाई करवाकर सफाई न करवाई हो। अध्यक्ष महोदय, हमने काफी एरिया बागवानी के लिए बनवाया है। हमने लोगो को दलहन की, तीलहन की फसलो को बढावा देने के लिए कहा है हमने उनको कहा है कि जीरी को ज्यादा बढावा न दे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक तो यह जानना चाहता हू कि भाहरो मे जो पुराने तालाब थे जिनको अब भर दिया गया है तो क्या इस बारे मे कोई कार्यवाही की गयी है ? खास तौर से मेरे एरिया मे एक इसी तरह का तालाब थ। लोगो ने उसको भर दिया था तो इस तरह के तालाबों को प्रोटक्शन देने के लिए सरकार

क्या कदम उठा रही है? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मंत्री महोदय ने क्रांप डायवर्सिफिके इन प्रोग्राम के बारे में बताते हुए कहा कि जो फसले ज्यादा पानी लेती हैं जैसे पैडी की फसल है तो इनका एरिया कम करने के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पानी की बचत हो सके। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि किसान इस तरह की फसल कम बोये इसके लिए क्या उनको कोई इंसेंटिव देने का विचार क्रांप डायवर्सिफिके इन प्रोग्राम के तहत है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो ड्रिप इरीगे इन हैं इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि ड्रिप इरीगे इन को बढ़ावा देने के लिए कितने केसिज में किसानों को सबसिडी दी गयी है ताकि किसानों मिनिमम पानी इस्तेमाल किया जा सके?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब ने क्रांप डायवर्सिफिके इन प्रोग्राम के तहत किसानों को मुआवजा देने के बारे में जानना चाहा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस तरह का मुआवजा किसानों को देना राज्य सरकार के स्तर पर संभव नहीं है। यह मुआवजा तो केन्द्र सरकार ही दे सकते हैं इसलिए हमने केन्द्र सरकार को लिखकर भेजी है कि इसलिए इस मामले से हमारी मदद करे ताकि क्रांप डायवर्सिफिके इन लाने के हम किसानों की मदद कर सके। जहां तक इन्होंने ड्रिप इरीगे इन के तहत स्प्रिंकलर सैट्स पर सबसिडी देने की बात पूछी है मैं इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा इस तरह के 82 हजार सैट्स लगाये गये हैं। अनुसूचित जाति के किसानों और महिलाओं को

इन पर 33 परसेंट की सबसिडी और जनरल कैटेगरी के किसानों को 25 परसेंट सबसिडी सरकार द्वारा दी जा रही है।

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, आज जो पानी का स्तर नीचे गिरने की बात कही जा रही है तो पानी का स्तर गिरने का एक मुख्यकारण यह है कि जो ट्यूबवैल आधारित सिचाई हरियाणा में हम करनी पड़ रही है उससे पानी का स्तर नीचे जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पीछे एक आकडा इस बारे में प्रकाशित हुआ था जिसमें बताया गया था कि हरियाणा प्रदेश में लगभग एक लाख के करीब विभिन्न स्थानों पर ट्यूबवैल लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इन ट्यूबवैल की निर्भरता कम करने का एक ही रास्ता है कि हम नहरी पानी प्रदेश में लगाए लेकिन कैप्टन साहब सिंह की पार्टी एस0वाई0एल0 कैनल का पानी हरियाणा में लाने ही नहीं देती है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वविदित है कि इनकी पार्टी इस कैनल का पानी हरियाणा में नहीं लाने देती। यह किसी न किसी प्रकार इस मामले में रोडे या अडचन लगाए जा रही है। (विधन)

श्री रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, आप हमारी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, कादियान साहब, आप बैठिए। (विधन) कादियान साहब, आप बैठे।

श्री रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब,.....

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप बैठे। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब,.....

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, कादीयांन साहब, आप बैठिए। विज साहब, आप कंटीयू करे।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ गलत कहा है। मैंने तो यही कहा है कि एस0वाई0एल0 कैनल का पानी इनकी पार्टी हरियाणा में लाने नहीं दे रही है। मैंने कोई गलत बात नहीं की है। यह चिन्ता ठीक ही व्यक्त की गयी है कि हरियाणा प्रदेश में पानी का स्तर गिरता जा रहा है और इस गिरते हुए स्तर को दूर करने का एक मात्र उपाय जो है वह केवल यही है कि नहरों के माध्यम से प्रदेश में पानी लाकर सिंचाई करवायी जाए। एस0वाई0एल0 कैनल का जो फैसला हमारे हक में आया है उसका पानी इनकी पार्टी हमारे प्रदेश में लाने ही नहीं दे रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या किसी और साधन से नहरी पानी प्रदेश में लाने पर विचार किया जा सकता है ?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के सम्मानित सदस्य श्री अनिल विज का जो प्रश्न था उसको अगर गहराई से देखा जाए तो यह बहुत अहम प्रश्न है। कांग्रेसी दोस्तों ने भायद इसको कटाक्ष के रूप में लिया है। गहराई से अगर आप इसको देखें। तो उनकी सोच और

मं 11 आपकी और कटाक्ष करने की नहीं थी बल्कि हरियाणा प्रदेश की जो परिस्थिति है उसके दृष्टिगत सीमित साधनों का सदुपयोग करने इस कृषि प्रधान प्रदेश के किसान को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इस और थी। हमारे पास कोई ऐसे नेचुरल जल प्रपात नहीं है, कोई ऐसे पहाड़ नहीं है जहां सर्दियों में बर्फ गिरे और गर्मियों में वह बर्फ पिघलकर हमारे प्रदेश की भूमि सिंचाई कर सके। प्राप्त साधनों में यहां तो भाखड़ा नहर का पानी मिलता है या यमुना का पानी मिलता है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह दलाल साहब, आप बैठ जाइए। मुख्यमंत्री महोदय प्रान का रिप्लाइ दे रहे हैं इसलिए आप कार्यवाही में विघ्न मत डालिये। आप बैठ जाइए और पें इस रखिए। कर्ण सिंह दलाल की कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सम्मानित सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रान का मैं उत्तर दे रहा हूँ और कुछ ऐसे सदस्य दुर्भाग्य से इन सदन में आ गए जिनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। (गौर एवम व्यवधान) जगजीत सिंह, आप भी उसी श्रेणी में हैं और इसीलिए इस सम्मानित सदन का समय समय पर ये समय बर्बाद करते हैं अनर्गल और मिथ्या बातें कह कर के। (गौर एवम व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, ये टाइम वेस्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों भी तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये इनकी सोच का विषय नहीं है। कर्ण सिंह दलाल एक सरकार से मंत्री थी और उससे पहले बड़े ही बलगबांन दावे किया करते थे कि सत्ता में आने के बाद हम आगरा कैनल का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। साढ़े तीन साल तक ये ट्रेजरी बेचिज में रहे और मंत्री रहे लेकिन इस बारे में एक लफज भी नहीं बोले, मैं उन्हीं तथ्यों को उजागर करना चाहता हूँ। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इन्हें सुनिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं तथ्यों को उजागर करने जा रहा हूँ। इनको इस बात की पीडा नहीं होनी चाहिए जो अनिल विज ने बात कही है। अगर हरियाणा प्रदेश में एस0वाई0एल0 नहर समय पर बन जाती तो उससे कितनी भूमि की सिंचाई होती, कितनी भूमि रि-चार्ज होती। मैं विपक्षी बेंचों पर बैठे हुए कांग्रेसी दोस्तों को याद करना चाहूंगा कि(गोर एवम व्यवधान)

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठे जाइए other wise, I will have to take some action . (गोर एवम व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को थोडा आर्डर मे ले आएं। मै सम्मानित सदस्यों को कहना चाहूंगा कि अपने पद की गरिमा को कायम रखे। (गोर एवम व्यवधान) कप्तान साहब, आपकी हैसियत मैने नही बिगाडी है, इन्होने बिगाडी है। इन्हे पीडा नही होनी चाहिए। यह रिकार्ड पर आधारित मामला है। अपोजी इन बैचिज पर बैठे हुए कांग्रेसियो ने इसको बिगाडा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद.....(गोर एवम व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिए।...

श्री अध्यक्ष: कप्तान साहब, आप बैठ जाए, आपकी कोई बात रिकार्ड नही हो रही है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: कैप्टन साहब, मेरा अधिकार है आप जानते नही मै जानकारी दे सकता हू। मेरा अधिकार है, आप इंटरवीन न करे। हम इस मामले पर रोनी डाल सकते है। इस मामले मे सदन को जानकारी हासिल कराना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मै दूर मे नही जाना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद जब पजाब सरकार ने उस नहर का निर्माण नही किया तो हमने सभी विपक्षी दलो की मीटिंग बुलाई थी लेकिन

कांग्रेस के सदस्यों ने उस मीटिंग का बायकाट किया था। अध्यक्ष महोदय, दूसरी मर्तबा जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जब पंजाब सरकार ने उस नहर का निर्माण नहीं किया। तो हमने सभी विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई थी लेकिन कांग्रेस के सदस्यों के उस मीटिंग का बायकाट किया था। अध्यक्ष महोदय, दूसरी मर्तबा जब सर्वोच्च न्यायालय में 4 जून, 2004 को..... (गोर)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठ जाइये मामला रि चार्ज पानी से ही होता है आप बैठ जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर.....

श्री अध्यक्ष: कोई रिकार्ड न किया जाये। आप बैठ जाइये।

चौ० भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: कोई रिकार्ड न किया जाये। आप बैठ जाइये।

चौ० भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: कोई रिकार्ड न किया जाये। आप बैठ जाइये। चौधरी भजन लाल जी, आप बैठ जाये आपको बोलने की इजाजत किसने दी है?

चौ० भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,.....

वित्त मंत्री (प्र० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरी आप से प्रार्थना है कि अभी हाउस स्टार्ट ही हुआ है परन्तु हाउस की कार्यवाही ठीक तरह से नहीं चल रही है। कितना पैसा हाउस की कार्यवाही पर खर्च होती है परन्तु विपक्ष के सदस्य सीरियस नहीं है। आप इनको सीरियस बनाये। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अकेले ये ही नहीं है सुनने के लिए सब को ज्ञान की आवश्यकता है सब को जानकारी चाहिये, सारे हाउस को जानकारी चाहिये, सभी लोगों को जानकारी चाहिए और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में देंगे वह जानकारी सारे स्टेट में जायेगी।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, बैठ जाये, इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: मैं जवाब ही नहीं दे रहा हूँ बल्कि इस बात से आगाह भी कर रहा हूँ कि जब पंजाब की सरकार ने इस नहर का निर्माण नहीं किया और केन्द्र में आपकी सरकार थी आप केन्द्र की सरकार को मजबूर करके उस कानून को निरस्त करा सकते थे। अध्यक्ष महोदय, फिर 4 जून, 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने जब नये सिरे से इस नहर के निर्माण लिए केन्द्र की सरकार को निर्देश दिए उसी समय सदन का हमने

अधिवे 1न बुलाकर जब सर्वसम्मत रेजोलू 1न मूव किया था उसी वक्त कांग्रेस के सदस्य सदन वे वाक आउट करके चले गये थे ।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,

Dr. Raghbir Singh Kadina: Speaker Sir, Under Rule 57 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I demand Half an hour discussion on this discussion on this topic. (Interruption)

श्री अध्यक्ष: इनकी कोई बात रिकार्ड न किया जाए। आप बैठ जाइये। आप मेरे चैम्बर मे आ जाना मैं आपको रिकार्ड दिखा दूंगा, यह रिकार्ड तो सदा के लिए रहेगा। बस आप अपने किए हुए पर पछताइये और बैठ जाइये।

चौ० भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: कोई रिकार्ड न किया जाये। आप बैठ जाइये। हाफ एन आवर होने जा रहा है, 25 मिनट हो गये है। आप क्वै चन आवर की इंटरप् 1न को रोक दीजिए, अपने आप ठीक हो जायेगा। आप बैठ जाये। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री ओम प्रका 1 चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इनको तकलीफ बडी होती है लेकिन ये असलियल को जानने की को 1 1 करे। मुद्दा एस०वाई०एल०, नहर का और रैली दिल्ली मे करने जा रहे है जेल भरने की बात करने जा रहे है। जेल

भरने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, त्याग पत्र के लिए आपको टेलीफोन करते हैं चौधरी भजन लाल जी कि हम इस्तीफा देगे। अध्यक्ष महोदय, आप अपना बहुमूल्य समय खर्च करके दफतर मे बैठे और ये इस्तीफा देने भी नही आए। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सब बैठे, यह मामला चौधरी भजन लाल जी का और मेरा है। मुझे भजन लाल जी ने टेलीफोन किया था कि स्पीकर साहब, आप कहा है, मैंने कहा कि मैं दिल्ली में हूँ। भाई जसविन्द्र जी और अभय सिंह जी भी मेरे साथ थे। इन्होंने कहा हम 26-27 एम0एल0एज0 इस्तीफा देना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं पैन में स्याही भरकर अभी चण्डीगढ़ चलता हूँ 11.00 बजे मेरे दफ्तर में आ जाना मैं बाद देखता रहा लेकिन कोई नहीं आया। भजन लाल जी, आप बताएँ, मैंने आपकी बात को माना या नहीं माना, आपने टेलीफोन किया या नहीं किया ?

चौ० भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है वही सही है। अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आपने मान लिया है ठीक है तो अब आप बैठिए। (विघ्न) भजन लाल जी की अब कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए (गोर एवम व्यवधान) मैं भजन लाल जी के कहने से चण्डीगढ़ आ गया था, मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रैजिडेंट ने कहा था और उनके कहने से मैं चण्डीगढ़ दफ्तर में आ गया। (गोर एवम व्यवधान) मैं स्पीकर किसका हुआ, ये आप देख लो। मुझे भजन लाल ने फोन किया और मैं तुरत आ गया।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगो ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वे कहने लगे कि हम इस झूठे के भरोसे फस गए। इन्होंने ये बेचारे 6

भाहीद करवा दिए, वे बैंच आज खाली पडे है। आपने तो कुछ करना ही नहीं था। ये बेचारे गरीब मरवा दिए। आपने अपने आदत ठीक परचाई, इन पर तो अरार नहीं हुआ, ये तो समझते थे लेकिन वे पंछी फंस गए और पार गए। अध्यक्ष महोदय, इनको एस0वाई0एल. कैनाल की पीडा है। लेकिन मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा कि ये इस मामले में सीरियस नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठे। कर्ण सिंह दलाल की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री जगजीत सिंह सांगवान: सर, यह मामला क्वै चन आवर के बाद ले लिया जाए तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: सांगवान साहब, आप बैठिए, पानी का मामला बहुत ही अहम मामला है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, नहर तो निश्चित रूप से बनेगी। एस0वाई0एल0 केनाल हरियाणा की जीवन रेखा है इसलिए यह तो बनेगी। लेकिन आप लोगों की वजह से इसके बनने में देरी हो गई। यदि आपकी राय होती तो यह बहुत पहले बन सकती थी। (गोर एवम व्यवधान) आप अपराधियों की श्रेणी में हैं। हरियाणा की जनता आपको माफ नहीं करेगी। (गोर एवम व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय,

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह दलाल और कैप्टन साहब आप बैठिए, आप सुनने की हिम्मत रखे, मैं आपको वार्न करता हू।
(तोर एवम व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: भजन लाल जी, आप अपनी हैसियत में रहोगे तो टिकोगे, थोड़ा सा कंट्रोल में रही और सदन की गरिमा का ध्यान रखो। (तोर एवम व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बैठिए। भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, मैं आपको भी वार्न करता हू कि आप सदन का समय बरबाद न करे, कादियान साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए। आप बैठ जाए other wise, I will have to take some action . (तोर एवम व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी बीमाद आदमी है इसलिए मैं इनको ज्यादा परे पान नहीं करना चाहूंगा। ये एस०वाई०एल० कैनाल की बात तो छोड़े यह

बात इनके बस की नहीं है, इन्होंने तो सारा खेल ही बिगाड दिया। दादूपुर नलवी नहर स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के मुख्यमंत्री काल में भुरू की गई थी लेकिन बाद में चौधरी भजन लाल जी की सरकार आ गई और इन्होंने उस नहर का काम कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। कहां गई वो नहर? (विधन)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: तो किसने रखा था?

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें। आप पहले पूरी बात तो सुन लें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने उस नहर की फाईल को उन्हें बस्ते में रख दिया था। अब हमारी सरकार ने नये सिरे से उस नहर को बनाने का निर्णय लिया है और अक्टूबर के महीने में उस का काम भुरू करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद पांच सालों के अर्से में 117 नये माइनर और डिस्ट्रिब्यूट्रिया निकाली है। हम पानी की एक एक बूंद को इस्तेमाल करने के पक्षधर हैं। हमने उन नहरों में पानी चलाने का काम किया है जो भाखडा सिस्टम से सैहराब होती थी। हम तो बरसात के दिनों में यमुना नदी का पानी खराब न जाये उसके इस्तेमाल करने के लिए एक नई नहर बनाना चाहते हैं और उससे

अहीरवाल क्षेत्र की सिंचाई करने के पक्षधर है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कमी कमार जाने अनजाने में ऐसे लोग सतरा में आ जाते हैं जिनके सामने प्रदेश का हित कुछ नहीं है। इन लोगों ने प्रदेश को पूर्ण रूप से बरबाद कर दिया है। ये लोग अपराधियों की श्रेणी में भुमार हैं कभी भी हरियाणा की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार की सोच यह है कि हम एक एक पानी की बूंद का इस्तेमाल करेंगे। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी प्लीज आप बैठें। इनकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जाये।

तराकित प्रान संख्या 1824

यह प्रान पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भागीराम जी सदन में उपस्थित नहीं थे।

Construction of Community Lavatory for Women

1825. Abhay Singh Chatala: & Smt. Vidya Beniwal: Will the Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that community Lavatories for women are being constructed in the State, if so the criteria fixed for the purpose together with expenditure to be incurred on the construction of a such lavatories; and

(b) the total number of the lavatories as referred to in part (a) above has been constructed so far in the state.

मुख्य संसदीय (श्री रामपाल माजरा):

(क) जी हां, श्रीमान जी। इस उद्देश्य के लिए यह मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं कि ग्राम पंचायत 250 से 300 वर्ग गज जमीन बिना मूल्य के उपलब्ध करवाएगी तथा भविष्य में परिसर की सफाई तथा रखरखाव की जिम्मेदारी लेगी। एक परिसर की अनुमानित कीमत 15000 रूपए है, जिसमें 20 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत वहन करेगी।

(ख) राज्य में अब तक 19 महिला परिसरों का निर्माण किया जा चुका है और 57 निर्माणधीन हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन ग्राम पंचायतों के पास साधन नहीं हैं और सुलभ भाँचालय बनवाने के लिए 20 प्रतिशत हिस्से के पैसे देने के लिए नहीं है जिसका कि जिकर मंत्री जी ने किया है तो क्या उन गांवों प्रकार की कठिनाई और दिक्कत न हो?

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने जो प्रश्न किया है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा बन्धन के दिन 30 अगस्त, 2004 को प्रत्येक गांव में सुलभ भाँचालय बनाने की स्कीम का शुभारम्भ किया है। इस स्कीम के तहत राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य अदायकों से पैसा लेकर प्रापधान करेगी कि जहां पर पंचायत के पास 20

प्रति 100 पैसा देने के लिए नहीं है वहां पर भी सरकार इस प्रकारके भौचालय बनायेगी।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यह निर्णय सरकार ने बहुत सोच समझकर लिया है। पहले प्रदेश में सुलभ भौचालयों के नाम पर इस प्रकारके भौचालय बनाये गये थे कि जिनमें यदि कोई महिला एक दफा भौच के लिए चली जाये तो दोबारा उसमें कोई नहीं जाता था क्योंकि उनमें साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब मौजूदा सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस प्रकारके भौचालय हर गांव में बनायेगे और खुल्ले में बनायेगे। उनमें 6-6 फिट की दीवारें चारों तरफ बनायेगे और उसके अंदर 12 भौचालयें होंगे जिनके दरवाजे भी लगायेगे। इसके अलावा एक महिला भी तनख्वाह पर रखेंगे जो इनकी साफ सफाई करेगी और पानी भरेगी। जिन गांवों के पास 20 प्रति 100 पैसा देने के लिए नहीं है वहां भी हम ये भौचालयें बनवायेगे चाहे हमें किसी और गद में कटौती करनी पड़े। हम महिलाओं को पूरी सुविधाएं देंगे और उन्हें सम्मानजनक तरीके से जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करेंगे।

राव दान सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि यह जो स्कीम कम्युनिटी लैबोर्ट्री की बनायी है यह गांव तक ही सीमित रहेगी या कस्बों में भी इसका प्रावधान रखा जायेगा? मेरे क्षेत्र के अन्दर 3-4 मौहल्ला के

अन्दर इतना भारी किल्लत है कि वहां पर महिलाओ के लिए लैटरिंग की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे कस्बो मे सरकार कोई गौर फरमाया रही है। ताकि महिलाओ को किसी प्रकार की दिक्कत न हो?

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हर हिस्से मे बडे बडे भाहर है और वहां पर सिवरेज सिस्टम है, सैल्फ भाौचालय है। वहां पर कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं है। जहा पर इस प्रकार की कठिनाई दर पे ा आएगी वहां पर हम एक गांव मे केवल एक भाौचालय ही नहीं बनाएगे बल्कि अगर कही की ज्यादा आबादी है तो हवां पर अगर कोई भाौचालय बनाने पडेगे तो वह भी सरकार बनाएगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इस सवाल पर सप्लीमैन्ट्री करने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और जानना चाहूंगा कि सरकार ने स्टेट के अन्दर यह बहुत अच्छी स्कीम लागू की है। कई स्थान ऐसे है जहा पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन का ध्यान आकर्शित करना चाहता हू कि फरीदाबाद जो हमारा म्यूनिसिप्ल कारपोरे ान है वह हरियाणा मे अकेला कारपोरे ान है। वहां कई लाख आदमी फ्लोटिंग पापूले ान के आते है। वहां पर बहुत सारी झुग्गी झोपडी है, रेलवे लाईन है व पार्क आदि है। वहां पर आज हालत यह है कि मलमूत्र की बडी भारी दुर्गन्ध आती

है। वहा पर हुडा की तरफ से सैक्टर 12 मे बहुत अच्छा पार्क डिवैल्प किया है। इस पार्क के चारो तरफ बहुत गन्दगी है। चाहे तो आप किसी सीनियर अधिकारी को भेज कर इस बारे मे पता करवा सकते है। इस पार्क के चारो तरफ कई हजार आदमी जो लेबर के रूप मे गरीब आदमी है वहां टायलेट के लिए बैठ जाते है। मै जानना चाहता हू कि क्या वहां पर कोई ऐसी सुविधा करेगे जिससे उस पार्क की सुन्दरता बनी रहे चाहे इसके लिए आपको सिवरेज डालना पड या लैबोर्ट्री सिस्टम लागू करना पडे? मेरा निवेदन यह है कि इसको गम्भीरता से ले नही तो वहां पर बीमारी फैलेगी। हुडा का 12 सैक्टर का वहां का पार्क सारे हरियाणा मे सबसे अच्छा पार्क है। उस पार्क मे चौधरी देवी लाल जी का स्टैच्यू भी लगा हुआ है। वहां पर 8-10 हजार आदमी रोजना सैर के लिए आते है। उसके चारो तरफ कई हजार लोग ओपन मे लैटरिंग व टायलेट करते है। वहां पर भारी बदबू आती है जिस कारण आप वहां से निकल नही सकते। मेरा निवेदन है कि क्या सरकार इस तरफ कुछ ध्यान देने का कश्ट करेगे?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है सरकार की तरफ से पहले से तय है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की सुविधा दी जाये। यह तो आम लोगो की सोच है कि कौन कहां पर लघु भांका और दीर्घ के लिए बैठ जाए। हमने इसके लिए कुछ अच्छे व्यक्तियो का चयन किया था कि आप उन लोगो को समझाइए।

जब उनको थोडा बहुत एजूकेटिड किया तो वे उधर चले गए। स्थितियों बदलती रहती है। इसमें लोगो की इन्वोल्वमेंट करना जरूरी है। इनको बडा तुजर्बा है, सब कुछ सीरवा और बाद में सारा मलियामेट कर दिया। (हंसी)

Increase in the Power Generation

1828. Dr. Malik Chand Ghambir & Sh. Balbir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken to increase the power generation in the state; if so, the detail thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): सरकार ने हरियाणा पावर जनरे इन कार्पो इन द्वारा संचालित अपने उत्पादन केन्द्रो की वर्तमान क्षमता को बेहतर उपयोग करके तथा नये विधुत उत्पादन प्लांटो को स्थापित तथा चालू करके उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करते हुए राज्यो में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी है।

हरियाणा पावर जनरे इन कार्पोरे इन अगस्त, 1998 में अस्तित्व में आया। 1998-99 से 2003-04 तक राज्य में बिजली के उत्पादन में लगभग 85 प्रति गीत हुई। उत्पादन केन्द्रो का प्लान्ट लोड फैक्टर भी 1998-99 के दौरान 49.24 प्रति गीत से बढ़कर 2003-04 के दौरान 74.91 प्रति गीत हो गया।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र गीत है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप अपनी सीट पर बैठे।
(गोर एवम व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप अपनी सीट पर बैठे।
(गोर एवम व्यवधान) इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं है,
इसलिए आप अपनी सीट पर बैठे। (गोर एवम व्यवधान) कादियान
साहब, जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। कैप्टन
साहब, आप इनको इनकी सीट पर बिठाए। (गोर एवम व्यवधान)
डाक्टर साहब, आप बैठ कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (गोर
एवम व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, जो रिटन रिप्लाइं
इनको दिया गया है वह इनको पढ़ना पड़ेगा। (गोर एवम
व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर इन्हें इस बात का पता नहीं है तो
यह इस बारे में दूसरों से पूछ सकते हैं। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माजरा साहब, आप अपनी रिप्लाइं जारी
रखें। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, तारु देवी लल
थर्मल पावर स्टे 1न, पानीपत की 210 मेगावाट की छठी इकाई
को 31.3.2001 को चालू किया गया। पश्चिमी यमुना नहर पन
बिजली परियोजना के चरण-2 के अन्तर्गत दो इकाइया, प्रत्येक 7.

2 मैगावाट क्षमता की, क्रम T: 16.4.2004 तथा 12.5.2004 को चालू दी गई। ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टे 1न, पानीपत की 110 मैगावाट यूनिट-2 जो कि 21.1.1999 से बन्द पडी थी, को मार्च, 2003 के दौरान पुनः चालू किया गया। ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टे 1न, पानीपत में 250-250 मैगावाट क्षमता की दो इकाईया 7 एवम 8 का निर्माण पूर्ण होने की अग्रिम अवस्था में है ये दोनों इकाईयां दिसम्बर, 2004 तक रिकार्ड समय में चालू होनी सम्भावित है। इकाई 7 पहले ही 28.9.2004 को चालू की जा चुकी है। इस प्रकार मार्च, 2001 से दिसम्बर, 2004 के बीच में राज्य में 834 मैगावाट की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं में 1999 से 2004 तक राज्य के हिस्से में 515.20 मैगावाट बिजली उपलब्धि में वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने 500 मैगावाट से 600 मैगावाट के बीच की क्षमता के यमुनानगर थर्मल प्रोजैक्ट चरण-2 को स्थापित करने की भी स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना का निर्माण कार्य अति भीघ्न भुरू किया जायेगा।

श्री कृष्णलाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सी0पी0एस0 महोदय ने अभी आउस को अवगत करवाया है कि ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टे 1न, पानीपत के 250-250 मैगावाट के सातवे और आठवे यूनिट्स हो गए हैं। 25 सितम्बर, 2004 को चौधरी देवी लाल जी के जन्म दिवस पर कल 28.9.2004 को 7वे यूनिट को सिक्रानाईज कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहूंगा कि 7वीं यूनिट कब तक 250 मैगावाट का उत्पादन दे देगी तथा 8वीं यूनिट कब तक सिक्रानाईज होकर फुल लोड पर आ जाएगी? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि यदि किसी थर्मल पावर स्टेन का लोड फैक्टर 1000 मैगावाट या उससे ज्यादा हो जाता है तो भारत के मानचित्र पर वह सुपर थर्मल पावर प्लांट के तौर पर आ जाता है। क्या माननीय सीपीएसई महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है?

मुख्य मंत्री (श्री अमर प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक भूमि सूचना से अवगत करवाना चाहूंगा। तारु देवी लाल थर्मल पावर प्लांट की 7वीं यूनिट 250 मैगावाट की है और कल सुबह 7 बजे कर 20 मिनट पर इसको चालू कर दिया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को यह प्रोजेक्ट इस भारत के तहत सौंपा गया था कि 36 महीने में वे इसको तैयार करने देंगे। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार को यह श्रेया जाता है और खासतौर से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बधाई की पात्र है कि जो काम 36 महीने से पहले नहीं हो सकता था उन्होंने उस काम को 30 महीने में मुकम्मल करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत प्रदान की है। 31 दिसम्बर, तक 250 मैगावाट की आठवीं यूनिट भी तैयार हो जाएगी। जब दोनों यूनिट्स इस साल के अन्त तक तैयार हो जाएगी तो हरियाणा प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगी। अध्यक्ष

महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि यमुना नगर पावर प्लांट की भूखूआत चौधरी देवी लाल जी के मुख्य मन्त्रित्वकाल में की गई थी और चौधरी भजन लाल जी के मुख्यमंत्री जी बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को कोल्ड स्टोरेज में लगा दिया गया था। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उस वक्त के केन्द्र के प्रधान मंत्री श्री० पी०वी० नरसिम्हा राव जी ने फरीदाबाद से यमुना नगर थर्मल पावर प्लांट की रिमोट कंट्रोल के द्वारा आधारित रखा रखी थी। विघ्न

15.00 बजे

यह कब रखी थी, आपको पता है। वह कब रखी गई थी। (विघ्न) रिमोट कंट्रोल द्वारा रखी हुई आधारित रखा का जो हथ होना था, वह आपके सामने है। अब कल भाम को हमने नए सिरे से उसके बीच में ग्लोबल टैण्डर काल करके उसको नए सिरे से फाईनल कर दिया है। अब उसको 600 मैगावाट का बनाने जा रहे हैं। हमने 3495 के हिसाब से यानि कि आज तक जितने भी थर्मल प्लांट के ठेके दिए गए हैं हमने उन सबसे कम रेट पर ठेका दिया है और जिनको ठेका दिया है उनसे भी भारी रखी है कि 30 महीने के अन्दर अन्दर वे हमें 600 मैगावाट बिजली पैदा करके देंगे। आप इसी से अन्दाजा लगाए कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है। आज हरियाणा में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, चाहे वह नहर की हो या चाहे बिजली की हो। चाहे वह दादूपुर नलवी से हो सरकार को यह श्रेय देना चाहिए कि हम बाजार में बाजरा 500

रूपए क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे है। हमने पैडी भी कल से खरीदनी भारु कर दी है। आपको इस बात से और ज्यादा खुशी रहे है कि गरीब आदमी मोटा अनाज इस्तेमाल करता है। (विधन) मैं आपको बताना चाहूंगी कि मक्की है, बाजरा है, और ज्वार है, उसके आटे पर 10 प्रतिशत टैक्स लगा हुआ था, वह टैक्स भी हमने माफ कर दिया है ताकि गरीब आदमी को सस्ते दाम पर अनाज मिल सके। हमारी एक सोच है कि किस तरह से गरीब आदमी को फायदा दिया जा सके। मौजूदा सरकार ने आज ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर एक निर्णय लिया है। हमारी पार्टी प्रोपूअर, प्रोपिजैन्टरी और प्रोफार्मर है। हम चाहते है कि कृषि प्रधान देश का जो कृषक है वह सम्पन्न हो, समृद्ध हो और खुशहाल हो। हम तो आपके पिछले कांटे चुनने में लगे हुए है और इस सबके बावजूद भी हम लोगों को राहत प्रदान कर रहे है। (विधन)

Introducing of Slab System

1831. Sh Lila Ram: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that the rate of electricity charges is higher in the following villages of district Kaithal:-

(b) Barot; (ii) Teek; (iii) Geong; (iv) Shergarh; (v) Devigarh; (vi) Dodhkheri; (viii) Seelakhera, (viii) Patti Chaudhary; and (ix) Francewala; and

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): नही श्रीमान जी, कृषि बिजली टैरिफ की वर्तमान स्लैब प्रणाली राज्य मे मई 1998 से अस्तित्व मे रही है। टैरिफ स्लैब को लागू करना एक पटवार सर्कल मे बहुतायत नलकूपो की गहराई द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रान मे उद्धृत गावों मे लागू टैरिफ निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	गावो के नाम	टैरिफ स्लैब दरे रुपये / बी०एच०पी० / मास	पटवार सर्कल का नाम
1.	बरोट	63.00	टीक
2.	टीक	63.00	टीक
3.	गियोंग	48.00	गियोंग
4.	भोरगढ	48.00	पट्टी खोदरा
5.	देवीगढ	48.00	पट्टी खोदरा
6.	ड्योढ खेडी	104.00	सेग्गा
7	ड्योढ खेडी	104.00	पट्टी चौधरी
8.	पट्टी चौधरी	104.00	पट्टी चौधरी
9.	फ्रान्सवाला	48.00	पट्टी कोथ

नलकूपो के लिए स्लैब प्रणाली की समीक्षा करने का मामला राज्य सरकार के विचारधीन रहा था जिस ने टैरिफ दरों के सरलीकरण के लिए उच्च अधिकारी समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पचास नलकूपो की बिना मीटर श्रेणी के लिए 35 रूपये प्रति बी०एच०पी० प्रतिमास तथा मीटर श्रेणी के लिए 25 पैसे यूनिट की समान दरे 15 अगस्त 2004 से लागू की जा रही है।

श्री लीला राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश के किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए नलकूपो की बिना मीटर श्रेणी के लिए 35 रूपये प्रति बी०एच०पी० प्रतिमास और जिन्होंने टयूबवैल्ज पर मीटर लगाए हुए हैं उन पर 25 पैसे प्रति यूनिट का रेट लगाया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे हरियाणा प्रदेश के किसान को बहुत राहत मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए हरियाणा सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: नैक्सट प्रश्न। (विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष: जिस मैम्बर ने प्रान पूछा था उसकी तसल्ली हो गई है। वह सैटीसफाई हो गया है आपको इससे क्या लेना देना है? (विघ्न) नहीं नहीं आप बैठ जाएं। (विघ्न) कन्सन्ड मैम्बर सैटीसफाई है और सरकार का धन्यवाद कर दिया है तो मेरा इस बारे में किसी और को सप्लमेंटरी पूछने के लिए कहने की कोई बात नहीं है। (विघ्न) नहीं नहीं आप बैठ जाएं। आपन अपने प्रान क्यों नहीं देते है? (विघ्न) आपने प्रान नहीं दिया होगा तभी तो लगा नहीं है। अगर दिया होगा तो जरूर लगा होगा। (विघ्न) कैप्टन अजय सिंह यादव से पूछो उनको दो दो प्रान लगे है। (विघ्न) आप बैठ जाएं। डा० साहब, आप जो भी बोल रहे है वह कुछ रिकार्ड नहीं हो रहा है। (विघ्न) आपने प्रान रिजैक्ट करने वाले होंगे तो ही तो रिजैक्ट करे होंगे। (विघ्न) रमे ा खटक जी, अब आप अपना प्रान पूछे। (विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुने।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, आप बैठिए अब अगला प्रान होगा।

Repair of Roads

1833. Sh. Ramesh Kumar Khatak: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads in Boards constituency:

(i) Sapurtkheri Gangan (ii) Butana-Gangana (iii) Jind Road, Gohana-Jagsi via Bichpari; and (iv) Widending of Julana- Gohan Road?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): हां, श्रीमान जी।

श्री रमे 1 खटक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी0पी0एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे बडोदा हल्के मे इ 11पूरखेडी से गंगाण, बुटाना से गंगाण, जींद सडक, गोहाना जागसी वायी बिचपडी को बनाने और जुलाना गोहाना सडक को चौडा करने की कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी और इन पर कितना खर्च आएगा?

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदे 1 मे ही सडको को जो जाल तंत्र है उसे बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छे ढंग से ठीक किया गया है और बडौदा हल्का भी उससे अच्छा नहीं रह सकता। मेरे साथी ने जो प्र 1न किया है उसका तो जवाब खैर उनको पता भी है क्योंकि उनके हल्के मे बहुत अच्छी सडके बनायी गयी है। जो इ 11पूरखेडी से गंगाण की सडक है वह 4.10 किलोमीटर की है इसकी 28.5.2005 तक रिपेयर कर दी जाएगी और इस पर 17.19 लाख रूपये खर्च होंगे। यह सडक मार्केटिंग बोर्ड की है। इस तरह से बुटाना से गंगाणा की सडक 5.20 किलोमीटर की है और इस पर 6.58 लाख रूपये खर्च होंगे तथा दिसम्बर, 2004 तक इसकी कारपेटिंग कर दी जाएगी। जींद

सडक, गोहाना-जगाधरी वाया खिचडी का भी टैंडर फलोट कर दिया गया है। इस पर 8 करोड 28 लाख 69 हजार रूपया खर्च होगा। इस सडक की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्पुवल मिल गयी है इसलिए इस पर बहुत जल्द काम भुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह से जुलाना गोहाना सडक को चौडा करने की बात है, यह 37.35 किलोमीटर सडक है इस पर 5 करोड 91 लाख 61 हजार रूपये खर्च होंगे और यह अप्रैल 2005 तक पूरी कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सडको की रिपेयर पर पूरे प्रदे 1 में 1220 करोड रूपये का खर्च किये गये है। इसके अलावा राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर 404 करोड रूपये खर्च किये गये है। आज हरियाणा प्रदे 1 की सडक पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे दे ों के मुकाबले की ज्यादा उच्च स्तर की है जो कि बडे ही गर्व की बात है अगर किसी भाई के पास जहाज हो तो वह इन पर जहाज भी उडा सकता है।

चौ० नफे सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदे 1 के अनुसार दिल्ली के अदर से बडे व्हीकल्ज क्रास नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदे 1 के मद्देनजर कोई सुपर हाई वे बनाने जा रही है? मुझे अखबारों के माध्यम से पढने को मिला है कि यह हाई वे दुनिया का सबसे चौडा हाईवे होगा। अगर सरकार का इस तरह को हाई वे बनाने का विचार है

तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस पर कब से कार्यवाही शुरू होने जा रही है ? (विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुन नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठ जाएं। (विधन)

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, डा० साहब और कर्ण सिंह आपसे अब यह पूछ रहे हैं कि वर्निंग के बाद आपको अगला कदम क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में हम पलवल से लेकर कुंडली तक एक एक्सप्रेस हाईवे बनाने जा रहे हैं। यह एक्सप्रेस हाईवे भायद हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी हाईवे होगी। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, बहुत जल्द हम इस पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इस सड़क के बनने के बाद हरियाणा पूर्ण रूप से विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि उस सड़क के दोनों तरफ उद्योग धंधे स्थापित होंगे, व्यापारिक संस्थान स्थापित होंगे और लोगों को आवागमन की ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें होंगी।

Amount Sanctioned/Released by the H-R-D-F Board

1834. Sh. Bhagwan Sahai Rawat: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the date on which HRDF Board was constiuted and;

(b) the details of the amount sanctioned/released by the said Board for the developed work in rural areas of the State upto July, 1999 and during the period for August, 1999 to 30th June, 2004?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): श्रीमान जी ।

(क) दिनांक 15 जनवरी, 1987 को ।

(ख) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्र ासन बोर्ड द्वारा जुलाई 1999 तक 37484 करोड रू0 स्वीकृत किए गए तथा 337.43 करोड रू0 राि ा जारी की गई । अगस्त 1999 से 30 जून 2004 तक बोर्ड द्वारा 81736 करोड रूपये की राि ा स्वीकृत की गई जिसमे 72178 करोड रूपये की राि ा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों के लिए जारी की जा चुकी है ।

श्री भगवान सहाय रावत: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माजरा साब ने जो उत्तर दिया है उसमे जो स्पष्ट तुलनान्मक दृष्टि से अवधि और पैसे के खएर्च की राि ा द ाई गई है, उसके लिए धन्यवाद करते हुए मै कहना चाहूंगा कि जनवरी 1987 से जुलाई 1999 तक 12 वर्ष की अवधि बनती है उस 12 वर्ष की अवधि के लिए 37484 करोड रूपये की राि ा स्वीकृत की गई व 33743 करोड रूपये की राि ा जारी की गई

और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री ओमप्रकाश चौआला जी के द्वारा संता संभालने के बाद सिर्फ पांच वर्ष की अवधि में 817.36 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई व 721.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, इसे यदि मैं मैथमैटिक्स की दृष्टि से देखता हू तो इसमें बहुत भारी अंतर पाता हू। **इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि 15 जनवरी, 1987 को गठित जो ग्रामीण विकास निधि प्रासासन बोर्ड है इसके अर्न्तगत किन किन स्कीम्स में सबसे अधिक यह राशि विकास के लिए खर्च की गई है। इसको क्रमवार मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे?

श्री रामपाल माजरा: उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास निधि प्रासासन बोर्ड द्वारा अपनी मीटिंग में यह तय किया गया है कि विभिन्न स्कीमों के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। यह कार्यक्रम विकास के लिए एक मील पत्थर साबित हुआ है। माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि यह राशि किन किन मदों में दी जाती है, मैं बताना चाहूंगा कि गांव की गलियों के निर्माण के लिए यह राशि दी जाती है। गांव की गलियों के निर्माण के लिए अब से पहले यह देखने में आता था कि बहुत बड़े बड़े भाहरो जैसे बम्बई, कलकता और चण्डीगढ़ जैसे भाहरो में सीमेन्ट की गलियां बनती थीं। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी वजह से और हरियाणा प्रदेश की सरकार के मुखिया श्री चौआला जी की वजह से गांव के कीचड़ भरे रास्तों में सीमेन्ट की गलियों का निर्माण हो सका

है। इसके अतिरिक्त स्कूल जो शिक्षा के मंदिर होते हैं उन स्कूलों के कमरों का, स्कूल की चारदीवारी का निर्माण भी इसकी राशि से किया गया है। इससे पहले उन स्कूलों की हालत ऐसी थी कि उनमें बच्चे बैठ नहीं सकते थे। अब स्कूलों की हालत इस प्रकार की है कि वहां की मनमोहक बिल्डिंग बच्चों को खुद वहां बुलाती है और बच्चे उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं आज एच0आर0डी0एफ0 की वजह से स्कूल फाइव स्टार होटलों जैसे हो गए हैं इसके अलावा गंदे पानी की डिस्पोजल के लिए नाला, सामान्य चौपालों के निर्माण के लिए, नयी हरिजन चौपालों के निर्माण व मरम्मत के लिए, बैकवर्ड चौपालों का कम्पलीटन, हरिजन चौपाल की चार दीवारी, बैकवर्ड चौपाल की चार दीवारी चौधरी देवी लाल जी के सपने को साकार करती है। कुछ वर्ग पिछड़े हुए थे। और उनका भादी विवाह के लिए और बारात के लिए चौपाल बनाने और चौपालों को कम्पलीट करने के लिए, उनको सजाने के लिए ग्रामीण विकास निधि से पैसा दिया गया है और मेरे ख्याल से रिकार्ड तोड़ चौपाले इस भासन काल में गरीबी की बस्तियों में बनाई गई है। इसी प्रकार से पंचायत घर, पंचायत घर की चार दीवारी, पंचायत घर का कम्पलीटन और मरम्मत, भामान घाट कब्रिस्तान की चार दीवारी, भामान घाट को जाने वाला रास्ता, भामान घाट के भौड का निर्माण, हाडा रोडी की चार दीवारी, जोहड में पानी भरने के लिए खाल, स्कूल की चार दीवारी, स्टाफ रूम, साईंस रूम, रिटेनिंग वाल, ग्रामीण सडके, जल वितरण, गऊ घाट, आयुर्वेदिक डिसपैसरी, सार्वजनिक स्थानों पर

जाने वाले रास्ते, पार्क, कम्यूनिटी सेंटर, नई डिस्पैसरी, एस0एन0सी0 प ु डिस्पैसरी, एस0एन0सी0 की चार दीवारी, एस0एन0सी0 की मरम्मत, नया प ु अस्पताल, प ु अस्पताल की चार दीवारी, प ु अस्पताल की मरम्मत, ग्रामीण स्वच्छता व अन्य काम करवाने का काम भी ग्रामीण विकास निधि की राशि से किया है।

श्रीमती अनिता यादव: डिप्टी स्पीकर सर, मैं माननीय सी0पी0एस0 महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहती हू कि ढालनवास गांव में कोई हरिजन चौपाल नहीं है और मुढाडा में जो हरिजन चौपाल है उसका अभी तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: अनिता जी, आपका प्रश्न एच0आर0डी0एफ0 से संबंधित नहीं है।

श्री रामपाल माजरा: डिप्टी स्पीकर साहब, इनका यह प्रश्न से संबंधित नहीं है ये अलग से इस बारे में नोटिस दे दे। फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की हुई है कि कोई भी हरिजन चौपाल, कोई भी बैकवर्ड चौपाल, कोई भी स्कूल की बिल्डिंग और चार दीवारी का कम्पलीट न और उसकी बाकी नहीं रहेगी सबका काम कम्पलीट कर दिया जायेगा। अगर ऐसी घोषणा के बाद वहां चौपाल का एस्टिमेंट वगैरहा बन गया तो हमें बता दे वह भी कम्पलीट कर दिया जायेगा।

Communication System of Police Department

1837. Sh. Rambir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or likely to be taken to provide effective communication system in the Police Department; if so, the details thereof?

मुख्यसंसदीय (श्री रामपाल माजरा): श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

पुलिस विभाग की मौजूदा संचार प्रणाली को सुदृढ बनाने, ध्वनि एवम डाटा सीगनान्तरण करने के लिए कम्प्यूटकृत संचार प्रणाली जिसे वाईड एरिया नेटवर्क वैन का नाम दिया गया है। पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के तहत स्थापित की जा रही है। इस योजना के अधीन राज्य पुलिस मुख्यालय पंचकूला, सभी पुलिस मण्डल कार्यालया, जिला मुख्यमालय, हरियाणा भवन, नई दिल्ली एवम् हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ को भारत संचार निगम लिमिटेड से किराये पर ली गई वी0पी0एन0 से परस्पर जोडा जायेगा।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार एक उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क स्थापित करने जा रही है जिसे पोलनेट के नाम से जाना जायेगा। इस प्रणाली द्वारा देश के सभी राज्यों की राजधानियों सभी जिलो मुख्यालय, सभी पुलिस थानों को परस्पर

जोडा जायेगा जिसमे हरियाणा राज्य की ध्वनि एवम् डाटा संचार व्यवस्था भी शामिल है।

श्री रामबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहता हू कि जो आजकल संचार प्रणालियों हमारे पुलिस विभाग में देने जा रहे हैं उनको कब तक कम्पलीट कर दिया जायेगा।

श्री रामपाल माजरा: डिप्टी स्पीकर साहब, दो तरह की व्यवस्था है, उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) जिसका आधा आधा खर्चा हरियाणा सरकार और केन्द्र की सरकार वहन करेगी। माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह नेटवर्क इस वर्ष के अन्त तक सूचारू रूप से कार्य करना आरम्भ कर देगा। पुलिस स्टे ांज, उप पुलिस अधीक्ष कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस नियंत्रणकक्ष पुलिस, पुलिस महानिरिक्षक मण्डल कार्यालय और पुलिस मुख्यालय, पंचकूला यानी 400 जगहों को कम्प्यूटर से जोडा जा रहा है। ये सभी पूरी तरह कम्प्यूटारिज्ड हो जायेगे और जहां तक वैन स्कीम की बात है वह इस वर्ष के अन्त तक काम करना शुरू कर देगी। दूसरा स्पीकर सर, पोलनेट उपग्रह से संचालित संचार व्यवस्था पूरे दे ा में लागू होने जा रही है यह 1150 पुलिस स्टे ानों को जोडने की स्कीम है। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश ा उत्तर भारत में सबसे आगे है। इस बारे में इनफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट ने देना था उस पर 75

लाख रूपये राज्य सरकार के खर्च होंगे और बाकी का पैसा केन्द्र सरकार देगी और यह स्कीम मार्च 2005 तक सुचारू रूप से काम करना प्रारम्भ कर देगी।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तरांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Outstanding Payment of Sugarcane

1839. Sh. Bishan Lal: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the payment of farmers on account of sugarcane is outstanding against the various cooperative Sugar Mills in the State: if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): हरियाणा राज्य में किसी भी सहकारी चीनी मिल की तरफ गन्ने की कोई अदायगी बकाया नहीं है।

20- Point Programme

1840. Sh. Puran Singh Dabra: Will the Chief Minister be pleased to state the achievement made by the State Government under 20 Point Programme during the period from April, 2002 to March, 2004.

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला):

विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट हरियाणा राज्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2002-03 (दे 1 में चौथा स्थान)

क्र 0 स 0	सूत्र का नाम	इकाई	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति प्रति शत
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी के खिलाफ संघर्ष सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार	मजदूरों की संख्या	.	1191800 0
2.	वर्षा पर निर्भर कृषि विकास	परिमाण न सम्भव नहीं			
3.	सिंचाई जल का बेहतर उपयोग	परिमाण न सम्भव			

		नही।			
4.	उन्नत कृषि अधिक उत्पादन	परिमाण न सम्भव नही।			
5.	भूमि सुधार अधिवेान भूमि का वितरण	एकड	200	18	9
6.	ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम	परिमाण न सम्भव नही।			
7.	पीने का साफ पानी पीने के पानी का वितरण गांव संख्या	संख्या	48	753	1569
8.	सभी के लिए स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	3	1	33

	सी०एच०सी०				
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पी०एच०सी०	संख्या	2	2	100
	बाल प्रतिरक्षण डी०पी०टी०, पोलियो, बी०सी०जी०	संख्या	545000	539155	99
9.	दो बच्चों का परिवार एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन	संख्या	116	116	100
	आगंनबाडी प्रचालन संचयी	संख्या	13546	13546	100
10	ि शिक्षित राष्ट्र	परिमाण न सम्भव नही।			
11	अनुसूचित जातियो / जनजातियो को न्याय	संख्या	82000	93555	114

	अनूसूचित जाति के परिवारों को सहायता				
12	महिलाओं को समानता	परिमाण न सम्भव नहीं।			
13	युवा वर्ग के लिए नए अवसर	परिमाण न सम्भव नहीं।			
14	सबके लिए मकान इन्दिरा आवास योजना	संख्यास	9384	9840	105
	निम्न आय वर्ग को आवास	संख्या	1500	1255	84
15	तंग बस्तियों का सुधार गंदी बस्तियों का सुधान	भाामिल व्यक्तियों की संख्या	41500	62771	151

	जन संख्या				
16	वन विस्तार निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	1250000 0	2800400 0	224
	भामिल क्षेत्र एवम भूमि	हैक्टर	10000	20563	206
17	पर्यावरण की रक्षा	परिमाण न संभवन नही			
18	उपभोक्ता कल्याण	परिमाण न संभव नही			
19	गांव के लिये उर्जा भाक्तिचालित पंपसेट	संख्या	2200	8115	369
	उन्नत चूल्हे	संख्या	1000	1254	125
20	सवेदन गील प्र गसन	परिमाण न सम्भव			

		नही			
--	--	-----	--	--	--

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट हरियाणा राज्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2003-04 (दे 1 में पहला स्थान)

क्र 0 स 0	सूत्र का नाम	इकाई	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति प्रति शत
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी के खिलाफ संघर्ष सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार	मजदूरों की संख्या	.	6847000
2.	वर्षा पर निर्भर कृषि विकास	परिमाण न सम्भव नहीं			
3.	सिचाई जल का बेहतर उपयोग	परिमाण न सम्भव नहीं।			

4.	उन्नत कृषि अधिक उत्पादन	परिमाण न सम्भव नहीं।			
5.	भूमि सुधार अधिवेान भूमि का वितरण	एकड	80	102	127
6.	ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम	परिमाण न सम्भव नहीं।			
7.	पीने का साफ पानी पीने के पानी का वितरण गांव संख्या	संख्या	...	557
8.	सभी के लिए स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सी0एच0सी0	संख्या	9	0	0

	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पी०एच०सी०	संख्या	2	2	100
	बाल प्रतिरक्षण डी०पी०टी०, पोलियो, बी०सी०जी०	संख्या	561364	534327	95
9.	दो बच्चों का परिवार एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन	संख्या	116	116	100
	आगंनबाडी प्रचालन संचयी	संख्या	13546	13546	100
10	ि शिक्षित राष्ट्र	परिमाण न सम्भव नही।			
11	अनुसूचित जातियो / जनजातियो को न्याय अनुसूचित जाति के	संख्या	82000	82205	100

	परिवारों को सहायता				
12	महिलाओं को समानता	परिमाण न सम्भव नहीं।			
13	युवा वर्ग के लिए नए अवसर	परिमाण न सम्भव नहीं।			
14	सबके लिए मकान इन्दिरा आवास योजना	संख्यास	10626	9286	87
	निम्न आय वर्ग को आवास	संख्या	500	545	91
15	तंग बस्तियों का सुधार गंदी बस्तियों का सुधान	भाामिल व्यक्तिय ों की संख्या	31375	43783	140

	जन संख्या				
16	वन विस्तार निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	1280000 0	3172600 0	113
	भामिल क्षेत्र एवम भूमि	हैक्टर	25000	18309	73
17	पर्यावरण की रक्षा	परिमाण न संभव नही			
18	उपभोक्ता कल्याण	परिमाण न संभव नही			
19	गांव के लिये उर्जा भाक्तिचालित पंपसेट	संख्या	2200	15101	686
	उन्नत चूल्हे	संख्या	1500	1433	96
20	सवेदन गील प्र गसन	परिमाण न संभव			

		नहीं			
--	--	------	--	--	--

Crop Insurance Scheme

1843. Sh Padam Singh Dahiya: Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the State Government have introduced Crop insurance Scheme in the State; if so, the details thereof?

कृषि मंत्री (स० जसविन्द्र सिंह संधू): जी हां, श्री मान जी। विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

राज्य सरकार ने हरियाणा में फसल बीमा योजना खरीफ 2004 से मक्की, बाजरा, कपास तथा अरहर की फसलों पर लागू कर दी है इस योजना को भारत सरकार द्वारा रबी 1999-2000 मौसम से लागू किया गया था तथा यह योजना अब 23 राज्यों तथा केन्द्र भासित प्रदेशों में लागू की जा रही है परन्तु हरियाणा राज्य द्वारा इस योजना की खरीफ, 2004 मौसम से लागू किया गया है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत हरियाणा में अधिक वाली फसले ली गयी है।

1. इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवम रोगों के कारण किसी भी संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवम बीमा कवरेज देना।

(ii) किसानों को कृषि में प्रगति मिल कृषि तरीकों उच्च मूल्य आदानों एवम उच्चर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना।

(iii) विशेष कर आपदा वर्षों में कृषि आया को स्थिर रखना।

2. कवर किये जाने वाले किसान

इस योजना के अन्तर्गत सभी किसानों, जैसे बटाईदार और कातकार इत्यादि को कवर किया जायेगा। यह योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है और गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

3. योजना के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले जोखिम

(क) प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली का गिरना

(ख) तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाईफून, समुद्री तूफान, हरीकेन, टोरनाडो इत्यादि।

(ग) बाढ़, जल प्लावन एवम भूस्खलन।

(घ) सूखा, भूकम्प अवधि।

(ङ) कीट/रोग इत्यादि

4. बीमित राशि / प्रारम्भिक पैदावार

बीमित राशि किसानों की इच्छा अनुसार फसल की प्रारम्भिक पैदावार के स्तर के मूल्य तक बढ़ाई जा सकती है। बीमा इकाई में किसी फसल के लिए प्राकृतिक पैदावार या गारंटी मुदा पैदावार पांच वर्षों की औसत उपज, क्षतिपूर्ति के स्तर से गुणित, के आधार पर संचालक औसत होगी। ऋणी किसानों के लिये बीमित राशि कम दिये गये फसल ऋण के बराबर होगी।

5. योजना का कार्यान्वयन

योजना के क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर व्यापक आपदाओं के लिये प्रत्येक ससूचित फसलों के लिए निश्चित क्षेत्र आधार पर कार्यान्वित किया जायेगा तथा स्थानिय आपदाओं के लिए व्यक्तिगत आधार पर योजना क्रियान्वित की जायेगी। राज्य सरकार के खण्ड को बीमा इकाई के रूप में लिया है जिसको बाद में ग्राम पंचायत स्तर तक ले जायेगा।

6. प्रीमियम दरे

राष्ट्रीय स्तर पर खरीफ मौसम में बाजरा एवम तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का 3.5 प्रति शत तथा अन्य खाद्य फसलों के लिए बीमित राशि का 2.5 प्रति शत की प्रीमियम दरे लागू है।

हरियाणा राज्य में लागू की गयी प्रीमियम दरों का विवरण निम्नानुसार है:—

सारणी

फसल	मक्का	बाजरा	कपास	अरहर	चना	सरसों
प्रीमियम दर	2.5 प्रति टात	3.5 प्रति टात	4.05 प्रति टात	1.45 प्रति टात	2.0 प्रति टात	2.0 प्रति टात

7. प्रीमियम सबसिडी

योजना के अनुसार छोटे एवम सीमान्त किसानों को प्रीमियम राशि पर 50 प्रति टात सबसिडी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के अनुरोध किया गया है। क्योंकि देश में राष्ट्रपति कृषि बीमा योजना लागू किये जाने का पांचवा वर्ष है इसलिए इस समय 10 प्रति टात दर से प्रीमियम राशि पर सबसिडी दी जा रही है।

8. फसल पैदावार के अनुमान

पैदावार का अनुमान फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर लगाया जायेगा। राज्य सरकार फसल पैदावार का अनुमान लगाने के लिए, योजना के अनुसार हर एक अधिसूचित फसल के लिए प्रति अधिसूचित इकाई में 16 फसल कटाई प्रयोग नियोजित तथा

अयोजित करेगी। इस फसल पैदावार को वास्तविक पैदावार कहा जायेगा।

9. दावो / मुआवजो को निर्धारित करने की प्रक्रिया

यदि बीमे वाले मौसम में परिभाषित क्षेत्र फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या के आधार पर के लिए बीमित की प्रति हैक्टयर वास्तविक पैदावार विनिर्दिष्ट प्रारम्भिक पैदावार से कम रहती है, तो परिभाषित क्षेत्र में उस फसल के उत्पादक सभी किसानों को अपनी पैदावार में कमी का सामना करता हुआ माना जायेगा। इस प्रकार की आकस्मिकता के लिए यह योजना निम्नलिखित कवरेज प्रदान करेगी

पैदावार में कमी	X किसान की बीमित राशि
प्रारम्भिक पैदावार	
पैदावार की कमी = प्रारम्भिक पैदावार – वास्तविक पैदावार	

10. वित्तीय भागीदारियों का बंटवारा

योजना के क्रियान्वयन पर हुये खर्च, जैसे किसानों को क्षतिपूर्ति, प्रीमियन राजसहायता, संग्रह कोश तथा प्र तासकीय खर्चों आदि का वहन केन्द्र सरकार एवम राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर किया जायेगा।

11. कार्यान्वयन करने वाला अभिकरण

यह योजना भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम के द्वारा सहकारी बैंको, व्यवसायिक बैंको एवम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से लागू की जायेगी।

12. राज्य सरकार ने धान, गेहू, व गन्ने की फसले को इस योजना मे सम्मिलित न करने का निर्णय लिया है, क्योकि इन फसलो की औसत पैदावार मे किसी वर्ष वि ेश मे खास कमी नही हुई है, जिस कारण हरियाणा के किसानो को इस फसलों के लिये इस योजना से वि ेश लाभ नही मिलोगा।

13. दावो का निबटान (मुआवजे का भुगतान)

दावों की स्वीकृति व निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा किसानो को बहुत औपचारिकताए पूर्ण करने की आव यकता नही है। राज्य सरकार से पैदावार के आंकडे प्राप्त होते ही दावे तैयार किये जायेगे, जिनका निपटान भी भारतीय कृषि बीमा कम्पनी, जो वि ेश रूप से फसल बीमा के लिए बनाई गई है, द्वारा कर दिया जायेगा। दावो के लिए दावो सम्बन्धी चैको को दावो के विवरण सहित बीमा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित नोडल बैंको को भेज दिया जायेगा। आगे यह बैंक निचले स्तर पर अलग अलग किसानो के खातो मे उनकी राशि जमा करेगे तथा अपने सूचना पर पट पर लाभार्थीयों का विवरण प्रदिति करेगे।

14. खरीफ 2004 मे योजना प्रगति

बीमित फसलो के लिए खण्डो का चुनाव बीमित इकाई मे उस फसल के अधीन क्षेत्र के आधार पर किया गया है। कपस के लिए 39, मक्का के लिए 8, बाजरा के लिए 81 तथा अरहर के लिए 14 खण्ड के लिए है 1 अगस्त 2004 के अन्त तक कुल 150702 किसानो की फसलो का 130.91 करोड रूपये की राशि का बीमा किया गया है।

Opening of Shaheed Udham Singh Polytechnic, College Tohana

1846. Sh. Nishan Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether is any proposal under consideration of the Government to set up the Shaheed Udhan Singh Memorial Polytechnic College in Tohana. If so the time by which the construction work of the said College is likely to be started?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): श्रीमान जी, भाहीद उधम सिंह राजकीय बहुतकनीकी, टोहाना मे खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु समयावधि नहीं दी जा सकती क्योंकि अभी तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम भूमि स्थानान्तरण होनी है।

Cases of Malaria & Dengu Fever

1845. Sh. Dev Raj Dewan: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that some cases of Malaria and Dengu fever have been reported recently in the

State; if so, the steps taken so far or proposed to be taken to control the said disease?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रंगा): जी हां, श्रीमान जी। हरियाणा राज्य मे 1 जनवरी, 2004 से 23 सितम्बर 2004 के दौरान 6990 मलेरिया के कन्फर्म मामले एवम 5 डेंगू के कन्फर्म मामले पाए गए है।

इन बीमारियों की रोकथाम हेतु बनाये गये एक प्लान की दृढता से लागू किया जा रहा है। इन बीमारियों की रोकथाम हेतु उठाये जा रहे पग बतौर अनुबंध सदन क पटल पर रखे गये है।

अनुबंध

मलेरिया तथा डेंगू की रोकथाम हेतु उठाया जा रहे पग

मलेरिया

. ज्वर रोगियों की रक्त पट्टिकाये बनाई जाती है। रक्त पट्टिकाये बनाते समय ज्वर रोगियों को अनुमानित उपचार हेतु क्लोरोक्वीन की गोलियां उपलब्ध करवाई जाती है। एकत्रित की गई रक्त पट्टिकाओ का निरीक्षण 482 मलेरिया क्लीनिक्स मे किया जाता है और जिन रोगियों मे मलेरिया के कीटाणु पाये जाते है, उन्हे मूल उपचार भी दिया जाता है।

. राज्य मे ग्राम पचांयतो /अध्यापको /आंगनवाडी वर्करो इत्यादी के पास दवाई वितरण केन्द्र खोले गये है, जंहा पर ज्वर रोगियो को मुफ्त मे क्लोरीक्वीन की गोलियां दी जाती है ।

. जिन 49 गावों मे गत वर्ष मलेरिया के केस अधिक मात्रा मे पाये गये थे, वहां पर नियमित मैलाथीन कीटना एक दवाई का छिडकाव किया जा रहा है ।

. भोश क्षेत्रो मे मास जुलाई के उपरान्त जहां कही भी मलेरिया का रोगी पाया जाता है, वहां पर उस घर तथा इर्द गिर्द के 50 घरों मे मैलाथीन फौगिंग की जा रही है ।

. जिन क्षेत्रो मे मलेरिया के अधिक केस पाये जा रहे है वहां पर चिकित्सा अधिकारी एवम पैरामैडीकल की टीम नियमित तौर पर दौरा कर रही है और फीवर मास सर्वे एवम फौगिंग की जा रही है ।

. जनता को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है और मलेरिया रोग तथा इनकी रोकथाम के तरीके भी बताये जा रहे है ।

डेंगू

. इस बीमारी तथा इसके फेलाने वाले मच्छरो की निगरानी तेजी से की जा रही है ।

. डेंगू ग्रस्त क्षेत्रो मे लोगो को जानकारी दी जा रही है कि वह सप्ताह मे एक बार अपने घर के सभी पानी से भरे बर्तनों

को खाली करे व उन्हे ढक कर रखे। जहां पर यह सम्भव न हो, वहां पर उन्हे पानी मे एक चम्मच मिट्टी का तेल पैट्रोल डालने का सुझाव दिया जा रहा है।

. डेंगू फेलाने वाले मच्छरों की रोकथाम हेतु फौगिंग की जा रही है।

. मास मीडिया कार्य तेजी से किया जा रहा है।

इन रोगो की स्थिति की समीक्षा प्रति दिन राज्य मुख्यालय से लेकर पी.एच.सी. स्तर की जा रही है। इस वर्ष राज्य मे अभी तक इन रोगो से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है।

Change in Master Plan

1817. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state whether the State Government has made any changes in the master plan of Gurgaon, Faridabad, Sonipat, Panchkula, and other cities of the State, if so, the details thereof?

नगर तथा ग्राम आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग राज्य के भाहरो के म्यूनिसिपल क्षेत्रो के ईर्द गिर्द घोशित नियंत्रित क्षेत्रो के लिए विकास योजना तैयार करता है। गुडगांव नियंत्रित क्षेत्र के लिए विकास योजना 2001 मे समाप्त हो गई थी और 2021 ई0 के परिक्षेप्य वर्ष के लिए नई विकास योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की सलाह से तैयार की जा रही है। इस दौरान सूचना प्राधौगिक नीति,

आधारभूत सरंचना तंत्र को अपग्रेड करने तथा पुनर्स्थापना योजनाओं आदि की आवश्यकताओं को देखते हुये कुछ परिवर्तन किये गये/किये जा रहे है। फरीदाबाद भाहर के लिए विकाय योजना, जिसमे कि नियंत्रित क्षेत्र भाामिल है, पहले ही परिक्षेप्य वर्ष 2011 के लिए तैयार की जा चुकी है। पिछले लगभग एक द ाक के दौरान अंचल विनियामो मे कुछ परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्ग के पुनर्वास, क्रा र जोन की स्थानांतरित करने, जिला कारागार को स्थापित करने आदि के लिए भूमि उपयोग की आवश्यकता के मद्दे नजर किए गए हैं। सोनीपत और कुण्डली के लिए नई विकास योजना 2003 मे, परिक्षेप्य वर्ष 2021 ई0 के लिए, प्रकाशित की जा चुकी है। पंचकूला पैराफेरी क्षेत्र की भाहरीकरण योजना पहले ही तैयार करके प्रदर्शित की जा चुकी है।

जहां तक हरियाणा के अन्य भाहरों की विकास योजना का संबंध है उनमे कुछ परिक्षेप्य वर्ष 2021 ई0 के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयार की जा रही है/प्रकाशित कर दी गई है।

Repair of Chaupals

1826. Dr. Malik Chand Gambhir: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of chaupals of all the categories has been repaired in the State during the period from the year 2000 to dated; and

(b) whether there is any chaupals in the State which are yet to be repaired; if so, the number of thereof, together with the time by which these remaining chaupals are likely to be repaired?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): श्रीमान जी,

(क) राज्य में वर्ष, 2000 से आज तक की अवधि के दौरान सभी श्रेणियों की 9640 चौपालों की मरम्मत की गई है तथा

(ख) हा, राज्य में भोश 1248 चौपालों की मरम्मत दिसम्बर 2004 तक पूरी होने की संभावना है।

District wise detail of repair of Chaupals from 2000 to till date (27-9-2004)

Sr. No.	Name of Distirct	No. of Chaupals of all Categories		Estimated Cost of	
		Repaire d 2000 to till date	Yet to be repaired (upto which date will be Repaired)	Repaired Chaupal s	Yet to be Repaired Chaupal s
1.	Ambala	387	0	174.03	0.00

2.	Bhiwani	906	104	357.83	81.57
3.	Faridabad	968	71	355.86	36.21
4.	Fatehabd	277	17	132.69	7.84
5.	Gurgaon	415	87	172.99	53.96
6.	Hisar	535	79	314.05	59.00
7.	Jhajjar	460	70	250.31	35.00
8.	Jind	917	115	485.64	164.26
9.	Kaithal	768	25	313.79	14.92
10.	Karnal	592	37	322.22	29.95
11.	Kurukshetra	293	0	111.53	0.00
12.	Mohinderghar	273	0	79.16	0.00
13.	Panchkula	103	58	47.53	14.50
14.	Panipat	339	100	153.86	20.58
15.	Rewari	248	99	77.96	64.56
16.	Rohtak	287	199	124.10	122.69
17.	Sirsa	367	53	106.41	11.90
18.	Sonipat	1058	134	325.42	70.68
19.	Yamunanagar	447	0	68.54	0.00

Total	9640	1248	3973.92	787.62
--------------	-------------	-------------	----------------	---------------

Construction of new Bye-Pass

1830. Sh. Lila Ram: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Governemnt to constuct a new bye-pass from jind road to Khanori road in Kaithal City; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): हां, श्रीमान जी, उपरोक्त विशयाधीन मामले मे भूमि अभिग्रहण कार्यवाही हेतू प्रक्रिया जारी की जा रही है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डेढ वर्ष मे कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

Widening of Bridge

1832. Sh. Ramesh Kumar Khatak: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact there is a very narrow bridge on Kanoree Distributory near Village Rindhana Sonapat on Sonapat Julana Tohana State Highway; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government for widening of the said bridge.?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): हां, श्री मान जी, यद्यपि वर्तमान मे इस 10.5 फीट चौडे पुल को चौडा करने की कोई योजना नहीं है।

Opening of Kanya Maha Vidhyalaya in Hathin

1835. Sh. Bhagwan Sahai Rawat: Will the Minister of state for Education be pleased to state whether there is any

proposal under consideration of the Governemnt to open a Kanya Maha Vidhyalaya in Hathin Constituency?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह): नहीं, श्रीमान जी।

Boosting of Morale of Police Force

1838. Sh. Rambir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether the state Government have made any policy to boost the morale of the Police Force in the State; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): हां, श्रीमान जी। राज्य सरकार ने पुलिस बल के मनोबल को बढ़ावा के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं, जिनको विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिये तथा उनके कल्याण हेतु उठाये गये कदमों बारे विवरण निम्नानुसार है—

1. राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुकम्पा अनुदान के सम्बन्ध में एक नीति बनाई गई है। जिसके अन्तर्गत 5 लाख रुपये की विशेष अनुकम्पा अनुदान राशि उन मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाती है जो कि उग्रवादियों एवम असाजिक तत्वों का मुकाबला करते हुए भाहीद हो जाते हैं और मुकाबले के दौरान

गंभीर रूप से घायल हो जाने पर जिन कर्मचारियों के बाजू या टांग बिल्कुल नाकारा हो जाये या रीड की हड्डी को जख्म हो जाये या भारीर का कोई अंग नष्ट हो जाने पर अधिक रूप से नाकार हो जाये तो ऐसे कर्मचारियों को 3 लाख रूपये की दर से विशेष अनुकम्पा अनुदान राशि दी जायेगी। यह राशि निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे मृतकों को परिवारो को कर्मचारियो के अन्तिम वेतन के बराबर सेवानिवृत्ति की आयु तक पेंशन दी जायेगी। तत्पश्चात् सामान्य पारावारिक पेंशन दी जायेगी।

2. माह जुलाई, 1999 से अब तक 605 मृतको कर्मचारियो के आश्रितो को अनुकम्पा नीति के अन्तर्गत नौकरी दी जा चुकी है। हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पा सहायता निगम 2003 के अन्तर्गत अनुग्रहपूर्वक अनुकम्पा वित्तीय सहायता ढाई रूपये की दर से दी जा रही है जिन्होने नौकरी के लिये आवेदन नहीं किया है।

3. दिनांक 7.1.2000 के सभी सिपाहियों तथा मुख्य सिपाहियों जो कि रिजर्व मे तैनात हे, उनको नियमानुसार मकान किराया भता दिया जाता है।

4. दिनांक 7.1.2000 के सभी सिपाहियों / मुख्य सिपाहियों तथा मुख्य सिपाहियो तथा अराजपत्रित अधिकारियो का

वाहन भता तीन गुणा कर दिया गया है जो कि निम्नानुसार बढ़ाया गया है ।

		पुरानी दरे	नई दरे
1.	सिपाही / प्रधान सिपाही	20	60
2.	सहायक उप निरीक्षक	50	150
3.	उप निरीक्षक	60	180
4.	निरीक्षक	75	225

5. वर्दी रख रखाव बढ़ाकर दो गुणा कर दिया गया है जो कि निम्नानुसार बढ़ाया गया है ।

		पुरानी दरे	नई दरे
1.	सिपाही / प्रधान सिपाही	25	50
2.	सहायक उप निरीक्षक	40	80
3.	उप निरीक्षक	60	120
4.	निरीक्षक	80	160

6. दिनांक 6.4.2000 से हरियाणा पुलिस के सभी जवानों को मिलने वाली राशन मनी की राशि दो गुणा कर दी गई है जो कि निम्नानुसार है ।

		पुरानी दरे	नई दरे
1.	हरियाणा स इस्त्र पुलिस के सभी जवान सिपाही से लेकर उप पुलिस अधीक्षक तक	150	350
2.	हरियाणा जिला पुलिस के सभी जवान सिपाही से लेकर उप पुलिस अधीक्षक	100	250

7. उप पुलिस अधीक्षक को प्रारम्भिक वर्दी भता 1200 बढाकर 5000 रूपये कर दिया गया है। सात वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर यह वर्दी भता 1000 से बढाकर 2000 रूपये किया गया है।

8. फरवरी, 2001 से हरियाणा पुलिस के सभी सिपाहियों को 50 रूपये प्रतिमाह की दर से कठिनाई भता का भुगतान वेतन के साथ किया जा रहा है।

9. हरियाणा सरकार ने उनके पत्र क्रमांक 22/8/2002-03 एज0जी0-1 दिनांक 12/6/2003 द्वारा निर्णय लिया है जो कि अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के पचात् दो वर्ष/एक वर्ष की सेवाकाल मे वृद्धि की जाएगी, जिन्होंने निम्नलिखित पुलिस पदक प्राप्त किए है-

क्रमांक	पद का नाम	सेवाकाल में बढ़ोतरी
1.	वीरता के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने पर या विंश्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने पर	सेवाकाल में दो वर्ष की बढ़ोतरी
2.	वीरता के लिये पुलिस पदक मिलने पर या सरहानीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिलने पर	सेवाकाल में एक वर्ष की बढ़ोतरी

10. हरियाणा राज्य परिवहन बसों में रियासती बस सुविधा निरीक्षक के पद तक दी जा रही है।

11. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन सिपाहियों का सेवाकाल 16 वर्ष हो चुका है उन्हें Exemptee मुख्य सिपाही पद पर पदोन्नति दी जाएगी, सभी Exemptee मुख्य सिपाही जिनका सेवाकाल 30 वर्ष हो चुका है उनको Exemptee सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा 35 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले सभी Exemptee सहायक उप निरीक्षकों को Exemptee उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया जायेगा। इस नीति के अन्तर्गत 2/ई/एस.आई., 600/ई/ए.एस.आई/ तथा 4465 यू.जी.सी./ई.एच.सी. पदोन्नत किये गये हैं।

12. हुड्डा (HUDA) ने मृतक अधिकारियों / कर्मचारियों जो असामाजिक तत्वों का मुकाबला करते हुये भाहीद हो गये हैं, के आश्रितों के लिये सैक्टरों में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के प्लॉटों में 2 प्रति 100 कोटा आरक्षित किया गया है जो कि निम्नानुसार है—

(i) मृतक उप पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर रैंक के 10 मरला

के अधिकारियों के आश्रितों के लिये

(ii) अन्य पदों के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए 4 से 8 मरला

13. पिछले 5 वर्षों के दौरान पुलिस विभाग द्वारा टाईप के 3838 रिहायगी मकानों का निर्माण किया गया है तथा 3176 मकान निर्माणाधीन हैं।

14. कमाण्डों के जवानों की डार्ड्ट मनी 10 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 20 प्रतिमाहन प्रति दिन कर दी गई है तथा कमाण्डों में नियुक्त कुक व जलवाहक की डार्ड्ट मनी 5 रूपये से बढ़ाकर 10 रूपये प्रति दिन की दी गई है।

15. पुलिस जवानों की भलाई के लिए हरियाणा पुलिस वेलफेयर एण्ड स्पोर्ट्स सोसाईटी का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत पुलिस कर्मचारियों तथा उनके परिवार को विभिन्न प्रकार

की रियासते दी गई है जैसे कि डैथ रिलीफ मनी, डिस्पैबिलिटी ग्रांट, रिटायमेंट बैनिफिट बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां और जरूरत पडने पर ऋण देना।

Providing of Industrial Security

1841. Sh. Puran Singh Dabra: Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or likely to be taken to provide industrial security force in the state; if so, the detail thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): श्री मान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

राज्य में हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अधिसूचना दिनांक 13.10.2003 द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एक्ट 2003 को अधिसूचित राज्य विधान मण्डल द्वारा मंजूर करने के उपरान्त किया था। उपरोक्त अधिसूचना के उपरान्त सरकार ने हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की पांच वाहिनी स्वीकृति की। इन पांच वाहिनीयों में से एक वाहिनी ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया जिसमें सुपरवाइजरी स्टाफ, सहायक एवम लिपिक समेत वर्तमान साधनों से उपलब्ध करवाया गया है। सहायक उप निरीक्षक, प्रधान सिपाही तथा सिपाही जो जिला पुलिस और साइबर पुलिस वाहिनीयों द्वारा सुरक्षा कार्यों पर भेजे गये थे उन्हें हरियाणा राज्य

औधोगिक सुरक्षा बल की वाहिनीयों में प्रतिनियुक्त आधार पर तब तक स्थानान्तरित किया गया है जब तक नियमित प्रबन्ध नहीं किये जाये।

इन हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल की पांच वाहिनीयो के लिए निम्नलिखित 3450 सिपाहियों का चयन विभिन्न चयन बोर्डों द्वारा किया जा रहा है।

क्रम संख्या		पुरुश सिपाही	महिला सिपाही	कुल
1.	सामान्य डियुटी सिपाही	2367	646	3013
2.	सिपाटी (ड्राईवर)	250	250
3.	सामान्य डियुटी सिपाही खिलाडी	83	20	103
4.	वायरलैस ओप्रेटर	68	16	84
	कुल	2768	682	3450

भर्ती की प्रक्रिया अम्बाला, गुडगांव, रोहतक, हिसार, यमुनानगर, झज्जर, जीन्द, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला एमव

जी०आर०पी० अम्बाला मे चयन बोर्डों द्वारा चल रही है तथा जो लगभग एक महीने मे पूरी हो जायेगीं जवानो की भर्ती एवम प्रििक्षण पूर्ण होने के प चात ये पांचो वाहिनीयों राज्य के सरकारी या गैर सरकारी विभागो आदि मे उनकी मांग एवम उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी।

घोशणाएं

(क) उपाध्यक्ष द्वारा –

(i) चेयर पर्सन्ज के नामो की सूची

Mr. Deputy Speaker: Now, there are some important annoucements.

Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, the Hon'ble Spaeker nominated the following members to serve on the Panel of Chairpersons:-

1. Sh. Balwant Singh Maina, MLA
2. Sh. Purna Singh Dabra, MLA
3. Sh. Anil Vij, MLA
4. Sh. Balbri Pal Singh; M.L.A

(ii) याचिका समिति

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, under Rule 303 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in

the Haryana Legislative Assembly, the Hon'ble Speaker nominated the following members to serve on the Committee on Petitions:-

1	Sh. Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson
2	Prof. Ram Bhagat, M.L.A	Member
3	Shri. Puran Singh Dabra. M.L.A	-do-
4	Sh. Jasbir Mallour, M.L.A	-do-
5	Sh. Jitender Singh Malik, M.L.A	-do-

(At this stage, the Hon'ble Speaker occupied the Chair)

(ख) अध्यक्ष द्वारा –

(i) सदस्यों के त्याग पत्र

Mr. Speaker: Hon'ble Members, under Rule 58 (2) of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. I have to inform the House that Shri Krishan Pal Gurjar, M.L.A, Smt. Veena Chhibber, M.L.A, Shri Kapoor Chand, M.L.A, Smt, Sarita Narain, M.L.A, Shri Chander Bhatia, M.L.A and Shri Kanwar Pal, M.L.A have resigned their seats in Haryana Legislative Assembly vide their letter dated 18th July, 2004, which were accepted by me 19th July, 2004.

(ग) सचिव द्वारा

Mr. Speaker: Now, the Secretary will make a announcement.

सचिव: महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने फरवरी, 2004 तथा जून 2004 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

February Session, 2004

The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2004,

June Session, 2004

1. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2002.
2. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2004.
3. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill, 2004.
4. The Restriction of Habitual offenders (Punjab) Haryana Repeal Bill, 2004.
5. The Punjab Habitual Offenders (Control and Reform) Haryana Repeat Bill, 2004.
6. The East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 2004.

7. The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2004.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a calling attention notice No. 5 from Cpat. Ajay Singh Yadav, M.L.A and 4 other M.L.As. regarding declaration by the Government to apply the slab system for the tubewells in the State. I admit it. Cpat. Ajay Singh may read out his notice.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

कैप्टन अजय सिंह यादव: सर मैंने Bungling in the auction of Government land in Gurgaon के बारे में एडजर्नमेंट में अन दिया था, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठें, आपने जो एडजर्नमेंट में अन दिए हैं मैं उनका जवाब देता हूँ। पहला एडजर्नमेंट में अन श्री कर्ण सिंह दलाल का है। regarding decrease the share of water of district Faridabad in Agra Canal that has been disallowed. इनका दूसरा एडजर्नमेंट में अन है। regarding the permission by the Haryana Government to open slaughter house in Gurgaon District that has been disallowed.

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह एडजर्नमेंट में अन क्यों डिसअलाउ की गई है?

Mr. Speaker: Hear say is no evidence, थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य ने सडक के बारे मे कहा आपको जानकारी है। उसके बारे मे आपने कहा कि सुना सुनाया कोई प्रान ही नहीं है। आप लिखते ही सुना सुनाया है इसलिए हमने आपका यह मोान डिसअलाउ कर दिया (गोर) कैप्टन साहब, आप बैठिये और भी सुन ले क्योंकि आपका काफी मामला है।

Notice of Calling Attention Motion No. 3 regarding degradation of standard of education due to wrong policy of the Governement in Haryana, received form Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Calling Attention Motion No. 4 received form Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. regarding acquisiition of land in I.M.T manesar District Gurgaon, has been disallowed. Notice of Calling Attention Motion No. 5 regarding declaration by the Government to apply slab system for tubewells in the State of Haryana, received from Cpat. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. has been admitted for today.

Notice of Calling Attention Motion No. 6 regarding implemenatition of 85th amendment in Constitution of India regarding seniority of SC/ST Governement Servants, received form Capt. Ajay Singh Yadav and 9 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Calling Attention Motion No. 7 regarding sitting up a University in the backward area of South Haryana received form Capt. Ajay Singh Yadav and 8 other M.L.As. has been disallowed.

Notice of Calling Attention Motion No. 8 regarding allotment of plots at Gurgaon by draw of lots by Estate officers

of HUDA, received from Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. has been to Government for Comments.

Notice of Adjorunment Motion No. 1 regarding equitable distribution issue of water for irrigation in Haryana received from Capt. Ajay Singh Yadav and 3 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Adjorunment Motion No. 2 received form Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Calling Adjorunment Motion No. 3 regarding misuse of the Government to fund and machinery for celebration of Devi Lal jayanti at Fatehabad on 25th September, 2004 received from Cpat. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. has been disallowed.

Notice of Adjorunment Motion No. 4 regarding the issue of irregular supply of power being supplied to the Agriculture and domestic sector received from Capt. Ajay Singh Yadav and 8 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Adjorunment Motion No. 5 regaridng to prepone of election of Panchayati Raj institutions and Local Bodies in Haryana, received form Capt. Ajay Singh Yadav and 9other M.L.As. has been disallowed. Notice of Calling Adjorunment Motion No. 3 regarding the alleged irregulatrities in auction of Governmen land received from Cpat. Ajay Singh Yadav and 7 other M.L.As. has been disallowed.

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मोान आपने डिसअलाए किए हैं वे किस बेस पर किए हैं?

श्री अध्यक्ष: आपको कारण लिखकर भेज दिए हैं और यदि किसी एक आध का कारण रह गया है तो वह भी आपको भेज दिया जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव: मुझे नहीं मिले है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: अब कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाये। कैप्टन साहब, ये Administrative मामले हैं इनमें आप दखल न करे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,.....
(गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (गोर एवम व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब की कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए। (गोर एवम व्यवधान) उदयभान जी, प्लीज आप बैठे। मेरी परमि तान के बगैर खड़े न हो।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, एक दिन का सै ान है और आप कह रहे है कि मेरा एक कांलिंग अटै ांन मो ान आपने कंसीड्रै ान के लिए भेजा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, एक दिन के सै ान मे कोई 6-6 एडजर्नमेंट मो ान थोडी दिए जाते है । आपके विभाग की तारीफ करनी होगी कि आप एक दिन के सै ान मे 6-6 एडजर्नमेंट मो ान देते हो । आप अपनी पार्टी के डिप्टी लीडर है, डिप्टी लीडर ऐसा नही करते । 6-6 एडजर्नमेंट मो ान का डिस्सीजन अभी थोडी ही हो जायेगा ।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठे । आप आपकी कोई बात रिकार्ड नही हो रही है ।

कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय,(गोर एवम व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय,..... (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठे । इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए । (गोर एवम व्यवधान)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, now I report the time table of various Business fixed by teh Business Advisory Committee.

The Commitee meet at 10.30 A.M. on Wednesday, the 29nd September, 2004 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

“The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in session, shall meet on Wednesday, 29nd September, 2004 at 2.00 P.M. and adjourn after teh conclution of the Business entered in the list of Business for the day without quesiton being put.

The Committee after some discussion also recommends that the business on Wednesday, the 29nd September, 2004, be transacted by the Sabha as follows:-

Wednesday, the 29 nd September, 2004 (2.00 P.M.)	1	Obituary Referecnes.
	2	Question Hour.
	3.	Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
	4.	Motion under Rule-15 regarding Non-Stop sitting

	5.	Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha Sine die.
	6.	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	7.	Presentation, of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for the presentation of final reports thereon.
	8	Legislative Business.”

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir I beg to move-

That this House agrees with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, यह प्वायंट आफ आर्डर का समय नहीं है। आपको बोलने के लिए मौके का पता नहीं है कि किस समय बोलने के लिए खड़ा होना चाहिए। (गोर एवम विघ्न) आप बोलना नहीं चाहते तो बैठ जाए। आपको बोलने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा और फिर मैं आपको मौका दूंगा।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब,.....

वित्त मंत्री प्रो० सम्पत सिंह: इन्होन जो अनापार्लियामेंटरी भाब्द इस्तेमाल किए है वे कार्यवाही मे से निकालवांए जांए।

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी ने जो अनापार्लियामेंटरी भाब्द इस्तेमाल किए है वे कार्यवाही मे से निकाल दिए जाएं। (गोर एवम विघ्न) अब मैने मो उन मूव कर दिया है। अब आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। आपकी बीफोर टाईम गाडी चलती है, ध्यान रखे कि बीफोर टाईम चलने वाली गाडी का एक्सीडेंट हो जाता है। (गोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मुझे प्वायंट आफ आर्डर पर बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, लेकिन मो उन मूव होने के बाद ही आप बोल सकते है। सम्पत सिंह जी ने मो उन मूव कर दिया है, इसलिए अब आप बोल सकते है। पहले आप समय से पहले बोल रहे थे। आपको यह पता नही कि किस समय बोलना चाहिए। आप बोलने का मौका चूक जाते हो। (गोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब,.....

श्री अध्यक्ष: इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। आपने कुछ कहना ही नही है इसलिए आप बैठ जाए। (गोर एवम विघ्न) किसी की कोई बात रिकार्ड न की जाये। (गोर एवम विघ्न) आप लोग बताएं कि चौधरी भजन लाल जी ने बोलना है या आपके डिप्टी लीडर ने बोलना है ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, आप सुनने की कृपा करे। पहले यह सै उन 3 दिन के लिए बुलाया जाना था। इस बारे मे मेरी पहली बात यह है कि अभी अढाई महीने पहले ही सै उन बुलाया गया था इसलिए इस सै उन को बुलाये जाने की आव यकता नही थी। इन्होने यह सै उन इसलिए बुलाया है कि अगर इनका यह आखिरी सै उन है। आप लोग दुबारा नही आ पाओगे। (गोर एवम विघ्न) (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: इनकी यह बात रिकार्ड न करे। भजन लाल जी आप चेयर को सम्बोधित करके बात कहे। पहले आप बताएं कि आप लड रहे हैं या बोल रहे हैं। आप मुझे सम्बोन्धित करके बोले न कि किसी विधायक की तरफ देख कर बोले। (गोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लाल: आपके मेरी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि मैं उम्र में मुख्यमंत्री जी से भी बड़ा हू।

श्री अध्यक्ष: आपने जो भी बात कहनी है वह सिर्फ आज की कार्यवाही का एजेंडा जो सदन के सम्मुख रखा गया है यानि जो बी०ए०सी० की रिपोर्ट पे आ हुई है उस बारे में कहे।

चौधरी भजन लाल: आपने आज एक दिन का सैशन कर दिया जबकि पहले हमें बताया गया था कि 3 दिन का सैशन चलेगा। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि सैशन का समय आज 3 दिन से कम करके केवल एक ही दिन का कर दिया। मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका बहुत ही खेदजनकर है। इस तरह का काम करना इन्हें भाभा नहीं देता। ...

श्री अध्यक्ष: इनके ये भाब्द रिकार्ड न किए जाये। चौधरी भजन लाल जी आपको क्या हो गया है, आप ठीक ढंग से बोले।

चौधरी भजन लाल: मुख्यमंत्री जी द्वारा इस तरह से सैशन बुलाये जाने के बारे में बाहर के लोग क्या महसूस करते होंगे? अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने आपका क्या रवैया

जायेगा? एक दिन सै ान बुला लिया और आज ही खत्म कर देगे तो लोग क्या सोचगे और सरकार की और हाउस मे बैठे हुए लोगो की क्या इज्जत रहेगी ? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो 10 दिन का सै ान बुलवाया जाना चाहिए था लेकिन अगर 10 दिन का सै ान नही बुलाना था तो कम से कम सात दिन का सै ान तो जरूर होना चाहिए। आज बुधवार को सै ान बुलवाया गया है और आज बुधवार को ही सै ान खत्म हो जाएगा यह बडी ही खेदजनक बात है जो कि भाोभा नही देती है इसलिए हम डटकर इसका विरोध करते है और सरकार से यह कहते है कि कम से कम सात दिन का सै ान जरूर बुलवांए। इनको किस बात का खतरा है, इनको क्या डर है, ये भाग क्यो रहे है (विघ्न) जनता का डर तो है, जनका तो इनको भगा ही देगी इसमे कोई सदेह नही है कि यो जाने वाले है लेकिन कृपा करके हाउस को एक हफते के लिए बुलांए ताकि सारे मैम्बर्ज इनके घोटालो के बारे मे चर्चा कर सकें (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनके बडे भारी घोटाले है। (ाोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिए। (ाोर एवम विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर बैठे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस मे सबमिट की गई है और मैं इस पर बोलना चाहता हू। अध्यक्ष महोदय, हमने आपकी सेवा मे सात ऐडजार्नमेंट मो ान्ज और छः कांलिंग अटै ांन मो ान्ज दी हुई है। (विधन)

श्री अध्यक्ष: क्या सात ऐडजार्नमेंट मो ान्ज एक ही दिन मे टेकअप करना सम्भव हो सकता है ? (विधन)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं यह कहना चाहता हू कि जैसे बांड इ लू का मामला और दूसरे मुद्दे है आपने यह बताया है कि वे अण्डर कंसिड्रै ान है लेकिन अगर एक दिन का सै ान होता है तो उन पर डिसक ान कब होगा? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गुडगांव मे सरकारी भूमि की आव ान मे बंगलिंग की बात है इस पर कब डिसक ान होगी? आठ बिल्ज है और इनमे से चार बिल हमे यहां आ कर मिले है। मैंने इस बारे मे आपको एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमे हमने कहा था कि “As per rule 129 (c) of the Ruls of Procdure and Conduct of Business in the Haryana legislative Assembly, it is mandatory of that the Bill is to be moved in the Assembly be made available to the Members, 5 days before the day on which the motion is made.” अध्यक्ष महोदय, आज आपने यहां पर बिल ला कर रख दिये है और आप कह रहे है कि आज ही इन पर डिस्क ान भी हो जाए। केवल एक दिन का सै ान है, आप बताइये कि मैम्बर्ज बिल्ज को कब पढेगे? कुछ बिल्ज हमारे

पास रात को ही पहुँचे ह। अध्यक्ष महोदय, आठ बिलो पर डिस्कान होनी है और सबसे अहम बिल पंचायती राज बिल है जिनके बारे में हम डिस्कान करना चाहेंगे। एक कुरुक्षेत्र भाराईन बिल है उस पर भी हमें अपनी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष: जब वह बिल पेश होगा तो आप जो कहना चाहते हैं वह कह लीजिए, अब आप अपनी सीट पर बैठें। (गोर एवम विधन)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। 14 तारीख का कैबिनेट मीटिंग थी और 29 तारीख को आपने सैनिकान बुला लिया। मैम्बरज को अपने क्वेश्चन देने के लिए 14 दिन का समय भी नहीं मिला। लेकिन अब आप मैम्बरज को ही कह रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन नहीं दिए। अध्यक्ष महोदय, बिजनैस ऐडवार्जरी कमेटी की मीटिंग में मैंने रिक्वैस्ट की थी कि कम से कम 10 दिन का टाईम सैनिकान के लिए रखा जाए लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी तथा मुख्यमंत्री जी भी कहने लगे कि कोई वर्क नहीं है। इतना सारा वर्क पडा है काफी ऐसी मैम्बरज हैं जो भायद एक दफा भी नहीं बोले हैं, उनको आप बोलने का मौका दे ताकि वे अपनी बात कह सकें। एक दिन का सैनिकान आपने रखा है संविधान के मुताबिक तो आप यह एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। स्पीकर साहब, मैंने बी0ए0सी0 की मीटिंग में भी कहा था तथा मैं यह कह कर मीटिंग से उठ कर आ गया था कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी है तो मैं जा रहा हूँ। आपने

हमे बिजनैस एडवार्डजरी कमेटी का मैम्बर बनाया है लेकिन आप हमारी बात न सुने तो यह अच्छी बात नहीं है। हमारी जो ऐडजार्नमेंट मौ एन्ज है आप कम से कम उन पर ध्यान दे और एक हफ्ते का सै ान कम से कम हो। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हाउस के कस्टोडियन है और इस कुर्सी पर बैठे हए है हांलांकि थोडे समय के लिए ही आप बैठे हुए है। आने वाले दिनों मे तो आप आने वाले नहीं है। मेरी आपसे विनती हे कि अगर थोडी बहुत मर्यादा है तो आप गवर्नमेंट की डायरेक्ट कीजिए कि सै ान की अवधि बढाएं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुने। सै ान के लिए 14 दिन के नोटिस का समय होता है लेकिन नोटिस के 14 दिन नहीं बनते है। सरकार ने अपने फायदा के लिए यह सै ान बुलाया है। मै आपसे विनती करता हू कि अपनी मान मर्यादा के लिए सै ान की अवधि बढाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हू कि एक दिन का सै ान तो मखौल बन कर रह गया है। आज तक हरियाणा के इतिहास मे कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सै ान तो बुलाया जाए तीन दिन के लिए और उसे एक दिन मे ही समाप्त कर दिया जाए। स्पीकर साहब, सरकार का पांच साल का लेखा जोखा है, इतने भूमि के घोटाले है उन पर सब के अपनी बात कहनी है।.....

.....

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर नहीं बोल रहे हैं इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (विधन अब आप जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं है। इसलिए आप बैठें। (गोर एवम विधन) क्या आप ठीक बात कर रहे हैं आप कभी ठीक बात तो कहते नहीं नहीं हैं। (विधन)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (गोर एवम विधन) हर बात पर खडा होने की आपकी आदत सी हो गई है लेकिन आप फिर भी सब्जैक्ट पर नहीं बोल रहे हैं इसलिए आप बैठें। (विधन) ये जो कुछ भी ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (गोर एवम व्यवधान)

परिवहन मंत्री श्री अ गोक अरोडा: आप तो उसके साथ साजि ग मे भामिल हो। आप पंजाब सरकार मे भामिल हो, केन्द्र की सरकार मे भी भामिल हो। आप उनके साथ मिलकर साजि ग कर रहे हो। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सब बैठ जाएं। (गोर एवम व्यवधान) कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। जगजीत सिंह जी, आप भी अपनी सीट पर बैठें जाएं। (गोर एवम व्यवधान) प्रोफेसर साहब, आप बोले। (गोर एवम व्यवधान) आप सब बैठ जाएं, वित्त मंत्री जी बोलने के लिए खडे हैं।

वित्त मंत्री (प्रो सम्पत सिंह): सर, आप इनको बिठाए।
(गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राम किान फौजी, आप बैठ जाए। (गोर एवम व्यवधान) जगजीत सिंह जी, आप बैठ जाए। (गोर एवम व्यवधान) नहीं, नहीं, आप सब बैठ जाएं। आप मेसे किसी का कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है क्योंकि आपसब बिना इजाजत के बोल रहे हैं। इसलिए आप सब अपनी सीट पर बैठ जाए। (गोर एवम व्यवधान)

वाक आउट

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से अन्डर रूल 30 पर बोलना चाहता हू। स्पीकर साहब, इक्वीटेयान डिस्ट्रब्यूयान पर बोलना चाहता हू।

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, यह विशय दूर चल गया है। आप बहुत लेट हो गए हो। अब तो टाईम टेबल का जिकर है। (गोर एवम व्यवधान) आप बैठ जाए, आप तैा मे न आए। (गोर एवम व्यवधान) मैं आपको वार्न करता हू।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब,

श्री अध्यक्ष: इनकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जाए। (गोर एवम व्यवधान) आप बैठ जाए, आपका कुछ भी रिकार्ड

नहीं हो रहा है। (तोर एवम व्यवधान) आप बैठ जाए। मैं आपको वार्न करता हू। इनका कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब,

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठे जाएं, मैं आपको आखिरी वार्निंग देता हू। आप लोकतंत्र का मजाक न उडाए। आप सीमा में रहे। (तोर एवम व्यवधान) इनका कुछ भी रिकार्ड न करे क्योंकि ये सब्जैक्ट पर नहीं बोल रहे हैं। (तोर एवम व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब,.....

चौ० भजन लाल: स्पीकर सर,

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी, आपकी बात हो चुकी है। आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं। आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और नहीं हमारी बात मान रहे हैं। इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य एवम आजाद सदस्य श्री जय प्रकाश गुप्ता जी, श्री राजेन्द्र सिंह बिसला, श्री देव राज, श्री दीवान, श्री भीम

सेन मेहता, श्री दरियाव सिंह, श्री तेजवीर सिंह और श्री उदयभान
सदन से वाक आउट कर गए।)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट
(पुनरारम्भ)

श्री राम किान फौजी (बवानी खेडा): अध्यक्ष महोदय,
सदन का समय बहुत ही कीमती समय है और एस0वाई0एस0 का
मुद्दा बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का
फेसला हमारे हक में आया है। और इस सरकार के हम के आया
है। (गोर एवम व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से
सभी सदस्यों से और कांग्रेस के भाईयो से निवेदन है कि ये भाोर
न मचांए। मेरे कांग्रेस के भाई सोनिया जी से कहे कि वे हरियाणा
में पानी लाए। अगर ये पानी नहीं ला पाते हैं तो इसके लिए दोशी
है। (गोर एवम व्यवधान) यहां पर पानी के बारे में और दूसरी
बातों के बारे में सबसे ज्यादा अनिता जी भाोर मचाती है। (गोर
एवम व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात
कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठ जाएं। (गोर एवम
व्यवधान) अब कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड में नहीं की जाए।
कैप्टन साहब, आप फौजी साहब को बोलने दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,

श्री राम किान फौजी: अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी की या सिकी दूसरे की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इतना ही कर रहा हूँ कि कांग्रेस के 9 एम0पीज0 है लेकिन इन में किसी ने भी एस0वाई0एल0 कैनल के पानी लाने के बारे में एक बार दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से बात नहीं की है कि आप हमें इसका पानी दिलवाएं। इनको उनसे कहना चाहिए था कि अगर आप हमें इसका पानी नहीं दिलवाएंगे तो हम इसके विरोध में इस्तीफा दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अगर मौजूदा सरकार चाहती तो आज से तीन साल पहले ही एस0वाई0एल0 कैनल का पानी हरियाणा में आ सकता था लेकिन मौजूदा सरकार चाहती ही नहीं थी। अगर केंद्र सरकार हमें इसका पानी नहीं दे रही थी यह रोड रोक देते, बसे फूंक देते लेकिन मौजूदा सरकार ने इस बारे में आज तक एक कदम भी नहीं उठाया।

श्री अध्यक्ष: फौजी साहब, आप यह बताएं कि इस मामले में दिल्ली की सरकार का क्या रोल है ?

श्री राम किान फौजी: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सरकार ने तो बिल्कुल तबाह कर दिया है। हरियाणा की जनता ने मौजूदा सरकार को यहां पर और कांग्रेस के 9 एम0पीज0 को हरियाणा के हित में बचाने के लिए चुनकर भेजा था कि उनके हितों पर कुठाराघात करने के लिए। कांग्रेस वालों को 9 एम0पीज0 का वहम हो गया है लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि अब उनकी किसी की भी जमानत नहीं बचेगी। (गोर एवम व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विकास पार्टी नाम की चिडिया प्रदेा में नहीं रहेगी। क्योकि इनकी सारी पार्टी टूट रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप दोनों लडो मत। दोनों के हाल ठीक हो जाएगा। आप चिन्ता न करे। फौजी साहब, कैप्टन साहब ने ठीक ही कहा है। आप दोनों ही नहीं रहेगे।

श्री राम किान फौजी: अध्यक्ष महोदय, आप भी नहीं रहेगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप कौन सी पार्टी में है।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी पार्टी में हूँ मैं सभी की पार्टी में हूँ। (गोर एवम व्यवधान)

श्री राम किान फौजी: अनिता जी, आप बता दे के पानी लाने के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया है ? (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फौजी साहब, ये आपकी बात से सहमा है क्योकि इनमें से आपकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, अभी चौधरी भजन लाल जी, कैप्टन साहब, दलाल साहब, और दूसरे अन्य साथियो ने ऐतराज उठाया कि एक ही दिन का सैान है

जब कि पहले तीन दिन का काल किया गया था और यह सैान कम से कम दस दिन बारह दिन या पन्द्रह दिन का होना चाहिए। स्पीकर साहब, इन्होंने यह प्रान आपके सामने उठाया है। आप हरियाणा विधान सभा की प्रोसीडिंग्स का रिकार्ड देख ले। पौने पांच साल से जिस तरह से इनकी कार्यवाही रही है, योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, वह सब को पता ही है। जांतत्र के अंदर अकेली रूलिंग पार्टी नहीं होती है। बल्कि विपक्ष भी होता है। जब अधिवेशन होता है तो जनता भी देखती है कि रूलिंग पार्टी के लोग क्या जवाब देते हैं और अपोजीशन वाले क्या पूछते हैं। (और एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप बैठ जाऐ।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने तो कभी भी किसी को इंट्रूड नही की। मैं कभी किसी मैम्बर को एड्रेस करके नही बोलता और न ही कभी किसी को इंट्रूट करता। मैं आपको एड्रेस करके ही बोलता हू। मैं कहना चाहता था कि सैल्फ कंट्राडिटरी बयान इनकी पार्टी के प्रधान ने दिए हैं। भजन लाल जी ने बोलते हुए पहली बात यह कही है कि इस सैान को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, यही से इनकी मंता हो जाती है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पडता है कि प्रजातंत्र के अंदर जंहा एक तरफ हाउस का लीडर होता है जिनको हम मुख्यमंत्री कहते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी होता है कांग्रेस पार्टी अपने आपको नेशनल पार्टी कहती है।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: सिर्फ कही नहीं है असम में ने नेशनल पार्टी है।.....

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं डा० रघुबीर सिंह कादियान को बताना चाहता हूँ कि

Dr, Raghubir Singh: I am addressing to the Speaker not to you.

Prof Sampat Singh: Sir, out of 550 seats, the Congress has got only 145 seats. So Congress Party is not a national party. रीजनल पार्टी वाले भी 140-145 सीट्स ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: रघुबीर सिंह कादियान, आप बैठ जाएं, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप यह बात कैसे कह रहे हैं।.....

श्री अध्यक्ष: कप्तान साहब, आप बैठ जाएं। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। अंग्रेजों की बनाई पार्टी है अंग्रेजों का कब्जा है। आप बैठ जाइए। (गोर एवम व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, पहली बात मैंने बता दी थी कि ने नेशनल पार्टी जो मुख्य विपक्ष कहलाता है उनके अध्यक्ष ने अपनी बात स्टार्ट करते ही कहा था कि पहली बात तो इस सेशन को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे यह बात

इसलिए दोहरानी पड रही है कि पहले भजन लाल जी बैठे नहीं थे।

चौधरी भजन लाल: सै तन क्यो बुलाना पडा क्या आप यह भी बताएगे ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी एक हैबिट है कि मैं चेयर को ऐड्रस करता हू। भजन लाल जी मुझे अपनी बात कह लेने दे उसके बाद वे अपनी बात कह दे।

आई०जी० (से०नि०) श्री भोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह जो अग्रेज का राज वाली बात कही गई थी that has be expunged.

श्री अध्यक्ष: राज नहीं पार्टी जो कि अग्रेजों ने बनाई थी। कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधान अग्रेज थे और अब इटली की है। (गोर एवम व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहता हू कि चौधरी देवी लाल जी ने भी तो आधी उम्र कांग्रेस पार्टी में बिताई है।

प्रो० सम्पत सिंह: चौधरी देवी लाल जी उस पार्टी के सदस्य रहे हैं जिसके बैनर के नीचे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। उस आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस ने आजादी का जो सुख भोग उस पार्टी में चौधरी देवी लाल जी नहीं रहे हैं। जब

आजादी की लड़ाई लड़ी गई उस वक्त चौधरी देवी लाल जी मॅबर थे, इस बात को हम फरख है कि हमारे नेता स्वतंत्रता सेनानी रहे है। छोटी सी उम्र मे, 14 साल की उम्र मे जेल जाना और अग्रेजो के खिलाफ लड़ाई लडना इस बात को इनको ऐप्रीटि एट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जब दे आ की आजादी की लड़ाई लडी तक चौधरी देवी लाल जी भी ये लड़ाई लड रहे थे। दे आ आजाद होने के बाद दे आ की आजादी के नाम फायदा उठाकर कांग्रेस ने जिस तरीके से दे आ का भाषण किया है उस कांग्रेस के चौधरी देवी लाल जी मॅबर नही थे।

चौधरी भजन लाल: चौधरी देवी लाल काफी समय तक कांग्रेस के मॅबर रहे है।.....

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हम और आप भी विपक्ष मे होते थे तब हम आपने सवाल जब हाउस एडजर्न होता था उसके अगले वीक मे भेज दिया करते थे। इसका मतलब तो यह है कि ये 15 दिन पहले ही सीरियस होते थे बाकी साल सीरियस नही होते केवल मात्र भाोर माचाते है। हरियाणा विकास पार्टी के सदस्य फौजी साहब ने एक बात कही। हालांकि मै यहा पर उनकी बात दोहनाना नही चाहता उन्होने कहा था कि एस०वाई०एल० नहर के मामले मे कांग्रेस पार्टी सीरियस नही है।

कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में कुछ नहीं किया कि, ना जाकर दिया मैं सारी बातें रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने इधर भी इधर किया कि यह सरकार भी इस मामले में सीरियस होती तो अब तक नहर बन जाती। स्पीकर साहब, 24.7.1999 को जिस दिन चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार ने कार्यभार संभाला उसी दिन से एस0वाई0एल0 नहर के मामले को जो बस्ता बन्द पड़ा था उसको ढूँढा और उसे खोलने का काम किया और सिर्फ खोलने का ही नहीं किया बल्कि बड़े से बड़े वकील को एनगेज किया और कानूनी लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा आया 15.1.2002 को। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? उस नतीजे में कहा गया कि एक साल के अन्दर उस नहर को पंजाब सरकार बनायेगी अगर पंजाब सरकार नहीं बनायेगी तो केन्द्र की सरकार बनायेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये आपका कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, इनको बोलने दें ये प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप अपने नेता की सिफारिश जाकर रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूँ। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,.....

प्रो० सम्पत सिंह: लीगल बैटल लडी गई थी। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी को ता था कि पजाब मे इस नहर के मामले मे राजनीतिकरण हो रहा है। और इस राजनीतिकरण के होते पजाब मे कोई भी पार्टी इस नहर को नहीं बनायेगी चाहे वह पार्टी सुबह सवरे उठी हो और उसके अपनी आखे भी नहीं धोई हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अकाली पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो।

16.00 बजे

कोई भी पार्टी हो सभी एक ही बात कहती है कि हम हरियाणा की जनता को एक बूंद पानी नहीं देगे, सारी पार्टियों इस मामले मे एक है। यह सोचते हुए ही हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय ने सोचा कि इसका कोई राजनीतिक हल नहीं हो सकता इसका हल तो कानूनी होगा। हाईस्ट कोर्ट आफ दि लैंड सुप्रीम कोर्ट मे पैरवी करके हम इस केस को जीतकर आए। 15 जनवरी को हम जीते, उसके बाद स्पीकर साहब, आपको पता है कि फरवारी मे पजाब मे चुनाव हो चुके थे और वहां सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी और आने के बाद मालूम चला कि नवम्बर तक कोई काम नहीं हुआ। मेरे ये साथी कोई नहीं बोले,

कोई चुस्के नहीं, कांग्रेस की सरकार पजाब थी, ये पजाब के मुख्यमंत्री जी से मिले नहीं, ये कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी से मिलते और नहर बनवाते। पजाब की कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदे 1 को भी नहीं माना। हमारे मुख्यमंत्री जी चौधरी ओमप्रका 1 चौटाला जी जानते थे कि पजाब की सरकार यह नहर नहीं बनवाएगी तो नवम्बर में चौधरी ओम प्रका 1 चौटाला की सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह डायरेक्ट अन लेने के लिए गई कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का डायरेक्ट किया जाए और उनको टाइम बाउंड किया जाए कि इस नहर को बनाया जाए। चौधरी ओम प्रका 1 चौटाला जी को पहले ही मालूम था कि वहां 15 पार्टियो है वे नहर नहीं बनवाएगी। (गोर एवम व्यवधान) मैं फौजी के सवाल का जवाब दे रहा हू जो उन्होंने बेसिक सवाल उठाया था कि 4 साल तक सरकार क्या करती रही, I am telling about that कि सरकार क्या कर रही है। (गोर एवम व्यवधान) उसके बाद 14 जनवरी, 2003 आई, डे वन था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के पाले में गंद जानी थी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय पहले की कोर्ट में चले गए, ये लोग साल बाद धरना देते हैं। 4 जून, 2004 को फेसला आया। वह फैसला अपने आप में एक इतिहास बन गया। जैसे एक नवम्बर, 1966 एक इतिहास है जब चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा बनवाया था वैसे ही 4 जून, 2004 को भी एक इतिहास रचा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि within one month सैन्ट्रल एजेंसी एक्वायंट की जाए उसके बाद within 14 days काम को एक्जीक्यूट किया जाए। (गोर एवम व्यवधान) अध्यक्ष महोदय,

भजन लाल जी कोर्ट में without notice of 80 CPC गए। अब ये कह देगे 80CPC क्या है? इन्होंने एक तारीख भी नहीं भुगती, जब तक इनकी सरकार रही, क्या किसी को इन्होंने कोई नोटिस दिया, इन्होंने कोई तारीख नहीं भुगती। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए ये कोर्ट में गए थे। इनकी कोई याचिका कानूनी तौर पर वहां ठहर नहीं सकी। इन्होंने मात्र यही काम किया कि ये without 80 CPC कोर्ट में गए, कोई इनका नोटिस नहीं था। जो कुछ भी किया आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया, प्रजेंट गवर्नमेंट ने किया। (गौर एवम व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं फौजी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, इस समय तो बी०ए०सी० पर डिस्कशन चल रही है, क्या इस समय यह डिस्कशन आप ठीक मानते हैं? (गौर एवम व्यवधान)

प्र० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी और फौजी ने यह पूछा था इसलिए यदि उसका जवाब हम नहीं देगे तो यह हमारे पार्ट पर कोताही होगी।

Mr Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sitting of the Assembly indefinitely.

Mr Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sitting of the Assembly indefinitely.

Mr Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sitting of the Assembly indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjournde sine die.

Mr Speakder: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjournde sine die.

Mr Speakder: Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjournde sine die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले / पुनः रखे जाने वाल
कागज पत्र

Mr Speakder: Now, a Minister will re-lay/lay the papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to re-lay/lay the papers on the Table of the House.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 21/H.A 20/1973/S. 64/2003, dated the 7th February, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, as required under Sections 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 32/H.A 20/1973/S. 64/2003, dated the 11th March , 2003, regarding the Haryana General Sales Tax Rules, 1975,

as required under Sections 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 36/H.A 20/1973/S. 64/2003, dated the 26th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, as required under Sections 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 132/H.A 13/2000/S. 26/2003, dated the 31st October, 2003, regarding the Haryana Local Area Development Tax Rule, 2001, as required under Sections 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 135/H.A 13/2000/S. 11/2003, dated the 13th November, 2003, regarding the Haryana Local Area Development Tax Rule, 2001, as required under Sections 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 10/H.A 13/2000/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding , exemption/reduction of tax with effect from 22nd January, 2004 payable under the Haryana Local Area Development Tax Rule, 2001, as required under Sections 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000. in exercise of the powers conferred by section (11)1 of the Act ibid and all other enabling powers and in supersession under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 11/H.A 13/2000/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding , the amendment in Haryana Government Excise and Taxation Department Notification No. S.O 118/H.A 13/2000/ S. 11/2000 dated 29nd September, 2000 as required under Section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 12/H.A 13/2000/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding , exemption/reduction of tax with effect from 22nd January, 2004 payable under the Haryana Local Area Development Tax Rule, 2001, as required under Sections 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000. in exercise of the powers conferred by section (3)1 of the Act ibid and all other enabling powers and in behalf and in supersession of Haryana Government Excise and Taxation Department Notification No. S.O 9/H.A 13/2000/S. 11/2003, dated the 27th January, 2003 regarding the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O 45/ H.A 9/1979/S. 8/2004, dated the 29 April, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Rules, 1979, as required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979

Sir, I also beg to lay on the table of the House.

The Education and Languages Department Notification No. S.O 22/H.A 12/1999/S, 24/2001, dated the

20th February, 2004 regarding Haryana School Education (Amendment) Rules, 2004, as required under Section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Education and Languages Departement Notification No. S.O 67/H.A 12/1999/S, 24/2001, dated the 11 August, 2004 regarding Haryana School Education (Second Amendment) Rules, 2004, as required under Section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Annual Report of Haryana Chaudhary Chara Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 2002-2003, as required under sub para (5) of para II of the Scheduled with the Haryana Electricity Refrom Act, 1998 and Section 105(2) of the Electricity Act, 2003.

The Audit Report of the Haryana Labour Welfare Board for the year 2001-2002 as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers ad Conditions of Servive) Act, 1971.

The 4th Annual Reports of the Haryana Powers Generation Corporation Limited for the year 2000-2001, as required under Section 619-A (3) (b) of of the Companies Act, 1956.

The 36th Annual Reports of the Haryana State Industrial Development Corporation for the year 2002-2003, as required under Section 619-A (3) (b) of of the Companies Act, 1956.

The 31th Annual Reports of the Haryana Tanneries Limited, Jind for the year 2002-2003, as required under Section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Report of the Commission of Inquiry headed by Justice J.C Verma (Retd) regarding imposition and the subsequent withdrawal of the Prohibition Policy in Haryana alongwith Memorandum of Action Taken Report thereon by the State Government, as Action Taken Report thereon by the State Government, as required under sub section (4) of Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1972.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a calling attention notice Capt. Ajay Singh Yadav, MLA and 4 other M.L.As. regarding declaration by the Government to apply the slab system for tubewells in the State. I admit it. Capt. Ajay Singh Yadav may read out his notice.

वित्त मंत्री प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कालिग अटे इन मो इन को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में टेकअप कर लें।

विशेशाधिकार मामलों के संबंध में विशेशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री जय प्रकाश बरवाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध

Mr. Deputy Speaker: Now, Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Committee of Privileges will present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, MLA and Sh. Padam Singh, MLA against Shri Jai Parkash, Barwala (Now M.P) M.L.A regarding taking of mock Chair in the well of the House and Showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly, thus, committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shir Jai Parkash Barwala, M.L.A on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentaiton of the final report to the House be extended upto the first sitting the next Session.

Sh. Bhagwan Sahai Rawat, (Chairperson Privileges Committee): Sir I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, MLA and Sh. Padam Singh, MLA and Shri Padam Singh Dahiya, M.L.A against Shri Jai Parkash, Barwala M.L.A regarding taking of mock Chair in the well of the House and Showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly, thus, committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shir Jai Parkash Barwala, M.L.A on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल एम.एल.ए. के विरुद्ध

Mr. Deputy Speaker: Now, Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee will present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A and Shri Pawan Kumar, M.L.A for coming to/remaining in the well of the House in under defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to may handly with the watch and ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav. M.L.A, breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharamvir Singh M.L.A, and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in

the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A and thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt Ajay Singh Yadav, M.L.A, Shri Dharamvir Singh, M.L.A and Shri Jagjit Singh M.L.A on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting the next Session.

Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges

Committee: Sir I beg to the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A and Shri Pawan Kumar, M.L.A for coming to/remaining in the well of the House in under defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to may handly with the watch and ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav. M.L.A, breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharamvir Singh M.L.A, and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A and thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt Ajay Singh Yadav, M.L.A, Shri Dharamvir Singh, M.L.A and Shri Jagjit Singh M.L.A on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Question is –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

The motion was carried.

(iii) डा० रघुबीर सिंह कादियान, एम.एल.एज. के विरुद्ध

Mr. Deputy Speaker: Now, Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Committee of Privileges will present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Dr. Sita Ram, MLA and Sh. Jasbir Mallour, MLA against Dr. Raghubir Singh M.L.A for coming to/remaining to the well of the House, tearing of book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assmbley, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A on on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentaiton of the final report to the House be extended upto the first sitting the next Session.

Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges

Committee: Sir I beg to present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Dr. Sita Ram, MLA and Sh. Jasbir Mallour, MLA against Dr. Raghbir Singh M.L.A for coming to/remaining to the well of the House, tearing of book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assmbley, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Dr. Raghbir Singh Kadian, M.L.A on on 5th March, 2002 Sir, I also beg to move -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

The motion was carried.

(iv) डा0 रघुबीर सिंह कादियान, एम.एल.ए. के विरुद्ध

Mr. Deputy Speaker: Now, Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Dr, Sita Ram, M.L.A adn Shri Jasbir Mallour, M.L.A against Dr. Raghubir Singh Kadina M.L.A for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Proceudre and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt. Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A Shri Dharamvir Singh, M.L.A and Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A on on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentaiton of the final report to the House be extended upto the first sitting the next Session.

Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee: Sir I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Dr, Sita Ram, M.L.A adn Shri Jasbir Mallour, M.L.A against Dr. Raghubir Singh Kadina M.L.A for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Proceudre and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt. Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A Shri Dharamvir Singh, M.L.A and Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A on on 5th March, 2002

Sir, I also beg to move –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

The motion was carried.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a calling attention notice regarding by the Governemnt to apply salb system for tubewells in the State of Haryana form Capt. Ajay Singh Yadav, MLA and 4 other M.L.As. I admit it. Now, Cpat. Ajay Singh Yadav, may read out his notice and the Concerned Minister will make a statement thereafter..

Capt. Ajay Singh Yadav: Sir, I alos want ot draw the attention of this August House towards a matter of urgent public importance for discussion in the Current Session of Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004.

Recently, the State Government has made an announcement for implementing the slab system for the tubewells based on electricity. According to which the farmers will have to pay for tubwell bill Rs. 25 paise per unit of Rs. 35 per horse power. But unfortunately like the other remaining announcements this announcement has also not been implemented. But even if the said announcement is implemented there is no hope of getting and relief therefrom to the farmers of Rewari, Mahendergarh, Jhajjar, Gurgaon, Bhiwani, and Faridabad districts. Firstly the farmers have to wait for years to get the tubewell connection. Secondly, an amount of Rs. 20000 have to be deposited per tubewells connection as a security. Not only this, Rs. 7000 per pol will also have to be deposited separately after getting the tubewell connection. As the water level has gone down from 300 feet to 700 feet in the above said districts, therefore only submersible pumps can be installed there for which the farmers have to spent more than Rs. One lakh for its installation.

The slab system which is going to be implemented by the State Government is the misadventure to provide benefit only to the farmers of a particular area. As the areas of Rewari, Mahendergarh, Jhajjar, Bhiwani and Mewat etc. are such areas where the water level is very low and the agricultural land is not more fertile. There is no sources of irrigation like canals. etc. The farmers have to depend on the electricity tubewells and they make both ends to meet. The agricultural land is not properly levelled in these districts due to which the farmers have to spent the money on the sprinkler irrigation separately. On the other hand there are such districts where the farmers are taking 3 crops in a year and

the water level is also available up to 70-80 feet. Besides it, the farmers are not only dependent on the tubewells because there is also abundant of canal water. In this way, the southern Haryana is facing a shortage of irrigation facilities as compared to the remaining part of Haryana and is backward completely.

Therefore, the announcements which has now been made by State Government for implementing the slab system for the tubewells is a mere announcement and the farmers of the southern Haryana will not get any special relief therefrom. If the Government is really worried about the farmers than the Government should provide some relief by charging the electricity bills of the tubewells @ 15 paise per unit or Rs. 15 per horse power in the above said districts of southern Haryana.

Therefore, they request the Government to clarify its position by making a statement in this regard on the floor of this House.

वक्तव्य

Finance Minister (Prof Sampat Singh): Sir, the concessional tariff to the tubewells consumers based on depth of tubewells was introduced w.e.f 1-5-1998 all over State. The tariff rates applicable for metered and un metered tubewells were as under:

Depth	Tariff	
	Metered Category	Un metered Category

Upto 100 ft.	62 P/unit	Rs. 100/BHP Per month
101 to 150 ft.	50 P/Unit	Rs. 75/BHP per month
151 to 200 ft.	43 P/Unit	Rs. 60/BHP per month
Above 200 ft.	34P/Unit	Rs. 54/BPH per month

These rates were further decided to be revised with effects from 1st September, 2001 as follows:

Depth	Tariff	
	Metered Category	Un metered Category
Upto 100 ft.	62 P/unit	Rs. 100/BHP Per month
101 to 150 ft.	50 P/Unit	Rs. 75/BHP per month
151 to 200 ft.	43 P/Unit	Rs. 60/BHP per month
Above 200 ft.	34P/Unit	Rs. 54/BPH per month

The above rates were based on Patwar circle as a unit, governed by the majority tubewells falling in a depth Zone. However, the concessional agricultural tariff under slab

system led to wide spread discontentment among the farmers on because the water table in the State had generally gone down since 1998. Agricultural consumers therefore represented for a re-survey. There was resnetment also as different tariff rates were applicable to the neighbouring tubewells consumers falling in different Patwar circles although the depth of such neighbouring tubewells was nearly similar.

Several consumers filed a writ petition before the High Court contesting the tariff policy. The State Government accordingly constituted a High Powered Committee under the Finance Minister Haryana which met several times. It was observed that the slab system of tariff was not relevant as the water level in the State had generally receded and consequently majority of tubewells were having depth of more than 200 ft. Re-surveys of the tubewells for ascertaining their depth was not possible as the survey originally carried out by the Agricultural Department was based on recall method.

Keeping in view the above factors and the recommendations of the High Powered Committee the State Government abolished the slab system of tariff in the State and recommended substitution of the same with a uniform tariff of Rs, 35/BHP/month for flat rate tubewells and 25 P/Unit for metered tubewells with effect from 15th August, 2004. These tariff rates are substantially lower than lowest slab under the existing slab system for agricultural tubewells for which the State Government has agreed to provide additional subsidy to the extent of Rs. 138 crores annually.

The annual minimum charges have also been lowered to Rs. 200 per annum from Rs. 540 per annum.

The new tariff rates announced are presently under consideration by the Haryana Electricity Regulatory Commission. The Commission has been entrusted the function of determination of tariff under legislation and no change in tariff can be made without the approval of the Regulatory Commission.

It is incorrect to say that the farmers of Rewari, Mohindergarh, Jhajjar, Gurgaon, Bhiwani and Faridabad will not be benefited as the sub soil water level in these districts is very and no other source of irrigation is available. It may be pertinent to point out that an estimated 128073 consumers having tubewells of various depth zones pertaining to above districts as mentioned will be benefited because of the reduction. The total estimated number of tubewells in the State is 384344 units 1/3rd of total tubewells in the State are in this Zone.

It may also be observed that all the consumers in various depth zone would be benefited with the new tariff policy.

It may further be pointed out that the depth of water table of 70 to 80 ft. in the state as indicated by the Hon'ble Member is no longer applicable for majority of tubewells in the State. The basic purpose of removing the slab system was to eliminate differential treatment to the consumers and to lower the tariff rates, to a level where all

the tubewells consumers in the State are substantially benefited.

it may also be mentioned that from the year 1993-94 to 1999-2000, a total number of 14546 agriculture connections were released whereas from the year 2000-2001 to August, 2004 a total number 45133 agriculture connctions have been released.

it would thus be amply clear that the Calling Attention Motion of the Hon'ble Members is Misinformed and without merit. The Goverment has taken unprecedented measures to benefit the agriculturists using tubewells in the State and the same is widely welcomed.

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा है कि एक तरफ तो आबियान माफ कर दिया गया और जंहा पर ट्यूबवैल नहीं है केवल नहरों पर आधारित सिंचाई व्यवस्था है वहां पर तो इनहोने बिल्कुल फ्री पानी की घोशणा कर दी वही दूसरी तरफ इन्होने अपने जवाब में फिगरज देते हुए यह भी बताया कि 128073 कंज्यूमर्ज ऐसे हैं जो डैपथ जोन में हैं। इन्होने अपने जवाब में यह भी बताया कि 384344 ट्यूबवैल्ज यानी वन थर्ड ट्यूबवैल्ज ऐसे डैपथ जोन में हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह फिगरज तो पांच जिलों की है जबकि हरियाणा में 19 जिले हैं। 19 जिलों के मुकाबले यह केवल पांच जिलों के बारे में बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है

कि कई जगह ऐसी है जहां पर पानी 800 या 900 फुट नीचे चला गया है। मुख्यमंत्री जी जो फ्री बिजली और पानी की बात कर रहे थे तो मैं अपने स्पैसिफिक क्वै चन के माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में उन इलाकों में जहां पर खारा पानी है या जहां पर पानी बहुत नीचे चला गया है और जो इलाके केवल ट्यूबवैल बेस्ड हैं वहां के लोगों को आप स्पैसिफिक रिलीफ देग या नहीं देगे त्र यह मेरा प्र ान है।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिकर किया पांच जिलों का। चूंकि मेरा यह जवाब अंग्रेजी में दिया जा रहा था और मैं उसको थोड़ा जल्दी भी पढ़ रहा था इसलिए कई बार आदमी की टंग स्लिप भी हो जाती है इसलिए हो सकता है कि ये मेरी बात को समझ न पाए हों। जैसा मैं पहले कर रहा था कि अच्छा होता कि ये उनकी रिकोगने ान एज ए अपोजी ान लीडर आफ दी हाउस कर देते क्योंकि अपोजी ान का लीडर होता तो अच्छी बात होती लेकिन स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह था कि इन्होंने खुद कांलिंग अटै ान मो ान दिया है इसलिए इनको पता होना चाहिए कि उसमें भी इन्होंने सिर्फ पांच जिलों का जिकर किया है। ऐसा करके ये तो खुद हरियाणा को भी बाटना चाहते थे जबकि सुबह ये ने ानल पार्टी वाली बात कर रहे थे। लेकिन इनकी इस तरह की बातें देखकर तो अब इनकी ने ानल पार्टी बात भी नहीं रह गयी है। यह तो हरियाणा के अंदर भी रीजन बना रहे हैं लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि बड़ी

मुक्ति कल से हरियाणा बना है और इस हरियाणा को बनाने में बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी गयी है। लेकिन ये हरियाणा को नोर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जोन्ज में बांटना चाहते हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि सारे का सारा हरियाणा एक यूनिट है। सारे हरियाणा का एक साथ ख्याल करते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनायी और कमेटी बनाने के बाद इस मामले को थोरोली जांच किया गया। मेरे मित्र राजेन्द्र सिंह बिसला जी जो अब कांग्रेस में बैठे हैं, वे भी इस कमेटी की मीटिंग में आते थे, इनके अलावा और भी हमारे साथी आते थे। असैम्बली के आधे के करीब मैम्बरज को बुलाया गया था और उनसे इस बारे में पूछा गया था कि आप इस बारे में किस किस्म की बात चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मांग यह थी कि इसके दो स्लैब सिस्टम कर दिए जाने चाहिए। एक तो 200 फिट की गहराई तक का स्लैब कर दे 200 फुट तक गहराई का जो रेट है वह दूसरा रख दिया और 200 फुट से ज्यादा गहराई का है वह दूसरा रख दिया। उसके अंदर यह मांग थी कि 200 फुट से ज्यादा गहराई के जो ट्यूबवैल हैं वहां नीचे का स्लैब 48 रुपये पर हांस पावर वाला और 38 पैसे पर यूनिट वाला है वहां तो उस हिसाब से कर दे और इससे ऊपर वाले का 46 से 63 रुपये हांस पावर के हिसाब से कर दे यह मांग थी सबकी तरफ से, इसको देखते हुए ये दोनों बातें छोड़ दीं हालांकि वे इससे ज्यादा रेट पर राजी थे। लेकिन यह सोचकर कि ट्यूबवैल का पानी बहुत नीचे चला गया है और हर एरिया में नीचे गया है। जहां 200 फुट से नीचे था वहां भी और नीचे गया है सारी स्टेट में

पानी नीचे गया है इसमें कोई दो राय नहीं है और इधर लिटिंगे ांज भी आ रहे थे। जगह जगह लोग कोर्ट्स में जा रहे थे लेकिन सवाल कोर्ट्स में जाने का नहीं था। पब्लिक के अंदर एक किनारे पर जो उसका पटवार सर्कल है उसका खेत आता है उसके ट्यूबवैल का रेट 104 रूपये था और साथ वाले खेत में क्योंकि दूसरा पटवार सर्कल आ जाता है उसका रेट 48 रूपये पर हार्स पावर के हिसाब से था इतनी बड़ी ऐनोमली थी अध्यक्ष महोदय, आप भी फार्मर है आपके सामने भी ये बातें बार बार आई हैं कि इस तरह से रेट्स अलग अलग ट्यूबवैल के अलग अलग आ रहे हैं। इसका सिस्टम बनाएं। बड़ी मेहनत करने के बाद कमेटी ने रिपोर्ट दी और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ही फिराखदिली दिखाई उसको सारे हाउस को ऐप्रोि एट करना चाहिए। बजाय इसके इनको यह नहीं करना चाहिए कि फलां जिल में फायदा नहीं हो रहा है। जो 200 फुट से नीचे गहरा बना है उसका रेट पहले 38 पैसे था उसे 38 फायदा नहीं हो रहे हैं। जो 200 फुट से नीचे गहरा बना है उसका रेट 38 पैसे था उसे 38 पैसे से घटाकर 25 पैसे पर यूनिट कर दिया है सौ पर करेंगे तो it will amount to 37 or 38% . 37 or 38% परसेंट का सीधे बैनिफिट फार्मर को दिया गया है तो भी कहना कि रिलीफ नहीं दिया है। यह गलत है। बाकायदा रिलीफ दिया गया है और हर कैटगरी में सबको रिलीफ मिला हैं। जो किसानों ट्यूबवैल से खेती करते हैं उनके लिए इससे बढ़िया फेसला कोई हो नहीं सकता। इनको तो इसका वैलकम करना चाहिए और सारे हाउस को यूनैनिमसली वैलकम

करना चाहिए कि यह जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है इसको हम सोर के सारे वैलकम करते हैं और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि इसको लागू नहीं किया है। वहां मैंने जवाब में बताया है कि यह 15 अगस्त से लागू माना जाएगा। कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है और इसके लिए 138 करोड़ रुपये की की जरूरत पड़ेगी इसके लिए हमने हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटिरी कमीशन को सरकार की तरफ से लिखकर दे दिया है कि 138 करोड़ रुपया का सबसिडी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको देगे, अब उनका आर्डर अवेटिड है एक दिन में हो जाए, दो दिन में हो जाए या तीन दिन में हो जाए। हमारी तरफ से 15 अगस्त के बाद जिस रेट की घोषणा मुख्यमंत्री जी की तरफ से की गई है वह रेट लागू होंगे। यह कंसैशनल रेट्स है। They should welcome these concessional rates.

श्री भादी लाल बंत्रा: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा एक तरफ तो किसानों को राहत देने के लिए स्लैब रेट लाए गए हैं दूसरी तरफ यह नहीं दिखा कि अगर तीन एकड़ का किसान है वह 20 हजार रुपये सिक्योरिटी देगा और जितने पोल लगेंगे उनका सात हजार रुपये प्रति पोल के हिसाब से देगा तो क्या किसान इतने चार्जिज देकर ट्यूबवैल के कनेक्शन ले पाएगा, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने बताया है कि 1994 से 1999-2000 तक 14544 कनेक्शन दिए गए थे और इन्होंने 45133 कनेक्शन दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि बकाया कितने हैं और कितने फार्मर्स ने एप्लाइ कर रखा था जिनको

कनैव न नही मिला और क्या कारण थे। मेरे विचार से उसकी दो वजह थी एक तो पानी की कमी थी, नहरों में पानी आना नहीं था। हमारे एरिया में रोहतक और झज्जर जिले में पानी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती तो नहरों में पानी आता और नहरों में पानी आता तो किसान कुछ इस बारे में सोचता लेकिन पानी न आने के कारण होल्डिंग छोटी हो गई, तीन एकड़ की हो गई, चार एकड़ हो गई तब उसने ट्यूबवैल लगाने चाहा लेकिन ट्यूबवैल लगवाने के लिए सिक्योरिटी इतनी होगी, पोल के चार्जिज इतने ज्यादा होंगे तो ऐसे में किसान कैसे कनैव न ले पाएंगे यह मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूँ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जहां तक सिक्योरिटी की बात बत्रा साहब कह रहे हैं हैं कि 20 हजार रुपये सिक्योरिटी है, 30 हजार रुपये सिक्योरिटी है कोई 20 हजार या 30 हजार रुपये सिक्योरिटी नहीं है। 30 रुपये पर बी०एच०पी० सिक्योरिटी है जहां तक कनैव नज की बात है कनैव न जो बकाया है आज करीबन पांच हजार या 5400 कुछ के करीब कनैव न बकाया है। सरकार ने चाहा है कि चाहे रिपीटडली काम करना पड़े और ईवेन, प्राइवेट कम्पनी को इसमें इन्वोल्व करे और आउटसोर्स कर ले मैं आज सदन से यह कमिटीमेंट करता हूँ कि 15 अगस्त तक के जितने कनैव न बकाया है वे 31 दिसम्बर, 2004 तक दे दिए जायेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपमें माध्यम से आदरणीय सम्पत सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि जो इन्होंने जवाब में यह माना है कि किसानों को दिक्कत है। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में कई तरह के इलाके हैं एक इलाका तो ऐसा है जहाँ नहर का पानी जरूरत से ज्यादा उपलब्ध है और एक इलाका ऐसा है कि उसमें नहर का पानी तो दूर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यह निवेदन करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि क्या यह सरकार इस प्रकार का विचार करेगी कि जिन जिलों में नहर का पानी उपलब्ध नहीं है। क्या उन जिलों को बिजली के मामले में कोई रियासत देगी। दूसरी बात स्पीकर साहब, इन्होंने अपने रिप्लाइ में कहा है कि

“That new tariff announced is presently under consideration of the Haryana Electricity Regulatory Commission. The Commission has been entrusted the function of determination of tariff and under legislation no change can be made without the approval of the Regulatory Commission.”

स्पीकर साहब, विधान सभा ने बिजली के मामले में कानून बनाकर बिजली बोर्ड के स्थान पर लिमिटेड कंपनी बनाया और इस तरीके से क्या सरकार को उस कंपनी के मामले में दखल देना चाहिए। जब प्राइवेट कंपनी बनाई है तो जो सरकार ने बिजली के मामले में घोशणाएँ की हैं क्या उस कंपनी से इस बारे में पूछताछ की है या एक तरफा घोशणा कर दी है कि यह काम अण्डर कसीड्रै इन है क्या कानून में ऐसा प्रावधान है।

(गोर) सरकार अपनी घोशणा को मानेगी या अपनी पोलिसी को मानेगी। इस बारे में जवाब मंत्री जी देंगे। दूसरा स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री से एक निवेदन करूंगा कि इन्होंने घोशणा की है सारे किसानों का आबियान माफ करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप क्वै चन पूछिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल का आबियान जो हम यू०पी० की सरकार को देते हैं क्या यह सरकार यह आबियान देने का काम करेगी क्योंकि यह आबियान फरीदाबाद और मेवात के किसानों को देना पड़ता है। क्या इस बारे में सरकार विचार करेगी। स्पीकर साहब, इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप क्वै चन पूछिये। सुझाव तो मंत्री देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम सवाल है जिस तरीके से किसानों की दिक्कत हरियाणा के अंदर है क्या मंत्री जी इस बारे में सदन की एक कमेटी बनायेंगे जिसमें सभी दलों के सदस्य सम्मिलित हों जो किसानों की समस्या से वाकिफ हों और संबंधित विभाग के साथ बैठकर विचार विमर्श करें और दूसरे प्रदेशों में जाकर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पता करें कि किस प्रकार से किसानों को सुविधाएँ दी जा रही हैं। आज देश के अन्दर पंजाब का किसान

सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है जबकि हरियाणा का किसान बर्बाद हो रहा है, बेकार हो रहा है, क्या सरकार इस बारे में विचार विमर्श करेगी।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाये। आप अपने सब्जेक्ट मैटर तक ही लिमिटेड रहे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ कि सदन की कमेटी बनाई जाये और उस कमेटी को एक महीने का समय दे दिया जाये हम उसमें सरकार को सुझाव देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाये। इनकी कोई बात रिकार्ड न करे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय,.....

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि मैं सोच रहा था कि मेरे साथी बहुत सीरियस प्रॉब्लम पूछेंगे और हम उसका जवाब देंगे और पब्लिक इंटरस्ट की बात हम करेंगे लेकिन कोई पब्लिक इंटरस्ट की बात नहीं आई। जहां तक पानी की बात ये कह रहे हैं कि नहरी पानी की कमी है तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में नहरी पानी की कमी है और बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां नहरी पानी से इरीगेशन नहीं होती। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एस०वाई०एल० की लीगल लडाई लड़ी है और जीते। अगर केन्द्र सरकार की नीयत साफ होती तो यह नहर तीन महीने में बनकर

तैयार हो जाती। लेकिन इनको यह तकलीफ है कि अगर नहर तीन महीने में बन जाती तो इसका श्रेय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मिला जाता। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि एस0वाई0एल0 नहर बनने में कमी जिस बात की है वह है सिरा एक्वाडैट उस नदी के ऊपर जो पुल बनना है उसके दो पिलरज इन्होंने बनाकर छाप दिए बाकी बीच का पोलिन रह रहा है और कुछ नैनल हाईवे के और 2 रेलवे के पुल रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि आजकल पुल कितने जल्दी बन जाते हैं। स्लैब अलग से बनते हैं और पिलरज अलग बनते हैं और लाकर एकदम रख देते हैं। लैटस्ट टेक्नोलोजी में एस0वाई0एल0 का काम 3 महीने में हो सकता था। अगर 4 जून के बाद काम शुरू हो जाता तो जून से सितम्बर तक तीन महीने में काम हो जाता और सितम्बर महीने में एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा में आ जाता और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार हरियाणा के चप्पे चप्पे में सिंचाई होती। ये आज पंजाब सरकार की बड़ाई करते हैं, पंजाब सरकार ने क्या किया? (गौर एवम व्यवधान) कहते हैं सुखबीर सिंह के साथ रिलेगन है। हरियाणा प्रदेश के पब्लिक इंटरस्ट का जहां तक सवाल है उसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं है और किसी सुरत पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अकाली सरकार, जिसके सामने हमने लड़ाई लड़ी, it is on the record पंजाब में अकाली दल की सरकार थी जब चौधरी देवी लाल जी 30 अप्रैल, 1980 में सुप्रीम कोर्ट में गए, ये हरियाणा के इंटरस्ट के कार्य हैं सामाजिक रिलेगन अलग बात है जहां तक राजनैतिक सवाल है और

हरियाणा के इंट्रस्ट का सवाल है हम बादल के मुख्यमंत्री जी होते हुए कोर्ट में गए, इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी पंजाब बने, हरियाणा में इन के मुख्यमंत्री जी बने, तब हरियाणा प्रदेश का बेडा गर्क कर दिया और कोर्ट केस को वापस ले लिया, 1979 का केस अगर रह जाता तो आज 20 साल में नहर बनकर तैयार हो जाती, इसके अपराधी कौन हैं, ये लोग अपराधी हैं, इसी तरीके से हमने अब सुप्रीम कोर्ट में केस जीता है, 15 जनवरी, 2002 को आप रिकार्ड देखें तो उस समय भी पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, उनके सामने भी हम लीगल बैटल जीतकर आए। एक तरफ अकाली दल की सरकार थी, उनके सामने भी हम लीगल बैटल जीतकर आए। एक तरफ अकाली दल की सरकार के वकील पैरवी करने के लिए जाते थे और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के वकील जाते थे। हरियाणा सरकार के वकीलों ने जो पैरवरी की वह अकाली सरकार के वकीलों के मुंह पर थपेडा था। 15 जनवरी, 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दे दिया इसलिए ये कैसे कह सकते थे कि फलाना दल डिकणा दल, हमारा किसी दल से कोई वास्ता नहीं, हमें तो पब्लिक इंट्रैप्ट प्यारा है। 4 जून, 2004 को हम सुप्रीम कोर्ट में जीते, अब ये कहेंगे कि मैं बार बार 4 जून का ही जिकर कर रहा हूँ, आज इरीगेशन में पानी की जो दिक्कत है, वह इनके अपराधों की वजह से है क्योंकि इन लोगों को पब्लिक इंट्रैप्ट प्यारा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप भी वकील हैं और इनकी पार्टी में भी कई वकील हैं, कास्टीच्यूशन का डिफ़ायल्ट 7 जो है उसमें लिस्ट नं० 1 में अनलिस्टेड आइटम है,

एक्ट न० 56 मे इटर स्टेट वाटर का मामला है, जहां तक वह सैट्रल लिस्ट मे है, इस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, असैम्बली उस पर कानून नहीं बना सकती। ये पंजाब सरकार की बडाई करते है। जिन्होने कानून बना दिया। (गोर एवम व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि ये रिलीफ क्या देगे?

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठे, आपने पानी की कमी जो बताई है ये उसी को एल्लोब्रेट कर रहे है।

प्र० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल लिस्ट मे होते हुए पंजाब की सरकार ने बिल पास किया और बाद मे सैन्टर की सरकार ने गवर्नर पर दबाव डालकर उसको कानून बनाया जबकि कानून नहीं बन सकता था और उसी सरकार की आज ये बडाई कर रहे है कि पंजाब की सरकार यह कह रही है, वह कह रही है, चाहिए तो यह था कि सैन्टर की सरकार उस कानून को निरस्त करती। (गोर एवम व्यवधान) स्पीकर साहब, मै यही कर रहा था कि जो कानून पंजाब की सरकार ने बनाया था वह असवैधानिक था। भारत सरकार को चाहिए था कि उसको अनल करते, निरस्त करते और सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिए हुए थे कि within 14 days नहर के काम काज को टेकओवर करेगे, पोजै उन मे लेगे लेकिन आप इनकी नीयत देख लीजिये बारहवे दिन यह बिल पास किया गया और 12वे दिन मे ही इसको कानून बनाया गया। इससे

इनकी इनटै ांन जाहित होती है। स्पीकर साहब, यह जानबूझकर किया गया था। (विघ्न) स्पीकर साहब, दूसरा इसको अनल करके सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को राईट दिया था कि (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं आपकी परमी ान से बोल रहा हूँ, प्लीज इन्हे बिठाये। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं पूरा जवाब दूंगा और इनकी तसल्ली करारुंगा। स्पीकर साहब, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया था उसकी लाईन यह थी कि आप इसको अपने पोजै ान मे लेकर नहर पर काम भुरु करेगे, मौनीटरिंग कमेटी मौनीटरिंग करेगी कि हर दिन कितना काम हुआ है। अगर कोई अडचन डालेगा चाहे कोई पौलिटिकल पार्टी हो, चाहे सरकार हो यह कोई भी ABCD हो, अडचन डालेगे तो भारत सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करायेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार CPWD को पजाब मे क्यो नही भेजती और यदि पजाब सरकार अडचन डालती है तो they can send there CRPF और अगर CPRF से काबू नही आते है तो they can sent there BSF और BSF से काबू नही आते है they can snd there Military. मिलिटरी भी सैट्रल सिक्योरिटी मे ही आती है। Speaker Sir, Central Government can even send Military there to implement the judgment of Supremen court. वे भेज सकते है और उसके बावजूद भी यदि वे अपने वहां इन्ट्री नही देते है तो then Central Government has a right under Article 365 of the Costitution कि अगर भारत सरकार सवैधानिक दायित्व निभाते हुए कोई डायरैक् ान राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार उसको

नही मानती है तो उस राज्य की सरकार भंग की जा सकती है। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया और वहां नहर का काम भी भुरु नहीं कराया गया। इस तरह से भारत सरकार ने अपराधा किया और हरियाणा की जनता के अधिकारो को सैक्रीफाईस किया है। यदि यह नहर बन जाती तो भाई कर्ण सिंह दलाल को यह प्रान उठाने की जरूरत ही नहीं पडती कि पानी की दिक्कत आ रही है। स्पीकर साहब, हरियाणा गवर्नमेंट is very much interested. especially the Chief Minister and he is having personal interest in this case. स्पीकर साहब, ये कहते है कि हाउस की एक कमेटी बन जाती। इस बारे मे मै कहना चाहात हू कि हाउस की कमेटी बनी थी। (विध्न) और कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। इससे बडा कोई रिलीफ नहीं हो सकता कि दोनो तरफ रिलीफ दिया गया है। एक तरफ ट्यूबवैल ओनर्ज को रिलीफ दिया गया है और दूसरी तरफ नहरी रिलीफ दिया गया है। एक तरफ ट्यूबवैल ओनर्ज को रिलीफ दिया गया है और दूसरी तरफ नही नहरी कन्ज्यूमर्स को नहरी पानी मुफ्त देकर रिलीफ दिया गया है इनको इस बात की तकलीफ क्यों हो रही है। हमारी सरकार ने एक तरफ ट्यूबवैल ओनर्ज की रिलीफ दिया है और दूसरी तरफ नहरी कन्ज्यूमर्स को रिलीफ दिया है। 35 करोड रूपये का वहां रिलीफ है और 138 करोड रूपये का यहा रिलीफ है। स्पीकर साहब, जहां तक रैगुलेटरी कमी इन की बात आई है। We are committed और हमने कहा कि 15 अगस्त से यह लागू होगा। पैसे के लिए हमने लिख दिया है रैगुलेटर कमी इन को कि 138 करोड

रूपये का जो सालाना खर्चा होगा उसको हरियाणा सरकार वहन करने के लिए तैयार है इसलिए रैगुलेटरी कमी इन को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। उनको तो पैसे से मतलब होता है कि Cross subsidization न हो, किसी और सैक्टर से पैसे लेने की जरूरत न पड़े इसलिए सरकार खुद अपने खजाने से नगद सबसिडी दे रही है क्योंकि रैगुलेटरी कमी इन हमारी सरकार के हम में बना हुआ है और पूरी तरह से काम कर रहा है तथा इसमें जो रिलीफ दिया गया है उस बारे सभी मिलकर ऐप्रीं टायट करे। स्पीकर साहब, एक बात मैं कहता हूँ कि कैप्टन साहब, और दलाल साहब, और दूसरे जिन भाईयो ने यह मो इन रखा है they should speak out कि फलाने जिले के हित के लिए ये किया गया है। ये लोग इस तरह का भाषण हरियाणा में हर जगह पर जाकर देंगे लेकिन ये यहां बताये कि कौने से जिले को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और कौने से जिले को इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये झूठे ऐलीग्रे इन क्यों लगाते हैं। यदि इनकी बात सही है तो they should speak out.

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठे। आपके नोटिस में ऐसा ही लिखा हुआ है। आप चाहे तो यह आपको पढ़कर सुना देते हैं। मंत्री जी आप इनको नोटिस पढ़कर सुना दें।

Prof. Sampat Singh: In this notice, it is mentioned—

“This slab system which is going to be implemented by the State Government in the misdemeanour to provide benefit only to the farmers of a particular area.”

यह नोटिस तो आपका दिया हुआ है। (गोर एवम विघ्न) They should speak out about a particular area. They should speak out.

श्री अध्यक्ष: धर्मबीर जी बता देगे कि पार्टिकुलर एरिया कौन सा है।

प्रो० सम्पत सिंह: इसमे इन्होने पार्टिकुलर एरिया लिखा है। He Should speak out.

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आपने इसमे पार्टिकुलर एरिया बताया है आपके पांच लोगो ने यह प्रस्ताव दिया है। (गोर एवम विघ्न) आप सभी बैठिये। अब मुख्यमंत्री जी कुछ कहेगे।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, सदन मे कांलिंग अटैचमेंट आया करती है और सदन मे उसका जवाब दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि फ्लोर आफ दी हाउस सारी चीजे सही बताई जाती है। एक सम्मानित सदन ने जिसके साथ कुछ और सदस्य भी है उन्होंने सारे हरियाणा प्रदेश को अलग से बटाने का प्रयास किया है बल्कि सरकार के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया है कि सरकार ने किसी पार्टिकुलर एरिया को लाभ देने के लिए यह रियायत दी है। मैं आपके माध्यम से इस कांलिंग अटैचमेंट देने वाले से

कहना चाहता हू कि उन्हे खडे होकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह कौन सा एरिया है जिसकी बात ये करते है और इनकी दिलचस्पी कौने से एरिया मे है ।

श्री अध्यक्ष: धर्मबीर जी आपने यह कांलिंग अटै ांन मो ान दिया है उसको आप एक बात हिन्दी मे पढ दे । (गोर एवम विघ्न)

श्री धर्मबीर सिंह: मुझे पढने की जरूरत नही है । (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चलो ठीक है, आपने दिया है तो फिर ठीक है ।

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जो जवाब दिया है उसको बारे मे मैं कहना चाहता हू कि (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मबीर जी आप जवाब न दे, आप अपना सवाल पूछे ।

श्री धर्मबीर: स्पीकर साहब, जब हरियाणा बना तो दक्षिणी हरियाणा जिसका बार बार वित मंत्री जी जिकर करते है । (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: धर्मबीर जी, दक्षिणी हरियाणा तो कैप्टन साहब कहते हैं। दक्षिणी हरियाणा का कोई जिला आड्डैटीफाई नहीं है कि कौन सा जिला कौन से एरिया में है और क्या है ?

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, दक्षिणी हरियाणा में महेन्द्रगढ़, भिवानी, नारनौल और रिवाड़ी का इलाका है। स्पीकर साहब, वहां पर नहरी पानी नहीं है और पीने का पानी भी बहुत कम है। अगर वहां पर 10 हार्सपावर की मोटर लगा कर पानी नीचे से उठाएंगे तो केवल 2 इंच पाईप का ही पानी आ पायेगा यानि केवल 2 इंच की निकासी ही नीचे से हो पाती है।

श्री अध्यक्ष: आप अपना क्वैश्चन पूछें।

श्री धर्मबीर सिंह: मैं क्वैश्चन ही पूछ रहा हूँ। चौधरी देवी लाल जी ने और पहले वाली सरकारों ने भी स्टेट में 4 स्लैब बनाये थे ताकि उनको पानी निकालने के लिए कुछ रियायत दी जा सके। इसलिए वहां पर प्रति हार्सपावर रेट 48 रूपये था। अब वहां पर केवल 13 रूपये का ही बैनिफिट दिया है। एक तरफ तो यह इलाका है और दूसरी तरफ वह इलाका है जहां का आरोप हम लगा रहे हैं। वहां पर जहां पर पहले 104 रूपये का रेट प्रति हार्सपावर का था वहां पर अब उनको 69 रूपये प्रति हार्स पावर का फायदा दिया है। इन जिलों में सिरसा का एरिया, फतेहाबाद का एरिया और नरवाना का एरिया भी शामिल है। (विधन)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इनसे मेरा प्रश्न कि इनकेवल एक ही है। आप इस कांलिंग अटैचमेंट में इनमें देखेंगे कि इन लोगों ने इस में इनमें माध्यम से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की नीयत से दुर्भावना फैलाने का प्रयास किया है। हरियाणा प्रदेश की 2 करोड़ 20 लाख जनता को पूरा संरक्षण प्रदान करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और हमने इस जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाया है। सरकार ने बराबर की सुविधा पूरे प्रदेश को दी है। कांग्रेसी बैचिज की तरफ से जो कांलिंग अटैचमेंट में इन दी गई है उसमें सरकार पर एक इल्जाम लगाया है कि एक पार्टिकुलर एरिया को लाभ पहुंचाना के लिए यह छूट दी गई है। आप यह बताएं कि इस पार्टिकुलर एरिया में कौन सा ऐसा एरिया है जिसको लाभ दिया गया है।

श्री धर्मबीर सिंह: कादियान साहब, मैं आपके माध्यम से दोबारा बताना चाहता हूँ कि सरकार ने न केवल बिजली के मामले में दूसरे एरिया को लाभ दिया बल्कि पानी के मामले में भी उस एरिया को विशेष छूट दी है। ऐसे एरिया में 18 करोड़ रुपये से ज्यादा नहरी माल माफ हुआ है। एक तरफ 4 सर्कल ऐसे हैं। जहां पर केवल 1 करोड़ 11 लाख रुपये माफ हुआ है और दूसरे तरफ केवल 3 सर्कल ऐसे हैं जहां पर 18 करोड़ रुपये से ज्यादा का माल माफ हुआ है।

श्री अध्यक्ष: धर्मबीर जी, इस कांलिंग अटै ांन मो ान मे नहर का जिकर नही है। इसमे बिजली के स्लैब रेट की चर्चा है। आप केवल अपनी मो ान पर ही बोले।

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, प्रो० साहब, ने खुद माना है कि नहरी पानी कुछ इलाके मे ज्यादा है और कुछ मे कम है। मै कहता हू कि एक तरफ केवल 3 सर्कल हिसार, सिरसा और कैथल ऐसे है जिनमे ज्यादा पानी होने की वजह से 18 करोड रूपये 2003 का माफ हुआ है। दूसरी तरफ इसमे ज्यादा क्षेत्रफल पडता है, भिवानी, महेन्द्रगढ, नारनौल, और रिवाडी। वहां पर केवल 1 करोड 11 लाख रूपये का माल माफ हुआ है। इसका मतलब यह है कि इन एरियाज मे नहरी पानी काफी कम है। जहां पर पानी नही था वहां 10 हार्सपावर की मोटर लगाने पर केवल 2 इंच पानी निकलता है और जहां पर पानी अधिक है वहा पर 5 हार्सपावर की मोटर लगाये जाने पर 4 ईंच पानी निकलता है। इसलिए हमे केवल 13 रूपये का फायदा दिया गया और वहां पर 69 रूपये का फायदा दिया गया है। (और एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह फायदा नही है। (विघ्न)

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम यह जानते है कि सरकार ने जानबूझ कर भेदभाव पूर्ण तरीके से यह सब किया है। एक इलाका जहां नहरी पानी भी पूरा है वहां पर भी बिजली का 69 रूपये पर हार्स पावर माफ किया है और हमे केवल 13

रूपये का फायदा मिला है स्पीकर साहब, मे आपमे माध्यम से सरकार से एक बात जानना चाहता हू कि क्या हमारे माननीय सदन के नेता चौधरी ओमप्रका । चौटाला जी जब बाढडा के इलाके मे जाते थे या महेन्द्रगढ के इलाके मे जाते थे तो चार स्लैब की बात करते थे जबकि लोगो की मांग 5 स्लैब की थी, वहां पर तो सरकार ने स्लैब सिस्टम खत्म कर दिया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: धर्मवीर जी, अब तो ठीक हो गया है सारे हरियाणा मे एक जैसा सिस्टम हो गया है। आपका क्वै चन पूरा हो गया है इसलिए अब आप बैठे।

श्री ओमप्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इनकी बात से यह साफ जाहिर हो गया है कि इनकी मन् ।। किसानो को लाभ पहुचाने की नही है और आज ये चौराहे पर नंगे खडे है इनकी मन् ।। केवल मात्र हर तरीके से राजनैतिक लाभा उठाने की है। इसी प्र ।।न के साथ ही एक प्र ।।न जुडा हुआ है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो यह एस0वाई0एल0 नहर आज से 20 वर्ष पहले ही बन गई होती और आज ये जो इल्जाम हम पर लगा रहे है उसकी नौबत नही आती ओर यह सारा इलाका आज सरसब्ज बैठा हुआ है। इनकी वजह से वह इलाक बर्बाद हो गया है और उस बर्बादी का मुखिया मेरे सामने बैठा हुआ है। आप भी ये लोग उसका सत्याना ।। करने पर तुले हुए है। आज भी ये लोग उसका सत्याना ।। कर रहे है। (विघ्न) इन्हे जनता से कोई सरोकर नही है ये तो अखबरो की सुर्खिया मे आने चाहते है। (विघ्न) जब

एस0वाई0एल0 का मुद्दा आता है तो ये लोग सदन से वाक आउट कर जाते हैं, हाउस से भाग जाते हैं, इस मुद्दे पर जब कोई मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। यहां पर केवलमात्र अनर्गल प्रचार करके आज राजनैतिक लाभ उठाने की चेश्ठा करते हैं और लाभ उठाते वक्त नासमझी की वजह से अपनी कलम से ऐसा कुछ लिख देते हैं जिसकी वजह से चौराहे पर नंगे खड़े मिलते हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बैठिए। (विघ्न) आप बैठे, अब पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर जवाब देगे। (विघ्न) प्रो0 साहब, धर्मबीर जी द्वारा जो सप्लीमेंट्री की गई हे आप उसका जवाब दीजिए। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) भजन लाल जी, आप बैठे। (विघ्न) आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है, इसलिए आप बैठे। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आप इन्हे बिठाएं (विघ्न) ये तो वैसे ही बीमार है, इसलिए आप इन्हे बिठाइये। (विघ्न) अभी चौधरी धर्मबीर जी ने एक पार्टिकुलर एरिया का जिकर किया तथा तीन एरियाज का नाम लिया और आगे ये रूक गए। सिरसा, फतेहबाद, और नवाना के आगे से रूक गए। यह जो घग्घर की बैल्ट है इसके बारे में इन्होंने कोई जिकर नहीं किया। What about Kaithal, what about Kurukshetra, what about

Karnal, what about Panipat. (विघ्न) ट्यूबवैल्ज के हिसाब से ये ठीक है वहां पर पानी भी है और ट्यूबवैल्ज भी वहां पर है। स्पीकर साहब, जहा तक साउथ की बात ये लोग करते है I don't know ये लोग इसमे फरीदाबाद और गुडगांव को गिनते हे यह नही गिनते है। (विघ्न)

श्री धर्मबीर सिंह: हम इसे गिनते है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, ये इस बात को मान रहे है कि ये इसे गिनते है। स्पीकर साहब, ये चीजे इनकी गिनती मे हो सकती है लेकिन हम इन्हे नही गिनते है हमारे लिए तो हरियाणा के सभी 19 जिले समान है सारा हरियाणा प्रदे । चौधरी ओम प्रका । चौटाला के लिए बराबर है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठे, यह कोई तरीका नही है।(विघ्न)

17.00 बजे

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब ये करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर के एरिया मे जाते है तो ये कहते है कि साउथ हरियाणा को मार दिया और जब सिरसा मे जाते है तो कहते है कि हमे तो मालूम नही कि सिरसा कैसे बैकवर्ड रह गया ? इस किस्म की छोटी राजनीति ये लोग कहते

है, इलाका राजनीति ये करते है। स्पीकर साहब, हम सारे प्रदे 1 की राजनीति करते है, प्रदे 1 के इन्ट्रस्ट की राजनीति करते है। मै आपके सामने फरीदाबाद और गुडगांव के ट्यूबवैल का रिकार्ड रखना चाहता हू। स्पीकर साहब, फरीदाबाद मे 13 हजार 247 ट्यूबवैल 0 से 100 फुट की डैप्थ तक के है। ये वे है जिनका रेट 104 रूपये से घटकर 35 रूपये पर मन्थ हुआ है। इसी तरफ से गुडगांव मे 15 हजार 322 ट्यूबवैल्ज है जिनका रेट 104 रूपये से घटाकर 35 रूपये पर मन्थ हुआ है। सर, इसके आगे जो मंहगा स्लैब आता है उसमे रेट 100 रूपये से 150 रूपये था इस रेट के फरीदाबाद मे 412 और गुडगांव मे 423 ट्यूबवैल्ज है। इसके बाद 151 से 200 रूपये जिन ट्यूबवैल्ज का रेट था उसमे ट्यूबवैल्ज की संख्या निल है। स्पीकर साहब, मै यह गुडगांव और फरीदाबाद के आकडे प्रस्तुत कर रहा हू। सर, गुडगांव और फरीदाबाद मे टोटल ट्यूबवैल्ज की संख्या 835 बनती है। सर, हरियाणा मे 100 फुट से ज्यादा गहरे ट्यूबवैल्ज साढे 28 हजार है जिनका रेट 104 रूपये से 35 रूपये पर मन्था कर दिया गया है। अब ये इलाके की बात करते है मै आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि इलाके की बात कहना हमारे बस की नही है, हमारे लिए तो सारा प्रदे 1 एक है। स्पीकर साहब, हमने यह सब प्रदे 1 के इन्ट्रस्ट को देखकर किया है। इनहोने जो कुछ किया था वह किसान के गले की हड्डी बन गई थी। इस प्रोब्लम को खत्म करने के लिए हमने यह स्लैब प्रणाली बनाई है। इसके अलावा जो दूसरी बात इन्होने कही है तो उस बारे मे मै आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि जंहा पर

जितना पानी लगेगा उसी के हिसाब से आबपा भी होगी। सर, अलग अलग फसल के हिसाब से आबपा भी का रेट फिक्स हुआ था। हमने यह सारा का सारा माफ कर दिया है। स्पीकर साहब, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि हमने यह इस साल के लिए माफ नहीं किया है यह हमने हमें भी के लिए माफ कर दिया है। स्पीकर साहब, जब एस.वाई.एल. का जिकर आएगा, जैसा कि ये भी सदन में जिकर करते हैं तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि एस.वाई.एल. के पानी से भिवानी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद और गुडगांव चाहे कोई भी जिला है। (विधन) आप मुझे बोलने दें मैं आगरा कैनल के बारे में भी बता दूंगा। स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि एस0वाई0एल0 का पानी महेन्द्रगढ़ में लगेगा, रिवाड़ी में लगेगा, नारनौल में लगेगा, फरीदाबाद, भिवानी इत्यादी में लगेगा। इसका पानी सारे हरियाणा को सप्लीमेंट होगा। आज नरवाना भाखड़ा कैनल लिंक के थ्रू भाखड़ा का पानी यमुना एरिया में देते हैं और जब उधर समस्या आ जाती है तो यमुना का पानी भी सिरसा नदी के थ्रू भाखड़ा के एरिया में देते हैं और जब उधर समस्या आ जाती है कि हमारी सारी स्टेट का इंटर लिक्ड सिस्टम है। इसी तरीके से वाटर अलाउंसिंज सारे स्टेट में बढ़ जाएंगे। स्पीकर साहब, जब एस.वाई.एल. का पानी हरियाणा में आएगा इससे केवल एक एरिया को फायदा नहीं होगा बल्कि टोटल स्टेट को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से यह डेफिनेट हो चुका है कि एस0वाई0एल0 नहर बनकर रहेगी। स्पीकर साहब, ये लोग जान बूझकर लेट कर रहे हैं, यह अलग बात है। स्पीकर साहब, 2,3 और

4 महीने फालतू लग सकते हैं और जो पानी आएगा उस पर आबियान नहीं लगेगा। स्पीकर साहब, इसके बाद इन्होंने आगरा कैनल की बात की है। ये बार बार प्रान उठाते रहते हैं, आज भी उठाया है और पहले भी उठाते रहे हैं। (विध्न) कर्ण सिंह दलाल जी, आप चौधरी बंसी लाल जी की वजारत में मंत्री थे। बंसी लाल जी ने भी यही कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो अगले दिन ही आगरा कैनल का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। चाहे मुझे वहां पुलिस भेजनी पड़े, चाहे मुझे उसको कब्जे में लेना पड़े और चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े वह मेरे हाथ में होगा। स्पीकर साहब, साढ़े तीन साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्पीकर साहब, उसका आबियान कौन लेता है, यह आबियान हरियाणा सरकार नहीं लेती है, उसका एक नया चार्ज नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सरकार उसका आबियान चार्ज करती है, उसका एक नया पैसा चार्ज नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सरकार उसका आबियान चार्ज करती है क्या उत्तर प्रदेश को आप हरियाणा से पैमेन्ट करवाना चाहते हैं। स्पीकर साहब, मैं किसानों के इन्ट्रैस्ट की बात कर रहा हूँ। (विध्न) स्पीकर साहब, आज के दिन मुझे यह बात कहते हुए भागे नहीं देता है लेकिन दलाल साहब ने मुझे लौबी में कहा था कि आज के दिन इनके एरिया का किसान एक नये पैसे का आबियान उत्तरप्रदेश की सरकार को नहीं दे रहा है। (विध्न) अब इसका मतलब यह है कि हम उनको पैसा देने के लिए फोर्स करें। (विध्न) मेरा वही कहना है कि कोई ऐसी बात न निकल जाए जिससे वहां के किसानों को नुकसान हो जाए। मैं इस

कंट्रोवर्सी मे इसलिए ही नही पडना चाहता था लेकिन उस इलाके का नुकसान करवाने के लिए यही ऐसा करवा रहे है। हमारे लिए तो सारी स्टेट बराबर है और इसलिए मै कह रहा हू कि इसको यूनानीमसली पास करे कि जो मुख्यमंत्री जी ने यह स्लैब सिस्टम किया है। वह ठीक है। यह जो 200 फुट का ट्यूबवैल्ज की गहराई तक 35 पैसे प्रति यूनिट तक टैरिफ किया है इसका इनको या तो विरोध करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए। एक काम दोनो मे से इनको करना चाहिए। ये इसको या तो सपोर्ट करे या अपोज करे लेकिन ऐसे मत छोडे। (गोर एवम व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री अ गोक कुमार): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के प्रैसीडैन्ट भी यहां पर बैठे है और इनके उप नेता भी यहा पर बैठे है। इनको बताना चाहिए कि क्या ये अपने घोशणा पत्र मे इन स्लैब रेट्स को अपोज करेगे? इनको बताना चाहिए कि अगर इनकी सरकार बनी तो क्या वे इन स्लैब रेट्स को तोडेगे?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इनको क्लयर करना चाहिए। Either they support it or oppose it.

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, दलाल साहब और दीवान साहब, आपसे पार्लियामैट्री अफेयर्ज मिनिस्टर पूछ रहे है कि क्या आप इसको अपोज करते है यह ऐक्सैप्ट करते है ?

श्री धर्मबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, हम इसको स्पोर्ट करते हैं। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप यह बताए कि स्लैब प्रणाली जो अब की गयी है यह ठीक है या गलत है? नहरी पानी माफ करना ठीक या गलत है ? (गोर एवम व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: आप हमारी बात सुनिए। मैं जवाब दे रहा हू।

श्री अध्यक्ष: दीवान साहब, आप यह बताए कि जो यह स्लैब रेट्स सरकार द्वारा तया किये गये हैं यह ठीक है या गलत है? जो सोनीपत में 104 रूपये प्रति हार्सपावर से 35 रूपये प्रति हार्स पावर का रेट किया है क्या यह ठीक है यह गलत है ?

दीवान पवन कुमार: अध्यक्ष महोदय, ये तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष: चलिए, दीवान साहब ने तो इसका समर्थन कर दिया। अब कैप्टन साहब, आप बताए कि यह जो स्लैब प्रणाली अब सरकार द्वारा लागू की गयी है यहा ठीक है या नहीं?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हू कि जो सरकार ने स्लैब प्रणाली लागू की है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारी दिक्कत केवल यह है कि जहां पर ट्यूबवैल बेस्ड सिचाई है वहा के लोगो को आप रिलीफ देगे या नहीं देगे? हम तो केवल इतनी सी बात कह रहे हैं लेकिन आप तो

इसका बंतगड बना रहे है। हमारा ऐतराज तो इस बात का है कि जो ट्यूबवैल बेस्ड इलाके है उसको आप रिलीफ दे दे। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप मेरी तरफ देखे। माननीय मुख्यमंत्री जी खडे है आप उनकी बात सुनिए। आपको चेयर की तरफ देखकर बात करनी चाहिए।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इस विशय से अलग जाकर एक अलग बात करने जा रहा हू। धर्मबरी जी ने भी इस बारे मे कहा है, आप भी कह रहे है और दूसरे साथी भी कर रहे है। आप रिकार्ड उठाकर देखिए, एक साल पहले जब हरियाणा मे भंयकर अकाल की स्थिति थी उस समय मंडियो मे जो बाजरे की आमदन हुई है, मंडियो मे जो सरसो की आमदन हुई है, मंडियो मे जो कपास की आमदन हुई है तो क्या धर्मबीर जी बताएगे कि इससे पहले कभी नारनौल, महेन्द्रगढ, और भिवानी की मंडियो मे इतनी कपास बिकी थी? भंयकर सूखे की स्थिति के बावजूद दक्षिणी हरियाणा की चप्पे चप्पे भूमि की सिचाई हुई है। (विधन) आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव: लेकिन इसमे आपका रोल नही है।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, इस तरह के कामों में सरकार का रोल तो होता ही है।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा रोल है क्योंकि हमने 24 घण्टे किसानों को बिजली दी है और नहरों में पानी चलाया है। अध्यक्ष महोदय, अगर नहरों में पानी न चलता तो फव्वारा सैट्स कैसे चलते और अगर फव्वारा सैट्स चलते तो वहां की भूमि कैसे सिंचित होती? इनको लेना मात्र भी इस बात में संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। यह रिकार्ड की बात है। हमने 36 परसेंट पानी ज्यादा चलाया है हमने 53 परसेंट बिजली ज्यादा दी थी जिसकी वजह से दक्षिणी हरियाणा की चप्पे चप्पे भूमि की सिंचाई हुई और अगर तुम्हारी नालयकी न होती तो एस0वाई0एल0 आज से 20 साल पहले बन गई होती और वह इलाका सबसे ज्यादा सरसब्ज इलाका होता। तुल मुलाजिम हो और मुलाजिमों के कटघरे में खड़े हो।

विधान कार्य

1. दि हरियाणा भूगर्भकेन (रैगुलेशन आफ परचेज एंड सप्लाई) हरियाणा अमेंडमेंट, बिल, 2004

Mr. Speaker: Now, a Minister introduce the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, 2004

Sir, I beg to move-

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration
at once

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Sub Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause 3 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Sub Clause (3) of Clause 1 stand part of the
Bill.

The motion was carried.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Sub Clause (1) of Clause 1 stand part of the
Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move
that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg
to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (हरियाणा अमैडमैट)

बिल, 2004

Mr. Speaker: Now, a Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana (Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Urban Development (Shri Subhash Goyal): Sir, I beg to introduce the the Haryana (Amendment) Bill, 2004

Sir, I beg to move-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enactting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move
that the Bill be passed.

**Minister of State for Urban Development (Shri
Subhash Goyal):** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से हरियाणा के लोगो की भावनाओ से इस सरकार को अवगत करना चाहता हूँ... (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये, यह स्टेज डिबेट की नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं इस बिल के बारे में ही बोलना चाहता हूँ।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, मैं आपकी परमिशन लेना चाहता हूँ। वैसे तो खुद श्री कर्ण सिंह दलाल पार्लियामेंटरी अफयर्स मिनिस्टर रहे हैं। बिल की इस स्टेज पर इनको बोलने के बारे में याद आया है जब बोलने की स्टेज जा चुकी है। इनको पता है कि जब कोई बिल मूव होता है जब मंत्री जी ने आपसे मूव करने की इजाजत ले ली है उसके बाद बिल मूव होता है और उस पर डिबेट होती है। उस वक्त लेना चाहिए, जब आपके मूव करने के बाद बिल को असैप्ट कर दिया। उसके बाद क्लॉज बाई क्लॉज की स्टेज पर आ गई उस वक्त इन्हें डिसकशन की याद आइ है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन आपने बोलने की इजाजत नहीं दी।

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब कोई बिल इन्ट्रोड्यूस हो जाता है तभी उस पर डिसकशन होनी चाहिए। मैं उसी बात को दोहराना रहा हूँ कि ये सीरियस नहीं है इनका ध्यान पता नहीं कहा होता है? किन्तु सीरियस होकर ये सदन में बैठते हैं यह मुझे मालूम नहीं, इसलिए मुझे अफसोस है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों की भावनाओं से इस सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी यह हरियाणा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट बिल लायें हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के अन्दर लोगों की आस्था होती है क्योंकि लोगों की देखभाल करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना यह सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह प्रदेश के लोगों को सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराये। आज इस सरकार की कार्यकाल पूरा होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप बिल पर बोले। आपका भी तो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आप अमर थोड़े रहेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं बिल पर बोल रहा हूँ। इस सरकार को मालूम है कि इसका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आज इस सरकार का कार्यकाल अंतिम दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में ऐसा बिल लेकर आये हैं जिससे आज हरियाणा के लोगों में सरकार के प्रति एक आंशिक खिन्नता हुई है।

आज हरियाणा के लोगो मे सरकार के प्रति एक आंका खडी हुई है। आज हरियाणा के लोग सोचने पर मजबूर हो गये है कि सरकार अपनी उपलब्धियो मे विफल हो चुकी है। ...(गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बिल पर बोले। आप बिल की कौन सी क्लोज पर बोल रहे है?

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मै इस बिल का इसलिए विरोध कर रहा हू क्योंकि जिस क्लोज को आप रैफर कर रहे है कि इस बिल मे 120 डेज पहले चुनाव करा सकते है In case of Dissolution of any committee or Municipal Council in the State of Haryana. स्पीकर साहब, भाहरो मे समय से पहले चुनाव कराने की जो सोच है उससे लगता है कि सरकार की नीयत मे खोट है।

श्री अध्यक्ष: आप बिल पर बोले वरना फिर दूसरे सदस्य बोलना भुरु कर देगे और फिर ज्यादा भाोरगुल होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, हरियाणा के लोगो मे आज एप्रिहैं न है और डर है कि सरकार चुनाव के नाम से लोगो को आपस मे लडायेगी, लडाईं झगडा हगे ओर उन लडाईं झगडो का फायदा यह सरकार विधान सभा चुनावो मे उठाना चाहती है। ये सरकार के काम नही होते। सरकार के काम होते है

कि भाहर मे गन्दगी बढी हुई है उनकी सफाई नही हुई है इस प्रकार के काम होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बिल पर बोले बिल के बारे मे तो आपने कुछ बताया नही, इसलिए आप बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, सरकार भाहर के लोगो को सुविधा देने के बजाए पंचायत के चुनाव और म्यूनिसिपल बिल की अमैडमेंट बिल के माध्यम से लोगो मे आपस मे लडाने की मन् ता है। लोगो मेबढाने की मन् ता है, इन्होने पुलिस की भर्ती मनमाने ढंग से की है.....

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये अनापार्लियामेंट भाब्द हाउस की कार्यवाही मे रिकार्ड न करवाए जाए।

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह दलाल ने जो अनापार्लियामेंट भाब्द कहे है वे रिकार्ड न किए जाए।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, असैम्बली के चुनाव लडाने के लिए होते है तो असैम्बली के चुनाव हो ही न। ये अनाडैमोक्रेटिक काम हुआ था, ये डेमोक्रेटिक काम नए चुनाव कराने वाला भी हुआ था, जो ये बात कह रहे है उसमे दुर्गन्ध आ रही है we are smelling something out of that कि कहा से पैदाइ ता राजनीतिक तौर पर हुई है, भाई कर्ण सिंह दलाल को मालूम है कि इलैव तन को टालने के लिए हुआ था, यहां तो प्रिपोन की बात है। यहा पर भी हुआ थ कि लोकसभा की अवधिया

ब्रूट मैजोरिटी का फायदा उठाकर 5 से 6 साल बढ़ाने का काम किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी ने किया था, और जब रिट पेटी इन इनके खिलाफ हुई थी, अवैध घोषित हो गए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को उससे निकाल लिया गया, ऐसी ऐसी अमैडमेंट की गई है। इसका मतलब ये है कि ये कहते हैं कि चुनाव में झगड़े होते हैं, झगड़े नहीं हों इसलिए चुनाव न कराए जाएं। इसलिए इन्होंने इमरजेंसी लगाकर लोकसभा की अवधि 5 साल की बजाए 6 साल करने का काम किया। लेकिन हरियाणा सरकार ऐसा नहीं चाहती। डेमोक्रेसी है और नीचे लोवैस्ट लैवल पर ग्रास रूट लैवल पर डेमोक्रेसी रहेगी। झगड़े हरियाणा सरकार नहीं करने देंगी बाकायदा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है। एक ही चुनाव के अंदर आज तो धारा 107 और धारा 151 के तहत अब तक कोई दरखास्त नहीं आई है, पीसफुली सारे के सारे चुनाव कराए गए हैं, कोई झगड़े का मतलब नहीं है। केवल मात्र यह कहना कि झगड़े हो जाएंगे इसलिए टाल दो। जैसा इनके नेता ने पहले कहा था 1971 से 1976 में लोकसभा की अवधि एक साल बढ़ाने का काम किया था। यह काम हमारी सरकार नहीं कर रही हम तो प्रिपोजन कर रहे हैं। ... (गोर एवम व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, हम हरियाणा की जनता की तरफ से और तमाम विपक्ष की तरफ से यह सुझाव देना चाहते हैं कि ये विधान सभा के चुनाव कराए जाएं। पंचायत और नगरपालिका के चुनाव उसके बाद हो। इनमें हिम्मत है और इनको

अपनी लोकप्रियत पर वि वास है तो ये विधान सभा के चुनाव करवाए।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठे, हम कोई टैन्योर नहीं घटा रहे। आपको पता नहीं है कि अमैडमेंट कहा है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. दि कुरुक्षेत्र भाराईन बिल, 2002

Mr. Speaker: Now, a Minister of State for Urban Development will introduce the Kurukshetra Shrine Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Urban Development (Shri Subhash Goyal): Sir, I beg to introduce the the the Kurukshetra Shrine Bill, 2004 and I also move-

That the Kurukshetra Shrine Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Kurukshetra Shrine Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Kurukshetra Shrine Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Sub Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2 of Clause 42

Mr. Speaker: Question is

That Sub Clause 2 to 42 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Sub Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister of State for
Urban Development will advise that the Bill be passed.

**Minister of State for Urban Development (Shri
Subhash Goyal):** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरे ान (सैकिण्ड
अमैडमैट) बिल, 2004

Mr. Speaker: Now, a Minister of State for Urban Development will introduce the Hayana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Urban Development (Shri Subhash Goyal): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेट्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूँ—

Sir, I beg to move—

कि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेट्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the the Hayana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2004 be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the the Hayana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2004 be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker: Question is

That Clause 4 stand part of the Bill.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enactting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

Minister of State for Urban Development (Shri Subhash Goyal): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

The motion was carried

5. दि हरियाणा पचायती राज (सैकेण्ड अमैडमैट) बिल,
2004

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) Sir I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2004

Sir, I beg to move-

That the Panchayati Raj (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Panchayati Raj (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इस पर हम बोलना चाहते हैं। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो सभी बोलने के लिए खड़े हो गए। चौधरी भजन लाल जी, आप बोलेंगे या आपके लीडर डिप्टी लीडर बोलेंगे।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, पंचायती राज बिल पर सभी साथी बोलेंगे। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, भी बोलने के लिए खड़े हैं। मैं दोनों को एक साथ बोलने के लिए कैसे इजाजत दे सकता हूँ। दोनों को एक ही समय में बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कैप्टन साहब, आप बैठिये। पहले चौधरी भजन लाल जी को अपनी बात कहने दीजिए।

चौधरी भजन लाल आदमपुर: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो यह पंचायती राज ऐक्ट में संशोधन करने की बात कही है इस बारे में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। इस बिल के संशोधन में मोटी से एक ही बात है कि ये समय से पहले चुनाव करवाना चाहते हैं और यही इनका एक मकसद है और कोई इनका मकसद नहीं है। चाहे म्यूनिसिपल कमिटी हो, चाहे म्यूनिसिपल कारपोरेट हो उनका भी और पंचायती राज संस्थाओं का भी

चुनाव ये समय से पहले ही करवाना चाहते हैं। इनके चुनाव के लिए पहले से ही कानून में 5 साल का प्रावधान है तो फिर ये इनसे अमैडमेंट क्यों लाने चाहते हैं? (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप यह बताएं कि क्या अमैडमेंट लाना है। आपने इसका विरोध करना हो तो विरोध करें या जो आपने अपनी बात कहनी हो वह कहें। (गोर एवम विघ्न) डा० कादियान जी, आप चुप रहिए। इस बिल के लिए आपकी पार्टी को समय दिया है इसलिए आप चुप रहिए।

चौधरी भजन लाल: इनका समय से पहले चुनाव करवाने का मकसद है। (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप बताएं कि क्या टाईम घटा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसमें सरकार क्या लेकर आ रही है यह आप बताओ न कि आप कोई कहानी घडो? आप सही सही बिल पर बोलें। (गोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, आप सुनने की कृपा करें। ये टाईम से पहले चुनाव करवाना चाहते हैं। यह चुनाव इसलिए पहले करवाना चाहते हैं क्योंकि थोड़े समय बाद असैम्बली के चुनाव होंगे। ये असैम्बली के चुनावों से पहले पंचायतों के, कमेटियों के और म्यूनिसिपल कारपोरेटों के चुनाव करवाना चाहते हैं ताकि गांवों में और बाहरों में दो पार्टियों बन जाएं। ये ऐसा करके गांव का आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। मेरा

कहना है कि इनको यह अमैडमेंट लाने की क्या जरूरत थी।
(गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी, आप किस चीज पर बोल रहे हैं। (गोर एवम विघ्न) चौधरी भजन लाल जी, आप क्या बोल रहे हैं। क्या अमैडमेंट है और क्या कहना चाहते हैं, वह आप बताए। (गोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं जो यह बिल आया है उसकी जो अमैडमेंट की जा रही है उस बारे में अपनी बात कहना चाहता हूँ। (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जो भाब्द इन्होंने कहे हैं वे रिकार्ड न किए जाएं।

चौधरी भजन लाल: आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इनकी नीयत क्या है? इनकी नीयत साफ नहीं है। यह हर जगह पार्टीबाजी करना चाहते हैं। (गोर एवम विघ्न) जो बात मैं बोल रहा हूँ वह आपकी समझ में नहीं आयेगी। (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप चुप रहिए। इस समय कांग्रेस की क्रीम बोल रही है। इसलिए पहले इन्हें बोलने दें। कृपया आप बैठ जाएं।

चौधरी भजन लाल: मेरे कहने का मतलब यह है कि मेहरबानी करके जो गांवों में पंचायतों का भाईचारा बना हुआ है

उस भाईचारे को न बिगाडे तो अच्छा है इन्होने लोग सभा के चुनावो मे देख लिया। ये एक सीट भी जी कर नही आए। लोकसभा के चुनावो मे इनकी पूरी फजीहत हो गई। अब ये इनके दुबारा से चुनाव करवा कर राज हथिया ले, इसलिए यह अमैडमेंट कर रहे है। आपको लोग राज के नजदीक फअकने नही देगे। जनता जानती है कि किसको राज देना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये भाईचारे को न बिगाडे। इसलिए इस अमैडमेंट को करने की आव यकता नही है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आपकी तरह समय नही घटा रहे।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हमने समय घटाया नही बल्कि बढ़ाया था। हमने 3 साल से 4 साल किया और फिर 4 साल से 5 साल किया।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, इस अमैडमेंट मे भी इन का समय कम नही हो रहा। पचायतो की अवधि का समय 5 साल ही है। आपको पता नही है आपको कोई ब्रीफ ठीक ढंग से नही करता। (गोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लाल: आप सुनने की कृपा करे। ये गांवो मे जानबूझकर पार्टीबाजी बना कर माहौल बिगाडना चाहते है और राज हथियाने चाहते है जबकि राज के नजदीक लोग आने नही देगे। पार्लियामेंट मे भी आपने देख लिया। 10 सीटो मे से ये एक

सीट जीत कर नहीं आए। दूसरे प्रदे तो मे दिल्ली, राजस्थान, यू०पी० जगहो मे तो आपकी जमानत भी जब्त हो गई। (तोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये। आप यहां भी जमानत जब्त करा लीजिए। (तोर एवम विघ्न)

(इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान तथा कैप्टन अजय सिंह यादव बोलते हुए वैंल मे आ गए।)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीटो पर जांए। (तोर एवम विघ्न) मै तो आपको बोलने के लिए पहले ही समय देना चाहता था इसिलए आप लोग अपनी सीटो पर जांए। (तोर एवम विघ्न) यदि आप बिल पर बोलना चाहते है मै आपको बोलने के लिए समय देता हू। इस समय माननीय सदस्य डा० रघुबीर सिंह कादियान तथा कैप्टन अजय सिंह यादव अपनी सीटो पर चले गए। (तोर एवम विघ्न) कादियान साहब, मै आपको बिल पर बोलने के लिए टाईम देता हू इसललिए आप बिल पर बोले। (तोर एवम विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। (तोर एवम विघ्न) अध्यक्ष महोदय, चार पांच बिल सदन मे आए है। (तोर एवम विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोले नहीं तो कैप्टन साहब, को बोलने दे। (गोर एवम विघ्न) यदि आप बोलना चाहते हैं तो आपने एम0एल0ए0 को मना कर दे ये भी बोलने के लिए खड़े हुए हैं और आप भी बोलने के खड़े हुए हैं। (गोर एवम विघ्न) आप दोनों एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए हैं। (गोर एवम विघ्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, मैं इस बिल पर बोलना चाहता हूँ और आपने मुझे बोलने की इजाजत भी दी है। (विघ्न) स्पीकर साहब, इस बिल के जो एम्ज एण्ड अब्जैक्ट्स हैं उसमें गवर्नमेंट द्वारा कुछ विशेष नहीं दिया हुआ है आप इसे देख लें। यह पचायती राज सैकण्ड अमैडमेंट बिल आया है इसमें जो स्पेसिफिक ऑफ एम्ज आब्जैक्ट्स हैं It is a matter of the house. है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने हाउस के बारे में जो वर्ड इस्तेमाल किया है वह रिकार्ड न किया जाए।

डाण0 रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा बना है तब से आज तक किसी बिल के ऐसे एम्ज आब्जैक्ट्स हाउस में नहीं आए। जिस ढंग से ये दो महीने से चार महीने तक समय बढ़ाने की अमैडमेंट ले कर आए हैं जिसमें ये

पंचायती चुनाव असली करवाना चाहते है। (तोर एवम विघ्न)
(तोर एवम विघ्न) इस समय माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल
और श्री जगजीत सिंह सांगवान ने अपनी सीटो पर खडे होकर
कुछ कहा जो सुनाई नही दिया तथा कई माननीय सदस्य अपनी
सीटो पर खडे होकर द कि गैलरी की तरफ संकेत करते हुए
बोलने लगे जो कि भाोर भाराबे के बीच मे सुनाई नही पडा।

श्री अध्यक्ष: सभी सदस्यगण भांत रहे और अपनी सीट
पर बैठे। (तोर एवम विघ्न) आप सभी लोग बैठिए। (तोर एवम
विघ्न) कादियान साहब, आप बोलें। (तोर एवम विघ्न) आप सभी
लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे। आप सभी लोग भांत रहे।
(तोर एवम विघ्न) कृपा भांत रहे। (तोर एवम विघ्न) किसी की
कोई बात रिकार्ड नही होगी। आप सभी लोग अपनी सीटो पर
बैठे। (तोर एवम विघ्न) कोई भी सदस्यगण इस तरह से ने बोले
और अपनी सीटो पर बैठे। (तोर एवम विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वयांट
आफ आर्डर है कि इनके नाम नोट किए जाए, ये बदमा ि कर रहे
है यह गुण्डागर्दी कर रहे है इनके नाम नोट करवाएं। (तोर एवम
विघ्न)

श्री राम कि ान फौजी: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: बैठिए, फौजी साहब, आप बैठिए (गोर एवम विघ्न) कादियान साहब, आप बोलिए (गोर एवम विघ्न) आप सभी लोग बैठे। (गोर एवम विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि यहां पर सी०आई०डी० के लोग बिठा रखे है। यहां पर बदमाश किस्म के लोग हाउस मे बिठा रखते है। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: सी०आई०डी० का कोई आदमी यहां पर नहीं है आप सभी लोग अपनी अपनी सीटो पर बैठे। (गोर एवम विघ्न) कोई भी सदस्य अब नहीं बोलेगा। (गोर एवम विघ्न) आप आप सभी लोग अपनी अपनी सीटो पर बैठे। (गोर एवम विघ्न) कादियान साहब, आप अपनी सीट पर आएँ, आप हाउस को डिस्टर्ब कर रहे है। (गोर एवम विघ्न) किसी को बोला हुआ कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी सीटो पर बैठे। (गोर एवम विघ्न) कादियान साहब, अगर आप बिल पर बोलना चाहते है तो बोले वरना अपनी सीट पर बैठे।(गोर एवम विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, यहां पर सी०आई०डी० के लोग बैठे हुए है। (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यदि उधर से कोई आवाज आई है तो सिक्योरिटी वाले उन लोगो को बाहर निकाल दे। अगर किसी को

इनके बारे में कुछ महसूस हुआ है तो उन लोगों को हाउस से बाहर निकाल दें। (गोर एवम विघ्न) सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान एवम कई अन्य माननीय सदस्यगण द किदीर्घा की ओर गए। सिक्थोरिटी वाले लोग पहले इन एम०एल०एज० को काबू करें। प्लीज सीट डाउन (गोर एवम विघ्न) आप सभी लोग बैठ जाएं। सिक्थोरिटी वाले लोग इन लोगों को हाउस से बाहर कर दें। (गोर एवम विघ्न) कादियान साहब, आप अपनी सीट पर आइये। (गोर एवम विघ्न) आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। क्या कोई एम०एल०एज० पब्लिक गैलरी की ओर जा सकता है? (गोर एवम विघ्न) स्पीकर साहब, अगर कोई ऐसी बात है तो वे लोग आपसे कम्प्लेंट करें इस प्रकार से कोई फस क्रिएट नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक गैलरी में नयूसैंस क्रिएट करता है तो उसकी रिप्रायत ये लोग स्पीकर साहब, से कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इस प्रकार से कानून को अपने अधिकार में नहीं ले सकता। (गोर एवम विघ्न) स्पीकर साहब, there is certain processes. (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चलो, अगर किसी ने ऐसा कुछ कह दिया हो तो उसको हाउस से बाहर निकाल दो। (गोर एवम विघ्न) मैंने कहा है कि उनको सदन से बाहर निकाल दो। (गोर एवम विघ्न) नहीं नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपनी सीटों पर बैठें। (गोर

एवम विघ्न) कोई कुछ नहीं कहेगा। (गोर एवम विघ्न) कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी को कुछ पता नहीं था और उसने कुछ बोल दिया है तो वह आईन्दा से नहीं बोलेगा। (गोर एवम विघ्न) उसको पता नहीं था। (गोर एवम विघ्न) आप अपनी सीटो पर बैठ जाए।

(इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान, कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री जगजीत सिंह सांगवान, राव नरेन्द्र सिंह और राम किान फौजी, वेल मे आ गए और अध्यक्ष महोदय, से कार्यवाही करने की मांग करने लगे।)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आप इनको अपनी अपनी सीट्स पर बिठाएं। जिस तरह से मैम्बर्ज बिहेव कर रहे है, क्या मैम्बर्ज का इस तरीके का बिहेव होना चाहिए ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप सब अपनी सीटो पर जाए। (गोर एवम विघ्न) कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठे। (विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, वह सी०आई०डी० का आदमी है इसके पास हमने कार्ड देखा है। (गोर एवम व्यवधान) यह आदमी जानबूझ कर ऐसा कर रहा है। आप इसको पास चैक करवाए।(गोर एवम विघ्न) इस बारे मे इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह सी०आई०डी० का आदमी नहीं है। (गोर एवम विघ्न) आप अपने प्वांयट पर आए। आप सभी अपनी

सीटो पर बैठे। (गोर एवम विघ्न) कादियान जी, बैठ जाए। ये जो भी अब कर रहे है वह कुछ रिकार्ड न किया जाए।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: आप बिल पर आए (विघ्न) कोई सी०आई०डी० का आदमी नहीं है। अगर किसी को कायदे कानून का पता नहीं था और उसने कुछ कह दिया तो हमने उसको सदन से बाहर निकाल दिया है। अब आप प्वायंट पर आए। (विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: सर, हरियाणा पुलिस के दो आदमी है मै उनको जानता हू, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वह सी०आई०डी० का आदमी है।

श्री अध्यक्ष: कोई सी०आई०डी० का आदमी नहीं है। (गोर एवम विघ्न) आप सब बैठ जाए।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आप हाउस की एक कमेटी बनाएं।

श्री अध्यक्ष: आपने बिल पर बोलना है कि नहीं बोलना है। (विघ्न) एक मिनट वित्त मंत्री जी बोलना चाहते है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मै आपकी परमि उन से बोलना चाहता हू। स्पीकर साहब, असैम्बली के इस प्रिमिसिज मे जो आता है चाहे वह मैम्बर लैजिस्लेटिव असैम्बली है, यह ठीक है कि they have their own rights परन्तु इसके अलावा जो भी आता

है वह आपकी परमि तन से यहां पर आता है। (गोर एवम विघ्न) सबको यहा पर इन आर्डर रहना पडता है। चाहे वह किसी भी गैलरी से यहां पर आता है। स्पीकर साहब, किसी को यह अधिकार नहीं है कि जो मैम्बर्ज बातचीत कर रहे है यह डिस्क तन कर रहे है या कोई आरगुमेंट कर रहे है तो गैलरी से कोई भी आदमी बीच मे बोले। लेकिन सर, अगर किसी मैम्बर के खिलाफ कोई ऐसी बात करता है तो वह मैम्बर अपनी बात अपनी सीट से आपको कहे। स्पीकर साहब, आपके पास अधिकार है कि कन्सन्ड आदमी के खिलाफ आप ऐव तन ले सकते है और आपको लेना भी चाहिए। स्पीकर साहब, अगर पब्लिक गैलरी से कोई इस तरह का बिहोव करता है तो वह कंमनेबल है लेकिन स्पीकर साहब, हम तो कानून को जानते है और आने वाला आदमी इस बारे मे कुछ नहीं जानता है। सर, हो सकता है कि किसी पार्टी की तरफ से कोई बात आ गई और पब्लिक मे बैठा आदमी उस बात के अगेन्स्ट हो, इनके अगेन्सट हो य हमारे अगेन्सट हो तो वह कोई बात कर गया। सर, हम इस बात को कंडम करते है लेकिन डाक्टर साहब, आप तो कई सालो से इस सदन मे आ रहे है, हमे तो कानून का पता है, हम तो रिस्पोसिबल पर्सन्ज है। अगर किसी ने कोई हरकत कर दी तो सीधे आप अपनी सीट से खडे होकर स्पीकर साहब, को कहते कि स्पीकर साहब, फलाने आदमी का बिहेवियर ठीक नहीं है। (गोर एवम विघ्न) लेकिन आप सीट से उठकर स्पीकर साहब, के टेबल तक आ गए। आप द्वारा पब्लिक गैलरी तक जाना ठीक बात नहीं है। (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मुझे तो पता नहीं कि क्या हुआ। लेकिन डाक्टर साहब, जैसा उन्होंने बिहेव किया वैसा ही आपने कर दिया। मेरी तरफ से दोनों से कानून तोड़ा है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अगर पब्लिक के किसी आदमी ने कुछ किया और हम भी वही करें तो हमें यह बात भाँभा नहीं देती है। सर, बस मैं यही कहना चाहता था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चलो ठीक है। कादियान साहब, अब आप बिल पर बोलें। (गोर एवम विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, यह जो बिल आया है, इसमें दो महीने की बजाए चार महीने पहले चुनाव कराने की बात की गई है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार किसानों की हितैशी अपने की बताती है, दूसरी तरफ चार महीने पहले चुनाव करवाने की बात कर रही है इसका क्या मतलब है उस समय तो किसान अपनी खरीफ की फसल की कटाई करके बिजाई वगैरहा कर रहा होगा। वह साडू की बिजलाई में बहुत व्यस्त होता है। स्पीकर साहब, वह किसान की जिन्दगी में एक ऐसा समय होता है जब एक आदमी के दो तीन बनते हैं।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, साडू की बिजाई कौन सी होती है?

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, साडू की बिजाई कोई नहीं होती ?

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई नहीं होती।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: साडी खरीफ की फसल होती है चौधरी भजन लाल जी ने ठीक ही कहा था कि मोटे दिमाग मे थोडे देर से बात जाती है।

श्री अध्यक्ष: साडू की बिजाई नहीं होती असाढी की बिजाई होती है, फसल होती है लेकिन आपने साडू की बिजाई कर दी।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, अलग अलग इलकों मे अलग अलग बाते बोली जाती है। आप तो वहां बीस तीस साल पहले छोड आये थे इसलिए आपको भाायद पता नहीं है स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है इस बिल की अमैडमेंट के माध्यम से सरकार पचायतो के चुनाव जिस समय करवाना चाहती है उस समय किसान अपने अपने काम मे बहुत जबरदस्त ढंग से बिजली होगा। उस समय सरकार ने पचायतो के चुनाव करवाने की जो स्ट्रैटजी बनायी है उसको मैं समझ नहीं पा रहा हू। सरकार जिस नियत या मंसूबे के साथ यह अमैडमेंट लेकर आयी है वह क्लीयर है। पार्लियामैंटरी के चुनाव के बाद एक स्ट्रैटबाजी के तहत ये पचायतो के चुनाव असैम्बली के चुनावो से पहले करवाना चाहते है। इसके अलावा एक स्ट्रैटबाजी इन्होने फतेहबाद की रैली के नाम मे भी बनायी।.....

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, इनकी यह बात रिकार्ड न करे।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, यह असैम्बली के चुनावो की स्ट्रैटबाजी का ही एक हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष: आप इसमे क्या कहना चाहते है? आप बिल पर अमैडमेंट के बारे मे बोले।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: यह असैम्बली के चुनावो की स्ट्रैटजी का ही एक हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप अमैडमेंट पर बोले।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, फतेहबाद की रैली पर लाखो करोडो बर्बाद कर दिए गए। (विघ्न) स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदे 1 का मुख्यमंत्री उंगली उठाकर कहता था, उस महान आदमी का नाम लेता था, चौधरी देवी लाल का लेता था और कहता था कि चौधरी देवी लाल के हर जन्म दिवस पर सौ रूपये बढा जाएंगे। उस रैली मे लोग बहुत आस और भरोसे के साथ गए थे। हरियाणा सरकार की रैली के नाम पर लाखो करोडो रूपये बर्बाद कर दिए गए। उस रैली मे किसी तहर की घोशणा नही हुई और इतना पैसा बर्बाद कर दिए गए। उस रैली मे किसी तरह की घोशणा नही हुई और इतना पैसा बर्बाद कर दिया। उसमे एक घोशणा यह जरूर हुई की बेरोजगारो से अब किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते समय जो पहले पांच सौ रूपये लिए जाते थे, वह अब नही लिए जाएंगे। स्पीकर साहब, पांच साल से हरियाणा सरकार बेरोजगारो से इस तरह के 500 रूपये

क्यो लेती रही है? तब इनको इस बात का ध्यान नही आया।
(गोर एवम व्यवधान) बेरोजगार लोगो से इन्होने अब तक सीन
सौ करोड रूपये ले लिए।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, अब आप बैठ जाए। अब
आपकी हवा निकल गयी है।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, जिस ढंग से
सरकार यह अमैडमेंट लेकर आयी है यह असैम्बली चुनावो की
स्ट्रटेजी का ही एक हिस्सा है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठ जाए। क्या आप
दोनो एक साथ खडे रहेगे? चौधरी भजन लाल जी, आप ही लीडर
बन जाए और इनको काबू मे करे। कैप्टन साहब, क्या आप दोनो
एक साथ बोलेगे? भजन लाल जी, आप अपने पीछे मुडकर देखे।
ये दोनो खडे है आप इनको बैठाएं। कैप्टन साहब, आप बैठिए।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, वर्तमान
पंचायतो की टर्न उनके रिजल्ट के डिक्लेयर होने के समय से
लेकर एक हफते बात तक की है इसके एक हफते पहले ही गजट
नोटिफिके ान होगी। इस तरह से देखा जाए तो यह अमैडमेंट
एक मजाक है। जो चुनाव चार महीने बाद होंगे उनकी गजट
नोटिफिके ान एक हफते पहले होगी। यह क्या है। इनकी यह
अमैडमेंट लाने की क्या इंटै ान है, क्या नीयत है ? स्पीकर साहब,
आप इस बिल को पढे। इस बिल के पैसे दो मे कहा गया है कि

जो पंचायत चुनाव अब होंगे उनकी गजट नोटिफिके इन इनकी टर्म के एक हफते बाद होगी। (विधन) इस तरह से सरकार की नीयत में खोटा है और सरकार समाज के ताने बाने को बिगाडना चाहती है और उस बिगडे हुए ताने बाने के आधार पर जिस तरह से ये आज ये रसगुल्ले खने लग रहे हैं उसी तरह से इनकी सोच है कि ये आगे भी खाएं लेकिन हरियाणा की जनता इनको माफ नहीं करेगी। स्पीकर साहब, चौधरी बसी लाल के दो टोटरू आ भी एग थे लेकिन इकने दो टोटरू भी आ जाए तो हम राजनीतिक छोड देगे। यह बात आप आज के दिन याद रखना। इनको कोई भ आदमी गांवो में घूसने नहीं देगा।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप बैठ जाएं। अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करे।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब,.....

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी आपके समाने हमारे सम्मानित साथी डा० कादियान साहब पंचायती राज विधेयक पर अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कहते कहते वे अपनी बात को बदलकर दूसरी तरफ से गए। वे कभी रैली की चर्चा कर देते तो कभी बेरोगजगारी भते की बात कर देते। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से छोटी सी बात हाउस को बताकर अपना स्थान ले लूंगा। मैं और डा. साहब, एक ही यूनिवर्सिटी में पढे हैं और हमारा

दोनो का बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। इनको नाम के आगे जो डा० लिखा जाता है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि ये न तो आदमियों के डाक्टर है और न ही किसी और चीज के डाक्टर है। इन्होंने एनीमल हसबैंड्री में डाक्टरेट कर रखी है इनकी मजबूरी है कि हर इ ू पर इन्होंने कुछ न कुछ कहना ही है लेकिन किसी इ ु पर किस तरह से बोलना और क्या कहना है, यह इनको पता नहीं होता। ये अपनी बात को कभी पूरा नहीं कर सकते।

व्यैक्तिक स्पष्टीकरण

डा० रघुवीर सिंह कादयान एम.एल.ए. के विरुद्ध

डा० रघुवीर सिंह कादयान एम.एल.ए. के विरुद्ध: अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेने ेन है। हमारे सम्मानित सदस्य भाई अजय सिंह ने जो बातें मेरे बारे में कही हैं उसके बारे में पर्सनल ऐक्सप्लेने ेन देना चाहता हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि हम साथ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम किसी तरह से साथ रहे हैं। 1970 में मैं उस यूनिवर्सिटी में एम०एस०सी० करके लैक्चरर लग गया था और तब तक इन्होंने वहाँ एडेमि ेन भी नहीं लिया था और इन्होंने मेरी डाक्टरी के बारे में बात कही है। वह तो अलग स्पै ेलाइजे ेन की फील्ड है। I have got the Doctorate in the filed of animal nutrition.

दि हरियाणा पचायती राज (सैकण्ड अमैडमैट) बिल,
2004 (पुनराम्भ)

कैप्टन अजय सिंह यादव (रेवाडी): स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा पंचायती राज सैक्रेण्ड अमैडमैट बिल 2004 लेकर आ रहे है इसके बारे मे खासतौर पर यह कहना चाहूंगा कि it is against the very spirit of the Constitution क्योकि आर्टिकल 243 मे बाकायदा यह बताया गया है कि States having been directed to amend or repeal their existing law which is inconsistent with the provisions of the amendment within one year from the commencement of the Constitution. यह 73rd अमैडमैट ऐक्ट 1992 का है। Article 243 of the Constitution reads as under (Interruptions) मेरे कहने का मकदस यह है कि जो अमैडमैट विधान सभा मे लाया गया है। it is against the provision of the Constitution अमैडमैट लेकर आ रहे है जो प्रावधान 2 महीने का है वह पूरे देा भर मे है। हरियाणा प्रदेा मे अलग से करने की कोई दो बात नही है। अध्यक्ष महोदय, मै कहना चाहता हू कि एक केस Surjit Singh Vs. State Haryana in C.W.P No. 12742 of 1999 जिसमे हाई कोर्ट की विेश तौर पर डायरेक्टान थी कि अगर अम्बाला की वोटर लिस्ट ठीक से बनी है तो इलेक्शन जून, 2000 मे किये जाये। उस वक्त सरकार की यह मन्शा थी कि हरियाणा पंचायत के इलेक्शन असैम्बली इलेक्शन के बाद हो। ए0जी0 ने कोर्ट मे तथ्यो को जानबूझ कर हाईड किया था जिसकी वजह से स्टैट इलेक्शन कमीशन और सरकार को कंटेम्प्ट दिया गया कि आपने कोर्ट को डार्क मे रखा है। क्योकि उस समय लास्ट टाइम चौटाला साहब की सरकार थी और चाह रहे थे

पंचायत के चुनाव असैम्बली चुनाव के बाद हो। सरकार की यह मन्ता थी और ए0जी0 ने यह बात कही और इस पर कोर्ट ने कहा कि Why you kept high Court in the dark सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ठीक है वायले इन सरकार ने की है लेकिन कहा कि आप इलैक्ट्रिक इन मार्च 2001 में कराये। जो यह पंचायती राज्य एक्ट, 1994 सैक्ट्रिन 52 में बाकायदा यह लिखा हुआ है कि—

“ it is only a Gram Panchayat एक ग्राम पंचायत डिजौल्व तभी हो सकती है जब if it abuses its powers or it is not competent to perform or makes persistent defaults in the performance of its duties under this act or wilfully disregards any instructions given or directions issued by the Panchayat Samiti and Zila Parishad.”

इसलिए मैं यह जानना चाहता हू कि ऐसी कौन सी बात है जो मौजूदा सरकार पर इस बिल में अमैड करने जा रही है इस बिल में क्या खमिया है कि पंचायती के चुनावों में सरकार चार महीने पहले करवाना चाहती है जबकि दो महीने पहले का टाईम है कृपया मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें कि चार महीने पहले क्यों चुनाव करवा रहे हैं? दूसरा मेरा कहना यह है कि जो यह पंचायती राज्य एक्ट, 1994 के सैक्ट्रिन 3 में भी दे रखा है कि

“Every Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad unless sooner dissolved and law for the time being in force, shall continue for 5 years.”

तो मैं कहा चाह रहा हू कि क्या दो पंचायते साथ साथ चलेगी ? चार महीने पहले आप पंचायतो के चुनाव करा रहे हैं यह टोटली मोकरी आफ डेमोक्रेसी है दो पंचायते पैरेलल कैसे चलेगी, एक चुनी हुई पंचायत और एक वह जो आप चुनने जा रहे हो। इस तरह का सरकार का जो मकसद है जो बात कादियान जी कह रहे थे कि असैम्बली के चुनाव से पहले पंचायत के चुनाव कराना सरकार की ओपरचुनिस्टिक मूव है। आप चाहते हैं कि पार्टी बन जाये इस तरह का मकसद कान्स्टीच्यू अनली गलत है। हर तरीके से यह काम गलत है। अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव के लिए जो बिल लाये हैं It is against the provision of the Constitution. यह मैं कहना चाहता हू।

श्री भादी लाल बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल ला रहे हैं इसमें दो क्लॉज इनकन्सीटैन्सी है। इसमें एक तरफ तो दो महीने पहले का प्रावधान है कि सरकार दो महीने पहले चुनाव करा सकती है और अब इस बिल के द्वारा जो दो महीने का समय है वह चार महीने कर दिया जायेगा। आप चार महीने पहले चुनाव कराने की बात कर रहे हैं तो फिर इस चार महीने पहले चुनाव कराने की नोटिफिके अन कब होगी, पंच और सरपंच को कब घोशित किया जायेगा, कम पंच और सरपंचो से चार्ज लिया जायेगा, कब चार्ज की हैडिंग ओवर और टेकिंग ओवर होगी, कब पंचायते भंग करोगे, आप यह प्रि पौने दो महीने से चार महीने कर

रहे है इसकी नोटिफिके इन कब होगी? इस बिल की क्लोज 2 में यह लिखा हुआ है कि

“After the declaration of general election results, the names of elected Panches, Sarpanches, Members, Chairmen, Vice Chairmen, Presidents and Vice Presidents shall be published in the Official Gazette by the State Election Commission not earlier than one week before the expiry of the duration of the existing Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad.”

18.00 बजे

जब ड्यूरे इन पांच साल की है तो एक हफ्ता पहले नोटिफिके इन नहीं हो सकती। अगर एक हफ्ता पहले नोटिफिके इन नहीं हो सकती तो चार महीने पहले इलैक्ट इन क्यों? ये दोनों बातें आपस में बहुत कन्ट्राडिक्टरी हैं। यह समझ में नहीं आता कि सरकार की मन्ता क्या है? आज सरकार चुनी हुई थी, इसकी अवधि खत्म होने जा रही है तो आज तो अमैडमेंट आ रही है, इसके पीछे भावना और मकसद कुछ और ही है, इसके पीछे भावना कुछ भी हो यह सरकार के पास अधिकार है लेकिन लोगों के साथ यह मजाक न किया जाए कि एक पंच, सरपंच के होते हुए दूसरा पंच सरपंच इलैक्ट हो जाए और उसकी नोटिफिके इन न हो और उसकी नोटिफिके इन तब हो जब पहले वाले की टर्म समाप्त हो जाए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि

यह जो अमैडमैट आ रही है, यह इललीगल है, अनजस्टीफाईड है और अनकांस्टीच्यू ांन है, इनको पास न किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं थोडा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार की मं ा कोई राजनीतिक लाभा उठाने की नहीं है। चुनाव कराना तो स्टेट इलैक् ान कमी ान का काम है जंहा आपने इसको भंग करने की बात की है, यह भी कोई मं ा नहीं है। कई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव पहले हो। डेमोक्रेटिक सैट अप में चुनाव पहले हो जाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसको लम्बे अर्से तक लटकाना प्रजातंत्र का हनन है। (ार एवम व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, 5 साल से कम करना तो डेमोक्रेटिक है और 5 साल से ज्यादा करना अनडैमोक्रेटिक है मैं तो कहना चाहूंगा कि 5 साल से कम करना या 5 साल से ज्यादा करना दोनों स्टैंपस ही अनडैमोक्रेटिक हैं। एक्ट में भी लिखा है कि 2 महीने पहले आप चुनाव करा सकते हैं। (ार एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरीका के राष्ट्रपति का चुनाव भी 2 नवम्बर को होता है और भापथ पहली जनवरी को होती है तो दो राष्ट्रपति एक ही साथ हुए न, इसलिए ऐसी कोई मं ा नहीं है चुनाव कैसे कराने

है कब कराने है यह सब स्टेट इलैक्ट्रान कमीशन का काम है यह विधानसभा या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। स्टेट इलैक्ट्रान कमीशन चुनाव करवाएगा और समय पर ही करवाएगा, आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं? (गोर एवम व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात है तो विधान सभा के दो महीने पहले करवाएं जाए।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: कई मर्तबा विधान सभाओं के चुनावो भी समय से पहले हुए है लोकसभा के भी चुनाव समय से पहले हुए है। अमरीका की बात आप छोड़े, आपकी बात के मुताबिक राज्यसभा के चुनावो अभी रिसैंटली हुए है, इलैक्ट्रान मैम्बरज भी रहे है और जो पहले मियाद तक थे वे भी रहे है। यह हमारा सब्जैक्ट नहीं है। हमारी मंशा केवल एक ही है कि मौजूदा सरकार ने नए सिरे से पूरी स्टेट के लोगो को सुविधा मिले उसके लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया है और उस कमेटी के सामने लोगो से बाकायदगी से अपील की थी कि कौन सा गांव किस ब्लाक में किस सब डिवीजन में और किस जिले में कहा रहना चाहता है, अपनी सुविधा के मुताबिक बता दे। यह सारी बात समझकर सारी प्रक्रिया पूरी करके तय की गई। बहुत से लोगो ने अपनी पंचायतो अलग भी की। 100 से ज्यादा पंचायते होगी जिन्होंने पंचायतो से अलग होकर अपनी नई पंचायत बनाने का काम किया। सरकार ने इस सदन में बिल पास किया कि 15 हजार से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में म्यूनिसिपल कमेटी बनाइ

जाएगी और बाकी में पंचायत रहेगी। कई म्यूनिसिपल कमिटीज टूट गईं, कई म्यूनिसिपल कमिटीज में जो पंचायत थी उन्होंने लिखकर यह दे दिया कि हमें म्यूनिसिपल कमिटी से अलग किया जाए। आज बहुत से गांव ऐसे हैं जो न म्यूनिसिपल कमिटी में हैं, न पंचायत में हैं। वे अपने अधिकारों से वंचित हैं। उनको भी अवसर मिलना चाहिए, उनको कितने दिन लटकाये रखेंगे। कुछ नई पंचायतें बनी हैं वे भी बिना रिप्रजेंटेटिव के हैं। (विघ्न) आप लोग बुडबडाने की आदत छोड़ दें। (विघ्न) आपको बोलने का अवसर फिर मिलेगा उस समय बोल लेना लेकिन मुझे बीच में न टोकें। (विघ्न) यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। कैप्टन साहब, आप बुडबडाने की आदत छोड़ दें। आप बुडबडा हम पर रहे हैं और मार आपको ये रहे हैं। यदि आपको अपोजीटन की लीडर नहीं बना रहे तो भजन लाल जी और दूसरे कांग्रेसी नहीं बना रहे इसमें मेरा क्या मतलब है लेकिन आप मेरे पर क्यों बुडबडा रहे हैं। बेचारे कर्ण सिंह दलाल कहता है कि मुझे भी समय दो। एक अकेला चीडे जैसा है, कांग्रेस वाले तो भामिल नहीं कर रहे हैं। अभी तक पता नहीं वह कहाँ खडा है, किस जगह खडा है। धरती और आकाश के बीच में लटका हुआ है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक छुट्टी हो रही है। उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए। सीमाएं तो किसी को भी नहीं लांघनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि सैकड़ों ऐसी पंचायतें हैं जो बिना प्रतिनिधि के बैठी हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, विधान सभा मे भी तो 10 एम0एल0एज0 की सीट खाली है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, उन्होने रिजाइन किया है। रिजाइन कोई भी कर सकता है। आप तो रिजाइन करने से घबराते हो। (विघ्न) कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठे। आज मैं आपको नेम नहीं करूंगा और अखबार मे आपकी खबर नहीं छपेगी। (विघ्न) प्लीज आप, सभी बैठिये।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे मे अपनी बात कहनी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठिये। आप अपनी मर्यादा मे रहे। चौधरी भजन लाल जी, आप देखिये आपकी पार्टी के मैबंर किस तरह का व्यवहार कर रहे है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, यदि आप हमे बरखास्त करना चाहते है तो कर दे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आने वाले विधान सभा चुनावो मे लोग आपको बरखास्त करेगे। मैं बरखास्त क्यो करू? (विघ्न) कर्ण सिंह दलाल, प्लीज आप बैठे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हू कि हरियाणा विधान सभा मे भी 10 सीटे खाली है

इसलिए विधान सभा के भी पहले चुनाव करवा ले। यह नियम विधान सभा पर भी तो लागू होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, प्लीज आप बैठे। ऐसा अच्छा नहीं लगता। चुनाव कैबिनेट जब कराना चाहयेगी आपसे पूछ नहीं करायेगी।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, भायद इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि चौधरी भजन लाल जी जब सदन के नेता थे उस समय 20 विधायकों ने एक साथ इस्तीफे दिए थे और सभी मजूर हुए थे सदन तब भी चल रहा था। विधान सभा चुनाव तब भी नहीं हुए थे। चौधरी भजन लाल जी बैठे हुए हैं ये बता देंगे, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, ऐसा हुआ था लेकिन इन्होंने उन बेचारों को धोखा देकर मरवाया था। ऐसा धोखा किसी के साथ नहीं करना चाहिए था।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठे। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन साहब की राजनीति में पैदाइश से पहले की बात रहा हूँ कि चौधरी भजन लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तब इस सदन के 20

सदस्यो ने इस्तीफे दिए थे और 20 विधान सभा सीटे खाली हो गई थी। उस समय चौधरी भजन लाल 35 सदस्यो को अपने साथ लेकर अपनी निश्ठा बदल करके उसी इन्दिरा गांधीके पास जा लिये थे जिसको तीन दिन पहले इन्होने गाली दी थी तब भी सदन चलता रहा था। भजन लाल जी यहा बैठे हुए है, ये ही बात देगे सदन चलता रहा था या नही।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बिना परमि तन खडे न हो। प्लीज आप बैठे। आपकी कोई बात रिकार्ड नही हो रही। (विघ्न)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: भजन लाल जी, मैं ज्यादा गहराई मे नही जाना चाहता। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। मैं आप पर तरस इसलिए खा रहा हू कि आप बीमार है। अब आपके पास तो कहने को कुछ रहा नही है। आपको पास तो बस्ता है और मुझे तो जबानी सब कुछ याद है। आप तो बताते बताने इन्दिरा गांधी की मौत भूल जाते हो, राजीव गांधी की पैदाइश के बारे मे भूल जाते हो अब आपको कुछ याद नही रहता। आपकी याद दा तत जवाब दे गई है। अध्यक्ष महोदय, जब आदमी पर मार पडती है तो वह सब कुछ भूल जाता है। इसमे भजन लाल जी का कसूर नही है चौधरी भजन लाल जी पर तो अब भी मार पड रही है। (विघ्न) स्पीकर साहब, इस मामले पर डिटेल मे चौधरी सम्पत

सिंह जी ही बतायेगे मैं तो दो चार मुद्दों पर जिकर कर रहा था और यह जो बिना वजह का संसय इनके द्वारा पैदा किया गया था वह दूर करना चाहता हूँ। मौजूदा सरकार ने गांव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और उन्हें दूर करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है। पैसे का ठीक ढंग से इस्तेमाल हो सके इसलिए समय से पहले चुनाव करवाने की आवश्यकता समझी गई। आम सिकायत लोगों की सुनने में आती है कि सरकार पैसा बहुत देती है लेकिन पैसा ठीक ढंग से खर्च नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधि आए और उस पैसे को अच्छे विकास के कामों पर खर्च करें इसलिए ये चुनाव करवाना हमारी मंशा है कि पंचायतों के चुनाव पहले हो जाएं। (गोर एवम विघ्न) नहीं नहीं हम पार्टीबाजी के पक्ष में हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश के 2 करोड़ 20 लाख लोग सम्पन्न हों, समृद्ध हों खुशहाल हों और अपसी भाईचारे से रहे। यह तो आपकी सोच रहती है। आप रोज लड़ाने का काम करते हों। यह हमारा काम नहीं है। (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बैठें। आप बीच में कैसे खड़े हो गए?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: इनकी कोई बात रिकार्ड न करे।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, मेरा कहना है कि किसी को कोई मुगातला नहीं रहना चाहिए कि सरकार कोई गलत काम कर रही है। यह अमैडमैट क्यों और किसलिए की जा रही है इसकी डिटेल्ज सम्पत सिंह जी बताएंगे।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ बातों का जवाब दिया है मैं अपनी स्पीच देने से पहले जो ये अपोजीशन के भाई ट्रैक छोड़कर चले गए थे और विशेषकर डा० कादियान साहब ट्रैक को छोड़ कर रैली की तरफ चले गये थे। मैं अपनी बात कहने से पहले इनकी कही हुई बातों का जवाब देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इन्होंने रैली का जिक्र किया, इस बारे में हमें फरख है कि 25 सितम्बर को हम रैली करते हैं। यह रैली उस महापुरुष की याद में की जाती है जिन्होंने देश को आजाद करवाने वालों में और हरियाणा प्रदेश के जन्मदाता और देश के निर्माता के रूप में विशेष योगदान दिया। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी का जन्म दिन 25 सितम्बर को आता है। यह जन्म दिवस हम हर बार मानते हैं। हम चाहे सत्ता में हो यह विपक्ष में हो, चाहे चौधरी देवी लाल स्वयं खुद थे और चाहे आज उनका भारीर न हो हम यह जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं। आज हमारे बीच उनका भारीर नहीं है लेकिन उनकी आत्मा आज भी है। ऐसे महान आदमी हमें शांति के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसा आदमी कभी मरता नहीं है बल्कि वह अमर हो।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महादेय,
(गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: इनकी कोई बात रिकार्ड न करे। (गोर एवम विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: हां, कादयान साहब ने हा है। (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डा० कादयान साहब ने कहा है उनसे पूछो।
(गोर एवम विघ्न) कैप्टन साहब, आप डा० कादयान से पूछो।

चौधरी भजन लाल: पहले आप हमारी बात तो सुने।
(गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बगैर परमि तान के बोल रहे है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, पहले यहा पर ये कोई बात कह देते है और फिर उसका जवाब सुनते हुए इनको तकलीफ होती है। इनकी कही हुई बातो का जवाब देना पडता है। हाउस के अन्दर जो भी बात आएगी उसका जवाब तो देना ही पडेगा। हमे तो इस बात का फरख है और यह भी फरख हमे ही नही बल्कि हरियाणा के हर वासी को इस बात का फरख है कि चौधरी देवी लाल जी पर हर आदमी को नाज है। चाहे आज उनका भारीर

हमारे बीच में नहीं है मगर अपनी आत्मा, उनके दिखाए हुए रास्ते और उनकी नीतियाँ आज हमारे बीच में हैं। (गोर एवम विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। ये किस बिल पर बोल रहे हैं यह तो टोटली इररेलैवेट बोल रहे हैं...(गोर एवम विघ्न)

चौधरी जगजीत सिंह: स्पीकर साहब, हमें भी तो अपनी बात कहनी है। (गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: इनकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए। आप दोनों क्यों बोलने के लिए खड़े हो गए। क्या आपको बोलने की परमिशन दी है। आप बीच में कैसे खड़े हो गए। आप किसकी परमिशन से खड़े होकर बोल रहे हैं। आप दोनों किसी भी समय खड़े हो जाते हैं। आप किसकी परमिशन से खड़े होते हैं। आपको किसी डेकोरम का पता नहीं है। इतने पुराने आप हो गए हैं, अब आप बैठिये। ...(गोर एवम विघ्न) इनकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जाये।

प्रो० सम्पत सिंह: Now, I am not speaking on bills. जो बात यहां पर आई है उसको क्लैरीफाई तो करेंगे। जो बात इन्होंने की है उसका जवाब तो देना है। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं पहले इनकी बातों का जवाब दूंगा। ...(गोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब और सांगवान साहब, आप बैठ जाँए। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। आज तो अखबार

वाले भी आपकी कोई बात नहीं लिखेंगे चाहे आप कुछ कर लो। आप बैठ जाओ। अखबारों में आपकी सुर्खी नहीं बनेगी। चाहे आप कल अखबार देख लेना। आप जानबूझकर बीच में खड़े हो जाते हो। आपने कोई समय लिया हो, कोई बात हो तो अगल बात है। आज यों ही खड़े हो जाते हो। आप बैठिये और चुप रहिए। आप सभी अपने स्थान पर बैठिये। ...(तोर एवम विघ्न)

श्री अनिता यादव: स्पीकर साहब,.....

श्री अध्यक्ष: इनकी कोई बात रिकार्ड न कि जाये। आप बगैर इजाजत के कैसे बीच में खड़ी हो गईं। आप बैठ जाएं। ... (तोर एवम विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये लोग भागना चाहते हैं। ...(तोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्ष: सभी को समुचित टाईम दिया गया है। जिस पार्टी के जो भी सदस्यगण बोलना चाहते थे उनको बोलने का समय दिया गया है क्या इसके बाद भी कोई कमी रह गई है। आप सभी को बोलने का पूरा समय दिया गया है। इसलिए अब आप बैठें। ...(तोर एवम विघ्न)

श्रीमती अनिता यादव: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: अनीता जी, आप अपनी सीट पर बैठे। ...
(तोर एवम विघ्न) आप भी बैगर परमि तन के बोल रही है
इसलिए आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। ...(विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति
से बोलना शुरू किया था और मैंने पहले ही कह दिया था कि
इनहोने जो पार्टिकुलर बात कही है मैं उसका जवाब दे रहा हू
और बिल के बारे में मैं बाद में जवाब दूंगा। ...(विघ्न) स्पीकर
साहब, विधान सभा के अन्दर इन्होने जो बात कही है मैं उसी बात
का जवाब दे रहा हू। जो बात हाउस में कही गई है, हमारा फर्ज
बनता है कि हम उसका रिप्लाई दे और जो कहा गया है उसकी
क्लैरिफिके तन दे। ...(विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बीच में कैसे बोल रहे
हैं।(विघ्न) वे मिनिस्टर हैं, क्या वे खड़े हो कर नहीं बोल सकते। .
..(विघ्न) आप जब भी चाहे खड़े हो कर बोलने लग जाते हैं
आपको बोलने की कोई इजाजत नहीं दी है। इसलिए अब आप
बैठे। कोई भी सदस्यगण बैठे बैठे नहीं बोले, No need
Commentary आप बैठे। ...(विघ्न) अभी तक आपने यह नहीं सीखा
कि बोलने से पहले क्या कहना पडता है और बोलने के लिए समय
कैसे लिया जाता है आप बीच में खड़े हो जाते हैं और बोलते
रहते हैं। (विघ्न) अब आप बैठिए। Please sit down. (विघ्न)

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनके दिमाग में तो खराबी हो रही है आप ही इन पर रहम करें। (विघ्न) इनका दिमाग खराब हो रहा है। (हंसी) (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठे। (विघ्न) आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। बलबीर बाली जी ने जो कुछ कहा है वह आपके बारे में नहीं कहा है अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। इन्होंने आपको कुछ नहीं कहा है उन्होंने तो एक जनरल बात कही। (विघ्न) अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है या आप ऐसा समझ ले तो अलग बात है वैसे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। (विघ्न) अब आप बैठ जाएं। (विघ्न) उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है आ बैठे। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: कैप्टन साहब, आप मेरे तक सीमित रहे तो ठीक रहेगा आप पहलवान से क्यों उलझ रहे हैं वह कोई ऐसा दांव मारेगा कि ख्वाहमखाह यहाँ पर मारे जाओगे। (विघ्न) (हंसी)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, दिक्कत केवल एक ही है कि यह बिना जनरल की फौज है, इनका जनरल कोई नहीं है और ये किसी के काबू के नहीं हैं ये सभी बेकाबू हो रहे हैं। भजन लाल जी, क्या से आपके काबू के हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: आपके तो बन्धुओ की तरह है, हमारे तो आजाद है। (विघ्न)

श्री ओमप्रका 1 चौटाला: हमारे वाले तो सारे काबू मे है लेकिन आपके तो बिना जनरल की फौज है। आपका कोई नेता नही है कोई नेतृत्व नही है, कोई आस्था नही है, कोई कुछ नही है आप बूढे हो गए है और ये आपके बेकाबू हो गए है नही तो क्या से कभी रडका करते थे, क्या कर्ण सिंह दलाल कभी चू किया करते थे। (विघ्न) चौधरी साहब, अब आप बूढे हो गए हो और आपका मामला खत्म हो लिया। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मै क्लैरीफाई कर रहा था कि आज अगर हरियाणा विधान सभा अलग है तो वह चौधरी देवी लाल की देन है। सम्मान दिवस के रूप मे उनका जन्म दिवस मनाया गया। जहां तक डाक्टर कादियान साहब ने अनाउंसमेंट का जिकर किया था, मै इसमे यह कहना चाहता हू कि आपकी सरकार की कोई भी अनाउंसमेंट का जिकर किया था, मै इसमे यह कहना चाहता हू कि आपकी सरकार की कोई भी अनाउंसमेंट पेपर पर नही हुई। जहा तक इन्होने पै उन के बारे मे जिकर किया है कि चौधरी देवी लाल के जन्म दिवस पर हर साल बढाएगे (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उन्होने जिकर किया था इसलिए मुझे क्लैरिफाई करना पड रहा है। स्पीकर साहब, मौजूदा सरकार की पार्टी की सरकार पहले भी थी और उस वक्त चौधरी देवी लाल जी ने 100 रूपये मासिक बुढापा पै उन देनी भुरु की थी। वर्ष 1991 मे वह

सरकार चली गई और उसके बाद चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी बन गए थे। ये पांच साल तक मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने इस दौरान एक रुपया भी बुढापा पैँ ान का नही बढाया और पैँ ान की राशि 100 रूपये से 101 रूपये भी नही की बल्कि पैँ ानर्ज की संख्या घटाई और इसमे कई तरह की कण्डी ान्ज लगाई गई थी। कण्डी ांजन न0 1 यह थी कि जिसकी पांच एकड जमीन है उसको पैँ ांन नही मिलेगी, कण्डी ान न0 2 यह थी कि अगर किसी परिवार की 2500 या 3000 रूपये की आमदनी है तो उस परिवार को भी पैँ ांन नही मिलेगी। नम्बर 3 कण्डी ान यह लगाई गई थी कि अगर परिवार मे कोई मुलाजमियत है तो उस परिवार को भी पैँ ान नही मिलेगी। नम्बर 4 यह कण्डी ान लगा दी गई थी कि अगर किसी घर मे कोई मुलाजिम है तो उसको पैँ ांन नही दी जाएगी। इनकी वजह से साढे चार लाख की संख्या पैँ यान लेने वालो की रह गई थी।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बैठ जाए। (विघ्न) आप बिना इजाजत के बोल रहे है भजन लाल जी का कुछ रिकार्ड नही किया जाए।

चौधरी भजन लाल:.....

श्री अध्यक्ष: बैठिए बैठिए। (विघ्न) आपका कुछ भी रिकार्ड नही हो रहा है। (विघ्न)

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, ये कह रहे हैं कि इन्होंने नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए बुढ़ापा पै ांन बंद कर दी थी। ये मान रहे हैं। स्पीकर साहब, इन्होंने अपने समय में एक नया पैसा इस ाि ा का नहीं बढ़ाया था और दूसरी तरफ पै ांन लेने वालों की संख्या इन्होंने घटा दी। (विघ्न) स्पीकर साहब, भजन लाल जी का राज पांच साल रहा है और एक नये पैसे की ाि ा नहीं बढ़ाई थी बल्कि उनकी संख्या इन्होंने 1/3 कर दी थी। इनके राज के बाद चौधरी बसी लाल जी का राज आया और साढ़े तीन साल वे रहे। सवाल यह नहीं था कि कल क्या करेंगे, सवाल यह है कि इन्होंने अपने राज में क्या किया है और मौजूदा सरकार ने क्या किया। स्पीकर साहब, 24 जुलाई, 1999 को चौधरी औम प्रका ा चौटाला जी मुख्यमंत्री जी बने और उसके बाद चौधरी देवी लाल जी का जन्म दिवस हिसार में 25 सितम्बर, 1999 को मनाया गया था। स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी की भावनाओं को देखकर, उनके निर्दे ा को देखकर उसी वक्त चौधरी औम प्रका ा चौटाला जी ने बुढ़ापा पै ांन को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करी। स्पीकर साहब, इनकी सरकार के समय में एक रूपया भी नहीं बढ़ाया गया था। दूसरे स्पीकर साहब, जो सारी भारत पिछली सरकार के वक्त में बुढ़ापा पै ांन पर लगाई थी, वह हमारी सरकार ने खत्म कर दी है। केवल मात्र. जो आदमी इन्कम टैक्स पेयी हो उसको पै ांन नहीं मिलेगी यह भारत हमने जारी रखी है। स्पीकर साहब, आज के दिन बुढ़ाप पै ांन, विडो पै ांन और इसी तरीके से

हैडिकैप पै ांन हरियाणा मे साढे तेरह लाख लोगो को मिलती है। जहां तक इनके समय मे इन पै ांन्ज पर 55 से 60 करोड रूपये का बजट था आज वह बजट हमारे समय मे बढकर 350 करोड रूपये को होग गया है। स्पीकर साहब, मौजूदा सरकार ने ही बुढापा पै ान को 100 रूपये प्रति माह से बढाकर 200 रूपये प्रति माह किया है और आज वे कहते है कि हम इसको 300 रूपये करेगे, 400 रूपये करेगे। (विघ्न) स्पीकर साहब, न तो इन्होने पहले कुछ किया है और न ही आगे कुछ कर पाएगे। इन्होने तो सिर्फ काटने का काम किया है। स्पीकर साहब, इन्होने यहा पर बेरोजगारी भते का जिकर किया है। स्पीकर साहब, यहा पर ऐसे लोग भी ब्यान दे देते है। जो खुद सता मे रहे है, इनकी पार्टी सता मे रही है। उनमे से कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनके पेरैन्टस, जिनके आनरेबल फादर और लेट फादर हरियाणा और ज्वांयट पजाब की सरकार के अन्दर मंत्री रहे है, ऐसे दो तीन नेता है, सो काल्ड नेता है इनकी पार्टी के अन्दर, वे कभी ब्यान देते है, अभी वे सदन मे नही है और मै उनका नाम नही लेना चाहता हू। वे क्या कहते है कि ऊंट के मुंह मे जीरा, कोई कहता है कि इससे किसी को कोई फायदा नही होगा, अगर बेरोजगारी दूर होगी तो बात करेगे। यहां पर भी कहा जाता है कि 100 रूपये और 200 रूपये प्रतिमाह देने से क्या होगा। स्पीकर साहब, मै उनको बताना चाहूंगा कि यह एक प्रोत्साहन रािा है। जो गरीब आदमी है उसको पैसे की कीमत का मालूम है और जो अमीर आदमी है उसको 100-200 रूपये से कोई फर्क नही पडता है। स्पीकर

साहब, बुढांपा पै ांन 100 रूपये हुई थी तो भी इन्होने उसके बारे मे कहा था लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होने बुढापा पै ांन 100 रूपये हुई थी तो भी इन्होने उसके बारे मे कहा था लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होने उसको 101 रूपये भी नही किया था। अगर वे कुछ कहते है तो उस पर उनको अमल भी करना चाहिए, अपने समय मे ये इस रािा को बढा देते। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैट्रिकुलेट और 10+2 वाले को 100 रूपये और ग्रेजुएट तथा डिप्लोमा होल्डर को 200 रूपये बेराजगारी भते के रूप मे दिए है। (विघ्न) स्पीकर साहब, आज 12 लाख के करीब की संख्या इस फायदे को लेने वालों की हो सकती है। (विघ्न) सर, यह नम्बर और बढ सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो बच्चे किसी कारणव ा अपना नाम दर्ज नही करवा पाए है तो उनको अपना नाम दर्ज करवाने के लिए एक महीने का समय और दे दिया है। (विघ्न) स्पीकर साहब, 150 और 200 करोड रूपये के करीब की रािा बंटेगी। स्पीकर साहब, सारे हिन्दुस्तान के केवल हरियाणा प्रदे ा मे ही यह सम्मान रािा बेरोजगार बच्चो को देगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: बैठिए बैठिए।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जहां तक मैन पावर की बात है, तो केवल बी०ए० और एम०ए० से बात नही बनती है, केवल सरकारी नौकरियो से बात नही बनती है। आज हरियाणा मे 75 हजार नौजवानो को प्रोफै ानल, टैक्नीकल स्पै ालाईजे ान

एजुके ान हमारी सरकार दे रही है। ताकि वे आत्मा निर्भर हो सके और खुद अपने पांच पर खड़े हो सके। स्पीकर साहब, यह 75 हजार की संख्या है जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपकी सरकार के समय में यह संख्या 2-4 हजार ही हुआ करती थी। जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है यही तरीका है बेरोजगारी को दूर करने का और इस वजह से लोग स्वयं अपना रोजगार तला ा कर सकेंगे। स्पीकर साहब, एक और घोशणा सरकार द्वारा की गयी है कि जिन्होंने छोटी तकावी का लोन ले रखा था अब उसको सरकार ने माफ कर दिया है। इससे एक लाख चालीस हजार लोगों को लाभ होगा। इसमें किसान भी शामिल हैं इसमें दस्तकार भी शामिल हैं और इसमें आम गरीब मजदूर भी शामिल हैं। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठिए। आपकी इनकी बातें सुननी चाहिए क्योंकि यह बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं। यह टौनिक है जो आपको लेना चाहिए। (गोर एवम व्यवधान) कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (गोर एवम व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: Speaker Sir, First they commit mistake and then ract. This is no fair. (गोर एवम व्यवधान) स्पीकर साहब, यह खुद अपनी मिस्टेक को कमिट करते हैं। ये खुद पटडी से उतरे हैं। और ये लोग जब पटडी से उतरते हैं तो हमें उसका जवाब देना पडता है। स्पीकर साहब, पटडी से उतरने वाले लोगों का जवाब हमें देना ही पडता है और अब भी मैं यही

जवाब दे रहा हू कि तकावी माफी से एक लाख चालीस हजार लोगो को लाभा होगा। स्पीकर साहब, सर आज आम गरीब किसान के पास दस एकड जमीन नहीं है इसलिए सरकार ने अब यह घोशणा की है कि यदि इस तरक का कोई किसान ट्रैक्टर लेना चाहता है तो उसे अब केवल तीन एकड जमीन की रजिस्टरी देनी पडेगी जबकि इससे पहले दस एकड जमीन की रिजस्टरी देने की भार्ते थी। सरकार की इस घोशणा से अब किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकर साहब, इसी तरह से 1989 मे चौधरी देवी लाल जी के वक्त मे एक कानून बनाया गया था। वह कानून यह था कि यदि किसान अपना कर्ज लेता है और यदि वह डबल से ज्यादा हो जाएगा तो उसे डबाल से ऊपर का कर्जा नहीं देना पडेगा। लेकिन उस कानून को चौधरी भजन लाल जी ने वापस ले लिया था। (गोर एवम व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह इनके बोलने का क्या तरीका है। यह बार बार एक ही बात को क्यों बता रहे हैं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह वाक आउट करके जाएगे। (गोर एवम व्यवधान) ये जरूर जाएंगे। मै बिल पर बात करूंगां आप सुनते जाइये। स्पीकर साहब, यह सुबह टाईम मांग रहे थे और कहे रहे थे कि तीन दिन का सै ांन कर दे लेकिन अब यह सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनको हमारी बात सुननी पडेगी।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महादेय, यह क्या बात कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से बोलते रहे तो हमें वाक आउट करना पड़ेगा। (गोर एवम व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, क्या ये बेरोजगारी भते का विरोध करते हैं? इनको बातना चाहिए कि इसके हक में है या नहीं? इनको हां में या ना में जवाब देना चाहिए। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठिए। गुप्ता जी, आप भी बैठिए।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप इनको बैठाएं क्योंकि ये एक ही बात को बार बार बता रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इसी तरह सरकार ने 100 रुपये मिनीमम बेसिज किए हैं हिन्दुस्तान में अकेली हरियाणा स्टेट ऐसी है जहां पर 100 रुपये वेजिज पर मंथ है। (विधन)

वाक आउट

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनना नहीं चाहते और इनको आप लगातार इस तरह से बोलने की इजाजत दे रहे हैं अगर ये इसी तरह से बोलते रहना चाहते हैं तो हम इस बिल की अमैडमैट के विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य हरियाणा विकास पार्टी के श्री राम किान फौजी और

निर्दलीय सदस्य श्री देवराज दीवान, श्री राजेन्द्र सिंह बिसला, श्री भीमसेन मेहता, श्री जय प्रकाश गुप्ता, श्री दरियाव सिंह राजौरा, श्री तेजवीर सिंह और श्री उदयभानु सदन से वाक आउट कर गए।)

दि हरियाणा पचायंती राज (सैकण्ड अमैडमैट) बिल, 2004 (पुनराम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अब मैं बिल के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब, इनकी तरफ से ऐलीगेण्डर लगे हैं उनका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। सर, अब मैं बिल पर बोलना चाहता हूँ। मैंने सुबह बोलते वक्त भी कहा था कि यह विशेषकर हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। इनका विधान सभा की कार्यवाही में कोई इंट्रैस्ट नहीं है ये हर सेशन में हमें ऐसा ही करते हैं। ये सुबह कह रहे थे कि सेशन एक दिन के बजाए तीन दिन का होना चाहिए, तीन दिन के बजाए दस दिन का होना चाहिए लेकिन एक दिन बैठने की भी इनमें हिम्मत नहीं है। ये घड़ी में केवल साढ़े छह का टाइम देख रहे थे क्योंकि इसके बाद तो आपको हाउस का टाइम बढ़ाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाउस का टाइम दस मिनट के लिए बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष: आज तो हाउस नॉन स्टाप है इसलिए टाइम बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह: ठीक है सर, अगर नान स्टाप है तो ठीक है। स्पीकर साहब, ये लोग घडी मे केवल साढे छः का टाईम देख रहे थे क्योंकि इसके बाद इनको जाना ही था। साढे छः के बाद आगे इनको बर्दा त नही होता इसलिए अब ये हाउस छोडकर चले गए है। स्पीकर साहब, इन्होने जो पोलिटिकल ऐलीगे ान्ज लगाये थे उनकी मैने क्लेरीफिके ान देनी थी। उस टाईम इन्होने कुछ ऐलीगे ान्ज लगाए, पहल ऐलीगे ान्ज यह लगाया कि पांच साल की ऐक्सपायरी टर्म से पहले आप चुनाव करवा रहे है जबकि करा नही सकते है। कानून की किताब इन्होन पढी। स्पीकर साहब, हमने कानून के अगेस्ट आज तक कोई काम नही किया और न ही करेगे। कानून के अगेस्ट ये लोग जाते है। टर्म जहां तक है, पंचायत की, म्यूनिसिपल कमेटीज की विधान सभा की, लोकसभा की यह पांच साल की टर्म है और उस टर्म को हम कोई कम नही करने जा रहे है, बाकयादा पंचायते और कमेटियो पांच साल पूरे करेगी। यह टर्म उनको कांस्टीच्यू ान ने दी है और हम कांस्टीच्यू ान के साथ कोई खिलवाड नही करते है। हम कास्टीच्यू ान की कद्र करने वाले लोग है। जहां तक ये चार महीने की बात कहते है, आलरेडी स्पीकर साहब, पहले का प्रोविजन है। इन साथियो को मालूम था कि दो महीने का 60 दिन का अलरेडी प्रोविजन है 60 दिन पहले पंचायत चुनाव कराए जा सकते है यह प्रावधान ऐक्ट के अंदर है कब करवाने है वह डेट फिव ा करने के लिए इंडिपैडैट बौडी इलैक् ान कमी ान है वह कास्टीच्यू ान बाडी है हरियाणा स्टेट का इलैक् ान कमी ान बना

हुआ है। यह बात उनकी पावर में है। यह हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, हरियाणा सरकार कोई डेट निर्दिष्ट नहीं करती। यह इलैक्ट्रॉनिक मीनिंग्स की मर्जी है वे गवर्नमेंट को कंसल्ट तो करते हैं क्योंकि कई बार लां एंड आर्डर की बात है कोई और सिचुएशन की बात है। फाइनल अथोरिटी इलैक्ट्रॉनिक मीनिंग्स होता है वे डेट निर्धारित करते हैं अगर आपको 60 दिन की बजाय 61 दिन बाद चुनाव करवाने है तब भी यह अमैडमैट जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। कि चार महीने पहले का टाइम रख दिया है तो चार महीने पहले ऐगजैक्ट चुनाव करवा रहे हैं। स्टेट का चुनाव आयोग यह निर्दिष्ट करेगा कि कब चुनाव करवाए जाएं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। स्पीकर साहब, यह आप जानते हैं क्योंकि अप्रैल के अंदर पंचायत की टर्म समाप्त होती है और मार्च में टर्म असैम्बली की समाप्त होती है। इसका मतलब चुनाव तो पहले करवाने है इसलिए असैम्बली का चुनाव टर्म से पहले आएगा और पंचायत का चुनाव भी टर्म से पहले करवाना है। कई बार सैन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक मीनिंग्स चुनाव की डेट निर्दिष्ट है और स्टेट इलैक्ट्रॉनिक मीनिंग्स पंचायत के चुनाव की तारीख तय करता है और ऐसे में कई बार आपस में टकराव हो जाता है। उन्ही दिनों पंचायत के और उन्ही दिनों असैम्बली के चुनाव आ जाते हैं एक बात ऐसे हालात हो गए थे एक साथ पंचायत और असैम्बली के चुनाव नहीं करवा सकते हैं क्योंकि पंच के चुनाव के लिए अलग वोट पडता है, संरपच का अलग वोट पडता है एक आदमी चार वोट अलग से डालता है औ वे बैलट पेपर इकट्ठे जा सकते हैं

लेकिन पांचवा असैम्बली वाला इकट्ठा नहीं पड सकता है क्योंकि वह सैन्ट्रल इलैक्शन कमीशन चुनाव कराता है वह अलग से है उसका ऐक्ट अलग है जिस तरह से यह चारों है उसी तरह से यह पांचवा होता तो कोई बात नहीं थी। वह वोट अलग पडना है। वह चारो इकट्ठे पडने है इसलिए स्पीकर साहब, साथ में कराने से आपस में कोई टकराव न हो जाए, ताकि स्टेट इलैक्शन कमीशन को पूरी अपोरचुनिटी हो, पूरा टाइम हो और यह देखे कि कब चुनाव करवाने है इससे वह अपने हिसाब से तारीख निश्चित कर लेंगे कि कब चुनाव करवाने है ताकि कोई टकराव की स्थिति न आए इसलिए यह 120 दिन रखे है। कोई जरूरी नहीं है कि 120 डेज का मतलब 120 डेज है। जैसा मैंने बताया 61 दिन बाद चुनाव कराने की जरूरत हो तो भी इलैक्शन कमीशन नहीं करा सकता है। क्योंकि पहले प्रोविजन नहीं है इसलिए यह प्रोविजन किया जा रहा है ताकि यह सुविधा रहेगी कि जितने दिन बाद भी कराना चाहे उनकी मर्जी है विपक्ष के साथी एक सांस में कह गए कि गवर्नमेंट चुनाव कराती है उस बारे में मैं जैसा कह दिया कि गवर्नमेंट चुनाव नहीं कराती। जहां तक स्पिट आफ कास्टीच्यूशन की बात कही कि यह कांस्टीच्यूशन की स्पिट के खिला है तो मैं बताना चाहूंगा कि पांच साल की मियाद कांस्टीच्यूशन ने दी हुई है और उस टेन्योर को हम कम नहीं कर सकते हैं। हम इनकी अवधि समाप्त नहीं कर रहे हैं। जो इलैक्शन पंचायत के होंगे वे ओथ अपना इनका समय आएगा, तभी लेंगे, उनकी पहले वालों की जब टर्म खत्म हो जाएगी, तभी लेंगे। जहां तक यह बात है कि

साइमलटेनियसली दो पचायते कैसे रहेगी, दो नहीं है चुनाव होगा, पचायत एक ही है। कांस्टीच्यू इन के हिसाब से कानून के हिसाब से पंचायत एक ही है जिसने ओथ ले रखी है। जहां तक ओथ लेने का सवाल है, जैसे आपने कहा कि अमेकिरा के राष्ट्रपति का चुनाव तो नवम्बर में होता है लेकिन ओथ जनवरी में दो महीने बाद लेते हैं। इस तरह जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सभा का चुनाव पहले हो जाता है जैसे अब हुआ था लेकिन जो चुने हुए सदस्य हैं वे ओथ तब लेते हैं जब पहले चुने हुए सदस्यों की टर्म समाप्त हो जाती है यह नई बात नहीं है ये चुने हुए सदस्य तक तक रहेंगे जब तक इनकी पूरी टर्म नहीं हो जाती है। यह कांस्टीच्यू इन की स्पिरिट के बिल्कुल अगेस्ट नहीं है। दूसरा विपक्ष के साथियों ने कहा कि पंचायत को डिजोल्व कर रहे हैं हम पंचायतों को कोई डिजोल्व नहीं कर रहे हैं और न किसी चुनी हुई पंचायत को भंग कर रहे हैं। एक और ऐलीगे इन इन्होंने लगाया था, हां चौधरी भजन लाल जी ने कहा था कि क्या अमैडमेंट आ रही है वे अपने वक्त को भूल गये जब पंचायतें भंग कर दी थीं और चुनाव करा दिए थे क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी में बिलव नहीं था। इसका मतलब यह है कि वे दूसरों पर भी भाक करते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार बाकायदा कानून और सविधान में वि वास रखती है। इसलिए जो अमैडमेंट हम लेकर आये हैं वह अनकांस्टीच्यू इनल नहीं है। बल्कि साइमलटेनियसली असैंबली और पंचायतों के चुनाव एक साथ न आ जाये इसलिए पंचायतों के चुनाव की डेट चारों महीने पहले कराने का प्रावधान इस अमैण्डमेंट

मे कर रहे है हम चुनाव करा नही रहे है क्योंकि चुनाव कराने का काम तो चुनाव आयोग का होता है। इसलिए मै कहना चाहूंगा कि सरकार यह अमैडमैट लाकर कोई बेकायदगी नही कर रही है बल्कि सविंधान के अनुसार ही कर रही है।

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enactting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill
Passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg
to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दि पजांब भांप्स एंड कामि यिल एस्टैब्लि मैट
(हरियाणा अमैडमैट) बिल, 2004

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Punjab Shops and Commercial Establishments (Hayana Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Shops and Commercial Establishments (Hayana Amendment) Bill, 2004

Sir, I beg to move-

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Hayana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Hayana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Hayana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2 to 6

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enactting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move
that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg
to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

7. दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमेंट अथोरिटी (सैकण्ड अमैडमैट) बिल, 2004

Mr. Speaker: Now, the Town and Country Planning minister will introduce the Haryana Urban Development Authority (Second Amendement) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

ग्राम एमव अयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण (द्वितीय सं गोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हू।

मै यह भी प्रस्ताव करता हू कि—

हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण (द्वितीय सं गोधन) विधेयक पर तुरत विचार किया जाएं। .

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Haryana Urban Development Authority (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Urban Development Authority (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2 to 7

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enactting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Town and Contry Planning Minister will move that the Bill be passed.

ग्राम एमव अयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि—

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

8. दि हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चर इन्डैबटैडपनेस (अमैडमैट) बिल, 2004

Mr. Speaker: Now, the Revenue Minister will intoduce the Haryana Relief of Agriuctural Indebtedness (Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

ग्राम एमव अयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति (सं तोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हू।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हू कि—

हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति (सं तोधन) विधेयक पर तुरत विचार किया जाए। .

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Haryana Relief of Agriucultural Indebtedness (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Relief of Agriucultural Indebtedness (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enactting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the
Bill be passed.

ग्राम एमव अयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): स्पीकर साहब, मैं हाउस से विधेयक को पारित कराने की सिफारिश से पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ। माननीय स्पीकर साहब, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने 1989 में इसी हाउस में इस विधायक के द्वारा हरियाणा प्रदेश के लाखों किसानों, मजदूरों को सहकारिता बैंको द्वारा लाभ दिया और उन्होंने एक सीमा निर्धारित की कि गरीब है, किसान है, मजदूर है, छोटा है या बड़ा है जो सहकारी बैंको से ऋण लेता है असल और ब्याज मिलाकर डबाल से ज्यादा अदायगी नहीं होगी, इस तरह उन्होंने यह सीमा निर्धारित की। इस तरह का कानून इसी सदन से स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने पारित किया था। बाद में कांग्रेस की सरकार आने पर कामि रियल बैंकों के दबाव में आकर इस बिल में उन्होंने संशोधन कर दिया। कांग्रेस की सरकार के समय में चौधरी वीरेन्द्र सिंह सहकारिता मंत्री थे। जो सर छोटू राम के नाती हैं वे इस बिल को संशोधन करने के लिए इस हाउस में लेकर आये थे जिससे किसानों को घाटा हो। आज यह बिल सदन में लाकर माननीय मुख्यमंत्री जी चौधरी औमप्रकाश चौटाला जी ने किसानों को बहुत बड़ा लाभ दिया है और स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के जन्मदिवस पर इसकी घोषणा की थी। स्पीकर साहब, आंकड़े यह दर्शाते हैं कि करीबन 25 करोड़ रुपया को आप्पेटिव बैंक का है, 40 करोड़ रुपया भूमि विकास बैंक का है। यह संशोधन होने के बाद करीबन 65 करोड़ रुपये का लाभ हरियाणा की गरीब जनता को, किसानों को, मजदूरों को, एक मुँह तक मिलेगा। इसके अलावा

कामि रियल बैक्स का अलग से है और जो आने वाले समय में लाभ मिलेगा उसके आकड़े अलग हैं। स्पीकर साहब, यह संतोधान किसान को, गरीब मजदूरों को एक नया जीवन देगा। कांग्रेस के दोस्तों को तो हर बात पर पेट में दर्द होने लगता है चाहे बेरोजगारी भते की बात हो, चाहे पैरान की बात हो, चाहे एस0वाई0एल0 की बात थी। उन्होंने यह दर्शाया है कि उन्हें केवल कुर्सी चाहिए। जो बहुत पहले उनसे चली गई थी। स्पीकर साहब, ये जैसा करेगे आने वाले चुनाव में एक एक बात का हिसाब उनको मिल जायेगा। कांग्रेस का असली चेहरा क्या है यह आने वाले विधान सभा चुनाव में पता लगा जायेगा। स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

कि विधेयक पारित किया जावे।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the House adjourned sine die.

18.49 hrs.

(The Sabha then adjourned sine die)